बिहार पेंशन नियमावली

Bihar Pension Rule- Part III

54.

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक वि० (27) पें०को०-82/06/1764/वे०, दिनांक 26-9-2006 की प्रतिलिपि ।]

विषय : वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन प्राप्ति की सीमा अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के पत्रांक 9251, दिनांक 5-12-2006 के तहत् यह प्रावधान है कि यदि सेवा के दौरान सरकार कर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को मृत्यु की तिथि से सात वर्षों तक या कर्मी की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु यदि वह जीवित होता तक, जो भी पहले हो, वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमान्य होगा । संकल्प संख्या 6796, दिनांक 15-7-1975 द्वारा उक्त प्रावधान को सरलीकृत कर सेवानिवृत्ति के बाद मृत कर्मियों को भी शामिल करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि सेवाकाल/सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की तिथि से सात वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तक किया जाएगा ।

2. केन्द्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के उपरान्त बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान की अवधि 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष, जो भी पहले हो, तक का प्रावधान किया गया है ।

3. बिहार सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष किये जाने के बाद भारत सरकार के उक्त प्रावधानों के आलोक में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वित्त विभाग के ज्ञापांक 9251, दिनांक 5-12-1966 में निहित प्रावधानों के अनुसार वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन दिये जाने हेतु संकल्प सं० 6796, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका II की उप-कंडिका 'ए' एवं 'बी' का निम्न रूप में संशोधित किया जाता है—

> "सेवा काल में/सेवानिवृत्ति के बाद कर्मी की मृत्यु होने पर सात वर्षों तक या मृतक के 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी कम हो, बढ़े दर पर पारिवारिक पेंशन देय होगा । सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन किसी भी स्थिति में मृत सरकारी सेवक को अनुमान्य पेंशन से अधिक नहीं होगा ।"

एतद् सम्बन्धी पूर्व में सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

55

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प पत्र संख्या वि० (27) पें०को०-189/03/2370/वि०, दिनांक 27-10-2005 की प्रतिलिपि ।]

विषय : बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन रूपान्तरण की अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19-7-2004 एवं 17-1-2005 को पारित आदेशों के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं० 735, दिनांक 7-4-2005 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन उपदान के पुनरीक्षण का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि 1-7-1996 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत पदाधिकारियों को निर्धारित पेंशन की अधिकतम 50 प्रतिशत राशि के रूपान्तरण की स्वीकृति दी जायेगी। इस संकल्प के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुये अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत पदाधिकारियों की अधिकतम 40 प्रतिशत पेंशन का रूपान्तरण तत्समय लागू प्रावधानों के अन्तर्गत करने का निर्देश था।

2. राज्य सरकार के समक्ष ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें 1-1-1996 या उसके बाद सेवानिवृत्त पेंशनधारियों द्वारा शेष 10 प्रतिशत राशि के रूपान्तरण के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस 10 प्रतिशत राशि के रूपान्तरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने के विषय पर सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि निम्नांकित शर्तों के अनुरूप शेष 10 प्रतिशत राशि का रूपान्तरण किया जायेगा —

52.

सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3ए-7-म०-01/2005-1500 वि० (2), दिनांक 24-3-2005 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के सम्बन्ध में ।

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन कार्यस्थ सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित है ।

2. राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को केन्द्रीय वेतनमान, सेवाशर्त्त एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुशंसा देने हेतु गठित फिटमेंट कमिटी द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की अनुशंसा की गई थी ।

3. फिटमेंट कमिटी की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

4. उपर्युक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है ।

5. उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति उस माह की अन्तिम तिथि को होगी जिस माह से सम्बन्धित सरकारी सेवक 60 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं, किन्तु किसी माह की पहली तिथि को जिनकी जन्म तिथि है, वे उसके ठीक पहले माह के अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होंगे ।

6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

7. बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के संशोधन की कार्रवाई अलग से की जाएगी ।

53.

अवकाश के नकदीकरण की सीमा 300 दिन

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3/एम2-5-1/99 खंड 1829 वि० (2), दिनांक 7-4-2005 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवक को देय उपार्जित अवकाश के संचयन एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने के सम्बन्ध में ।

सरकारी सेवकों को उपार्जित अवकाश की संचयन सीमा 180 दिनों से बढ़ाकर 240 दिन करने का निर्णय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 326, दिनांक 27-1-1987 द्वारा संसूचित किया गया था ।

2. राज्य कर्मियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान एवं सेवा शर्त्तों के सम्बन्ध में अनुशंसा देने के लिए गठित फिटमेंट कमिटी द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा केन्द्र के भाँति 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन करने की अनुशंसा की गयी है ।

3. फिटमेंट कमिटी की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

4. फिटमेंट कमिटी की उपर्युक्त अनुशंसा पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा को दिनांक 1-4-2005 के प्रभाव से 300 दिन करने का निर्णय लिया है ।

5. अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा 300 दिन किए जाने के फलस्वरूप सेवा निवृत्ति के समय अव्यवहृत अधिकतम 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि नकद रूप में भुगतान किया जाएगा ।

6. उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा में वृद्धि के निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 1-4-2005 के पश्चात् 240 दिनों से अधिक अवधि की गणना 1-4-2005 के बाद अर्जित अवकाश के आधार पर की जाएगी तथा यदि किसी कर्मी को दिनांक 31-3-2005 तक अधिकतम 240 दिनों से कम अर्जित अवकाश देय है तो दिनांक 31-3-2005

(क) संबंधित सेवानिवृत्त पदाधिकारी को इसके लिए पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन देना होगा।

(ख) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसे महालेखाकार को अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया जायेगा। इसके लिये मेडिकल जाँच कराने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही पेंशन नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित समय के बाद आवेदन दिया गया हो।

(ग) महालेखाकार पेंशन की अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के रूपान्तरण का प्राधिकार-पत्र निर्गत करेगा। इस राशि में से रूपान्तरित राशि से अधिक प्रतिमाह प्राप्त पेंशन की राशि की कटौती कर ली जायेगी।

(घ) इस प्रकार की अन्तर राशि के भुगतान के फलस्वरूप किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

(ङ) उपर्युक्त प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि के 6 (छः) माह के अन्दर आवेदन करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में लागू होंगे। जो पदाधिकारी इस संकल्प निर्गत होने के 6 (छः) माह के अन्दर अन्तर राशि के रूपान्तरण का आवेदन नहीं देते हैं, उनके मामले में बाद में अन्तर राशि का रूपान्तरण नहीं किया जायेगा।

56

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, आदेश संख्या 96/13/उ०न्या०-15/2005, दिनांक 30-3-2006 की प्रतिलिपि ।]

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 10146/2003 में दिनांक 2-12-2005 को पारित आदेश का अवलोकन किया। उपरोक्त आदेश, जल संसाधान विभाग के कर्मचारी श्री उपेन्द्र नारायण सिन्हा को ससमय पेंशनरी लाभ एवं भविष्य निधि लेखा में संचित राशि के भुगतान नहीं होने से संबंधित है।

2. श्री सिन्हा के पेंशनरी लाभों के भुगतान में विलम्ब की जाँच कर, जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारी को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिया गया है।

3. श्री सिन्हा के पेंशनरी लाभों के भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण, उनकी सेवापुस्त अपने पास लम्बे समय तक रखने एवं भविष्य निधि लेखा संख्या का गलत होना था। इस संबंध में विभागीय पत्र संख्या 06, दिनांक 17-1-2006 द्वारा जल संसाधन विभाग में विभागीय स्तर पर जाँच कर विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति की पहचान कर सूचित करने का अनुरोध किया गया था। जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1096, दिनांक 9-3-2006 द्वारा विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर स्थिति की सूचना दी है। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। मैं जल संसाधन विभाग के जाँच प्रतिवेदन से पूरी तरह सहमत हूँ।

4. जल संसाधान विभाग को निर्देश दिया जाता है कि पत्रांक 1096, दिनांक 9-3-2006 में निर्धारित जिम्मेवार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर विधि के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाय।

5. पेंशनरी लाभों के ससमय भुगतान नहीं होने का मुख्य कारण सेवापुस्त ससमय स्थानान्तरित स्थान पर नहीं भेजना, श्री सिन्हा द्वारा अनधिकृत रूप से अपनी सेवापुस्त अपने पास लम्बे समय तक रखना एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्यालय में समर्पित करना है। कर्मचारियों की सेवापुस्त के रख-रखाव के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 1-4-2003 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। चूँकि विभिन्न विभागों की प्रशासनिक संरचना भिन्न-भिन्न है, इसलिए प्रत्येक विभाग को अपनी विभागीय संरचना को ध्यान में रखकर स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करना चाहिये ताकि ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। साथ ही जैसे ही किसी कर्मचारी की भविष्य निधि लेखा संख्या, भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त हो, इसकी प्रविष्ट उनकी सेवापुस्त में कर दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम दो बार, कोषागार को भेजे जाने वाले विपत्र पर अंकित प्रत्येक कर्मचारी की सही भविष्य निधि लेखा संख्या का सत्यापन कर आवश्यक संतुष्ट हो लें, ताकि लेखन भूल के कारण लेखा संख्या में त्रुटि न रह जाय।

6. उपरोक्त अनुसार माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2-12-2005 का अनुपालन किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।

57

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्रांक एम-4-30/2006/6360/वि० (2), दिनांक 29-9-2006 की प्रतिलिपि ।]

अधिसूचना

राज्य सरकार के असैनिक पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से करने की योजना, जो जुलाई, 1977 से प्रभावी है, का नियम 3 (iii) इस प्रकार है –

"पेंशन का भुगतान न तो नगद होगा और न "संयुक्त" अथवा "दानों में से किसी एक या उत्तरजीवी लेखा द्वारा"

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है –

"नया नियम 3 (iii)—पेंशन का भुगतान नगद नहीं होगा। इसका भुगतान संयुक्त खाता अथवा दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी लेखा द्वारा किया जाएगा।"

58

पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से षष्ठम् पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति

[बिहार सरकार वित्त विभाग ज्ञापांक वि०-27/पे०को०-137/2008/819, दिनांक 23-09-2009 की प्रतिलिपि ।]

विषय : 01-01-2006 के बाद राज्य सरकार के पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01-01-2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

1. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW (A) दिनांक 02-09-2008 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया है । उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में केन्द्र सरकार के तत्संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नरूप से पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है–

2. दिनांक 01-01-2006 या उसके बाद सेवानिवृत/मृत होनेवाले सरकारी सेवकों को पेंशन तथा उपदान की स्वीकृति–

(i) परिभाषा : परिलब्धि से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति तिथि अथवा सेवा काल में मृत्यु की तिथि को अनुमान्य बैण्ड वेतन, ग्रेड वेतन का योग ।

(ii) पेंशन : (अ) आदेश निर्गत की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर का पेंशन निर्धारण–

(क) बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले वैसे सरकारी सेवक पेंशन के हकदार नहीं होंगे जिन्होंने सेवा निवृत्ति कि तिथि को 10 वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है ।

(ख) पूर्ण पेंशन की स्वीकृति हेतु 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त्त समाप्त कर दी गयी है । जिस सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति की तिथि को 20 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा ।

(ग) जिस सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति की तिथि को 10 वर्षों से अधिक किन्तु 20 वर्षों से कम सेवा पूरी की है उसकी पेंशन उपरोक्त कंडिका-2 (ii) (ख) के अनुसार गणना की गई पेंशन की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।

(घ) कंडिका-2 (ii) में वर्णित पेंशन गणना का पुनरीक्षित प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा और उक्त तिथि को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर लागू होगा ।

(ब) 01-01-2006 से आदेश निर्गत की तिथि तक सेवा निवृत्त हुए पेंशनर का पेंशन निर्धारण–

(क) जो सरकारी सेवक 01-01-2006 तथा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच 33 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत दोनों में जो अधिक लाभकारी हो पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षों से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम करके निर्धारण किया जायेगा ।

(ख) 01-01-2006 तथा 31-10-2006 के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के मामले में औसत परिलब्धि की गणना निम्न राशियों को जोड़कर की जायेगी ।

(1) 01-01-2006 से सेवा निवृत्ति की तिथि के बीच की अवधि में पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन

(2) शेष अवधि जो 01-01-2006 के पूर्व पड़ती है उसके लिए निम्नांकित राशियों का योग

(a) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन, महँगाई वेतन और महँगाई भत्ता की राशि

(b) फिटमेंट लाभ के रूप में अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (महँगाई वेतन छोड़कर) का 40%

(iii) इस प्रकार स्वीकृत की गई पेंशन की राशि 3,500 रुपये से कम नहीं होगी ।

(iv) चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अत: पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण औपबंधिक होगा । उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद पेंशन का अन्तिम निर्धारण किया जाएगा ।

(v) **अतिरिक्त पेंशन** 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा–

पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

(vi) उपदान :

(क) मृत्यु-सह-सेवा निवृति उपदान की गणना संबंधी वर्त्तमान प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे परंतु उपदान की अधिकतम सीमा 3.50 लाख रु० से बढ़ाकर 10 लाख रु० की जाती है ।

(ख) 01-01-2006 के उपरांत तथा आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हुए सरकारी सेवकों को देय उपदान की गणना उनके अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर होगी । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उनके लिए उपदान की पुरानी अधिसीमा (3.50 लाख) ही लागू रहेगी ।

(vii) पारिवारिक पेंशन :

(क) पारिवारिक पेंशन की राशि संबंधित सरकारी सेवक के अंतिम मूल वेतन का 30% होगी । इस प्रकार स्वीकृत की गई पारिवारिक पेंशन की राशि 3.500 रुपये से कम नहीं होगी ।

(ख) चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः पारिवारिक पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण औपबंधिक होगा। उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद पारिवारिक पेंशन का अन्तिम निर्धारण किया जाएगा।

(ग) वैसे सरकारी सेवकों के मामले में जो सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 वर्षों तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि पूर्ववत् रहेगी।

(घ) 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा--

पारिवारिक पेंशन की उम्र	अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की दर
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100%

(viii) पेंशन का रूपान्तरण :

(क) मूल पेंशन के 40% तक पेंशन रूपान्तरण की वर्त्तमान सुविधा जारी रहेगी।

(ख) पेंशन रूपांतरण के लिए प्रयुक्त होने वाली वर्त्तमान तालिका को अनुलग्नक-I पर उपलब्ध तालिका से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ग) पेंशन रूपान्तरण के लिये अनुलग्नक-1 की तालिका का उपयोग आदेश निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के मामले में किया जायेगा।

(घ) 01-01-2006 के उपरान्त तथा इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवकों के पेंशन रूपान्तरण की गणना का आधार उनका अपुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन होगा तथा रूपान्तरित राशि की गणना पुरानी रूपान्तरण तालिका के अनुरूप होगी।

(ix) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाले सरकारी सेवक का पेंशन निर्धारण—अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले जो सरकारी सेवक 01-01-2006 या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, उनके पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान का निर्धारण निम्न रूपेण किया जायेगा।

(क) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाले जो सरकारी सेवक आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद सेवा निवृत्त होते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति की ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा। इन मामलों के लिए परिलब्धि से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन, महँगाई वेतन तथा महँगाई भत्ता का योग। जहाँ तक पेंशन हेतु अर्हक सेवा का प्रश्न है वह इस संकल्प के कंडिका 2 (ii) (अ) के अनुसार होगी।

(ख) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाला जो सरकारी सेवक 01-01-2006 तथा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच 33 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर के सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षों से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा।

(ग) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि रु० 3.50 लाख तक सीमित रहेगी ।

(घ) पेंशन रूपान्तरण की गणना पेंशन पुनरीक्षण सम्बधी आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रभावी तालिका के अनुसार की जायेगी ।

(ङ) पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रावधान प्रभावी रहेंगे और इसकी गणना सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अपुनरीक्षित मूल वेतन के आधार पर की जायेगी । इस प्रकार गणना की गई राशि में कंडिका ix (क) के अनुसार महँगाई वेतन तथा महँगाई भत्ता की राशि जोड़ी जाएगी ।

(x) महँगाई राहत—पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन की राशि पर महँगाई राहत संलग्न तालिका (अनुलग्नक-2) के अनुसार देय होगी तथा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित महँगाई राहत अनुमान्य होगी ।

(xi) बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(क) 01-01-2006 या उसके बाद किन्तु 01-04-2007 के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को वैचारिक रूप से किया जायेगा और उसका आर्थिक लाभ 01-04-2007 के प्रभाव से प्राप्त होगा । उन्हें 01-04-2007 से आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व माह तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय होगा किन्तु 01-04-2007 के पूर्व की अवधि के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा ।

(ख) दिनांक 01-04-2007 से आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों को सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि से आदेश निर्गत होने के पूर्व माह तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय होगा ।

3. पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान—पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान सितम्बर, 2009 से आरम्भ किया जाएगा ।

4. बकाया पेंशन का भुगतान—पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महँगाई राहत की राशि के बकाया का भुगतान पूर्व में भुगतान किए गए पेंशन, महँगाई पेंशन तथा महँगाई राहत की राशि को समायोजित करते हुए तीन वार्षिक किश्तों में निम्न प्रकार से किया जाएगा—

वर्ष 2009-10	15 प्रतिशत
वर्ष 2010-11	40 प्रतिशत
वर्ष 2011-12	45 प्रतिशत

5. भुगतान की प्रक्रिया—

(i) पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार/उप कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महँगाई राहत सहित सितम्बर, 2009 से आरम्भ कर देंगे । इसके अतिरिक्त वे 2009-10 में भुगतेय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 15% राशि का भुगतान भी करेंगे ।

(ii) पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रविष्टि पी० पी० ओ० के दोनों अर्द्धान्शों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सूचना अनुलग्नक-3 के प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ताकि वे अपने कार्यालय में संधारित पी० पी० ओ० पंजी को अद्यतन कर सके । पेंशन वितरण प्राधिकार महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से अनुलग्नक-3 में भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद ले लेंगे ।

6. बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

अनुलग्नक-1

Revised Commutation value for a Pension of Re. 1 per annum

Age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchases	Age On next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9,188	41	9,075	62	8,093
21	9,187	42	9,059	63	7,982
22	9,186	43	9,040	64	7,862
23	9,185	44	9,019	65	7,731
24	9,184	45	8,996	66	7,591
25	9,183	46	8,971	67	7,431
26	9,182	47	8,943	68	7,262
27	9,180	48	8,913	69	7,083
28	9,178	49	8,881	70	6,897
29	9,176	50	8,846	71	6,730
30	9,173	51	8,808	72	6,502
31	9,169	52	8,768	73	6,296
32	9,164	53	8,724	74	6,085
33	9,159	54	8,678	75	5,872
34	9,152	55	8,627	76	5,657
35	9,145	56	8,572	77	5,443
36	9,136	57	8,512	78	5,229
37	9,126	58	8,446	79	5,018
38	9,116	59	8,371	80	4,812
39	9,103	60	8,287	81	4,611
40	9,090	61	8,194		

[Basic: LIC (94-96) Ultimate Tables and 8.00% interest]

अनुलग्नक-2

पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महँगाई राहत

प्रभाव की तिथि	महँगाई राहत की दर (प्रति माह)
01-01-2006 से	शून्य
01-07-2006 से	2%
01-01-2007 से	6%
01-07-2007 से	9%
01-01-2008 से	12%
01-07-2008 से	16%
01-01-2009 से	22%

अनुलग्नक-3

Form of intimation by the Pension Disbursing Authority to the Office of the Accountant General (A&E), Bihar regarding consolidation of pension/family pension in terms of Finance Department Memorandum No...........

1. Name of the Pensioner/Family Pensioner
2. P. P. O
3. Date of Birth/age
4. Date of retirement/Death (in case of family pension)
5. Scale of pay on the date of retirement/death
6. Corresponding pay band and grade pay/pay scale w.e.f. 01.01.2006
7. Savings Bank A/c No.
8. Name of the Bank/Paying Branch
9. Bank Code No.

COMPUTATION OF PENSION

PART A

10. Computation of consolidated pension/family pension

***Pension/*Family Pension/*Family Pension (At enhanced rate)**

Pension	Family Pension/ Enhanced Family Pension
(A) Existing basic pension (inc-lusive of commuted portion) (excluding the effect of merger of 50% of dearness relief)	(A) Existing basic Family Pen-sion/ Enhanced family pension (excluding the effect of merger of 50% of dearness relief)
(B) Dearness Pension	(B) Dearness Pension
(C) Dearness Relief as on 01.01.2006 i.e. 24% of (A) + (B) above.	(C) Dearness Relief as on 01.01.2006 i.e. 24% of (A) + (B) above.
(D) 40% of the Basic Pension as at (A) above	(D) 40% of the basic Family pension as at (A) above
(E) Consolidated Pension (A+B + C+D) Family Pension/Enhanced Family	(E) Consolidated Family Pension (A+B+C+D)

*If not applicable draw a line across.

PART B

11. Computation of consolidated pension/family pension in terms of para........memo dated

Pension	Family Pension
(i) 50 of the minimum of the Pay Band + Grade Pay.	30% of the minimum of the pay band/ pay scale + Grade pay (where applicable
(ii) Qualifying service (maximum of 33 years) Pension: $\frac{(i) \times (ii)}{33}$	Family Pension: 30% of the minimum of the pay band/pay scale + Grade Pay (where applicable)

12. Pension/Family pension actually paid (i.e. Part A or Part B whichever is higher)

Signature

59

[बिहार सरकार वित्त विभाग ज्ञापांक-वि०-27/पे० को०-137/2008/820 दिनांक 23-09-2009 की प्रतिलिपि ।]

विषय : दिनांक 01-01-2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक दिनांक 01-01-2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

1. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW(A) दिनांक 01-09-2008 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया है । उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में केन्द्र सरकार के तत्संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नरूप से पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है–

2. दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन का पुनरीक्षण:–

(i) प्रभाव की तिथि–इस कोटि के पेंशनधारियों का पेंशन 01-01-2006 के प्रभाव से वैचारिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा तथा पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ 01-04-2007 के प्रभाव से भुगतेय होगा । 01-04-2007 के पूर्व की अवधि के लिए बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(ii) परिभाषा :

(क) वर्तमान पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी से अभिप्रेत है दिनांक 31-12-2005 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी ।

(ख) 'वर्तमान पेंशन' से अभिप्रेत है दिनांक 31-12-2005 को प्राप्त मूल पेंशन की राशि जिसमें रूपान्तरित पेंशन की राशि भी सम्मिलित है ।

(ग) 'वर्तमान पारिवारिक पेंशन' से अभिप्रेत है दिनांक 31-12-2005 को प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन की राशि ।

(iii) 01-01-2006 को समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण–

दिनांक 01-01-2006 को वर्तमान पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के समेकित पेंशन का निर्धारण निम्नांकित राशियों को जोड़ कर किया जाएगा:–

(1) वर्त्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि
(2) महँगाई पेंशन की राशि (यदि महँगाई पेंशन प्राप्त था)
(3) दिनांक 01-01-2006 को प्राप्त महँगाई राहत की राशि
(4) फिटमेंट लाभ के रूप में वर्त्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत ।

उपर्युक्त राशियों का योग दिनांक 01-01-2006 को पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण : 01-01-2006 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारियों के मामले में वर्त्तमान पेंशन से महँगाई पेंशन की राशि हटा कर बची हुयी राशि पर ही 40 प्रतिशत पुनरीक्षण लाभ की गणना की जाएगी ।

(iv) दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन समेकन के लिए अनुलग्नक-1 पर स्थित तालिका का प्रयोग किया जा सकता है ।

(v) पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी । किन्तु चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अत: इस कंडिका में वर्णित व्यवस्था का लाभ उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद ही देय होगा, जिसके लिए यथा समय आदेश निर्गत किया जाएगा ।

(vi) जहाँ उपर्युक्त रीति से गणना की कई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रुपये से कम होती है, वहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रुपये निर्धारित की जाएगी ।

(vii) चूँकि उपर्युक्त रीति से पुनरीक्षित पेंशन में रूपान्तरित पेंशन की राशि सम्मिलित है, अतः पुनरीक्षित पेंशन की राशि से रूपान्तरित पेंशन की राशि घटाकर मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(viii) अतिरिक्त पेंशन–80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

(ix) महँगाई राहत: दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन की राशि पर अनुलग्नक-2 पर स्थित तालिका के अनुसार महँगाई राहत देय होगी।

(x) नियोजित/पुनर्नियोजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन निर्धारण : नियोजित/पुर्नियोजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत भुगतान नहीं किया जाता है। उनके मामले में कंडिका 2 (iii) के अंतर्गत समेकित पेंशन के निर्धारण हेतु महँगाई राहत की उस राशि को शामिल किया जायेगा जो उन्हें नियोजित/पुनर्नियोजित नहीं होने को अवस्था में प्राप्त होता, किन्तु नियोजन/पुनर्नियोजन की अवधि में उन्हें राहत का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(xi) बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन : पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आर्थिक लाभ 01-04-2007 के प्रभाव से दिया जायेगा। दिनांक 01-04-2007 से अगस्त 2009 तक के लिए बकाया पेंशन देय होगा और इसका भुगतान कंडिका 4 के अनुसार किया जायेगा।

3. पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान : पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान सितम्बर 2009 से आरम्भ किया जाएगा।

4. बकाया पेंशन का भुगतान : पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महँगाई राहत की राशि के बकाया का भुगतान पूर्व में भुगतान किए गए पेंशन महँगाई पेंशन तथा महँगाई राहत की राशि को समायोजित करते हुए तीन वार्षिक किश्तों में निम्न प्रकार से किया जाएगा–

वर्ष 2009-10	15 प्रतिशत
वर्ष 2010-11	40 प्रतिशत
वर्ष 2011-12	45 प्रतिशत

5. भुगतान की प्रक्रिया–

(i) पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार/उप कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महँगाई राहत सहित सितम्बर, 2009 से आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त वे 2009-10 में भुगतेय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 15% राशि का भुगतान भी करेंगे।

(ii) पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रविष्टि पी० पी० ओ० के दोनों अर्द्धान्शों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सूचना अनुलग्नक-3 के प्रपत्र में महालेखाकार बिहार को भेजी जायेगी ताकि वे अपने कार्यालय में संधारित पी० पी० ओ० पंजी को अद्यतन कर सके। पेंशन वितरण प्राधिकार महालेखाकार बिहार के कार्यालय से अनुलग्नक-3 में भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद ले लेंगे।

6. बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

60

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं० वि० (27) पें०को०-167/2006/659 वि०, दिनांक 31-07-2009 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री अरुनीश चावला, सचिव (व्यय), वित्त विभाग। सेवा में, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी।]

विषय : पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरलीकरण/संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। प्रचलित पेंशन प्रपत्रों यथा पेंशन/ परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपदान/पेंशन रूपान्तरण के लिए आवेदन-पत्र (बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193, 194 एवं 199), पेंशन और परिवार पेंशन की गणना तालिका (संकल्प सं० 11556, दिनांक 22-12-1999), पेंशन मंजूरी हेतु प्रपत्र (ज्ञापं सं० 642, दिनांक 14-01-1964) इत्यादि में संशोधन/सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त संशोधित/सरलीकृत पेंशन प्रपत्रों की प्रति (पेंशन प्रपत्र, फोटोग्राफ प्रपत्र, घोषणा-पत्र, पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की गणना तालिका/पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु- सह-सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति का फार्म तथा महालेखाकार का प्रमाण-पत्र एवं रिपोर्ट) संलग्न करते हुए कहना है कि इसे 1 अगस्त, 2009 से प्रभावी माना जायेगा। भविष्य में सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु उक्त सरलीकृत फार्म ही प्रयोग किया जाएगा।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

61

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता 01/2009-8974/वि० (2), दिनांक 18-9-2009 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन में महँगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक 1-1-2009 से संशोधन ।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 8894, दिनांक 22-10-2008 एवं संकल्प सं० 1348, दिनांक 24-10-2008 द्वारा राज्य कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को दिनांक 1-7-2008 के प्रभाव से 54 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 1 (3)/2008 E II (B), दिनांक 19-3-2009 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों (जिनका वेतन पुनरीक्षण 1-1-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 1-1-2009 से 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 64 प्रतिशत महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. तदनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 1-1-2006 के पूर्व दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से लागू केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों एवं वैसे पेंशनभोगी जिनके पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प सं० 11556, 11557 एवं 11558, दिनांक 22-12-1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता/राहत की राशि को महँगाई वेतन/पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 1-1-2009 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 10 प्रतिशत अतिरिक्त, कुल 64 प्रतिशत राशि महँगाई भत्ता/राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. महँगाई भत्ते की गणना मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जाएगी तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. मंत्री एवं मंत्री स्तर के सुविधा प्राप्त महानुभावों द्वारा नियुक्त बाह्य व्यक्तियों को भी उपर्युक्त दर से महँगाई भत्ता का नगद भुगतान किया जायेगा।

7. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप में कर दिया जायेगा।

8. जहाँ तक उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ता देने का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

62

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता-01/2009-12085/वि० (2), दिनांक 18-12-2009 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 1-7-2009 के प्रभाव से 22 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 819, दिनांक 23-9-2009 एवं 820 दिनांक 23-9-2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप 1-1-2009 के प्रभाव से 22 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी, 2009 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 42/12/2009 एवं पी० एवं पी०डब्ल्यू० (जी०), दिनांक 23-9-2009 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 1-7-2009 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है।

3. राज्य सरकार अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं तिथि से करती है।

4. अत: राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक 1-7-2009 के प्रभाव से औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन में 22 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन एवं महँगाई राहत के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई राहत अनुमान्य नहीं होगा। महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

5. महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभी/बिहार विधान परिषद् के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

63

***विषय : पेंशन संबंधी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सेवा निपृत्ति लाभों का त्वरित निष्पादन नहीं होने के चलते उच्च न्यायालय में पेंशन संबंधी मुकदमों की भरमार हो गई है तथा अधिकांश न्यायादेशों में पेंशन/उपदान तथा भविष्य-निधि में जमा राशि के भुगतान के अतिरिक्त दण्डात्मक दर से सूद एवं मुकदमा खर्च के भुगतान का निदेश भी न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है जिसके अनुपालन में वाध्यत: सरकार को पर्याप्त राशि को भुगतान करना पड़ता है । कई मामलों की समीक्षा में ऐसा पाया गया है कि विलम्ब के मूल में सरकारी सेवक का आचरण होता है, परन्तु फिर भी समय पर प्रशासनिक कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के चलते सरकार को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है ।

2. पेंशन संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण और त्वरित निष्पादन के संबंध में सरकार के द्वारा कई परिपत्र पूर्व में भी निर्गत किये गए हैं । परन्तु इसके बावजूद पेंशनी लाभों के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है और न्यायालयों में मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं ।

3. समीक्षा में पाया गया है कि समय पर पेंशनरी मामलों का निष्पादन नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं—

1. प्रोन्नति/वरीयता निर्धारण का लंबित होना ।
2. कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि लंबित होना ।
3. वेतन निर्धारण लंबित होना ।
4. विभागीय कार्यवाही का लंबित होना ।
5. अग्रिमों की वसूली लंबित होना ।

6. गलत कालबद्ध प्रोन्नति या वेतन के आधार पर भुगतान की गई राशि की वसूली ।
7. सेवा में टूट का विनियमन लंबित होना ।
8. सेवा का सत्यापन लंबित होना ।
9. भविष्यि-निधि लेखा का सत्यापन न होना ।
10. वरीयता/प्रोन्नति का न्यायालय में मुकदमा ।
11. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा समय पर अपेक्षित कार्रवाई में रूचि न लेना ।
12. पूर्व की सेवा को सेवा निवृत्त लाभों के लिये जोड़ना लंबित होना ।
13. सेवा निवृत्ति लाभ देने की कार्रवाई ससमय प्रारम्भ नहीं होगा ।

4. उपर्युक्त में से अधिकांश कारण ऐसे हैं कि जिनके निवारण के लिये सेवा निवृत्ति तक प्रतीक्षा किये जाने का कोई कारण नहीं है । वस्तुतः अगर गहराई में जायें तो पेंशनरी लाभों के निष्पादन में विलम्ब का मुख्य कारण विभिन्न स्तरों पर संवेदन शीलता की कमी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलाई और गैर-जवाबदेही है ।

5. यह कहने की जरूरत नहीं है कि कार्यालय के दिनानुदिन के काम जैसे सेवा सत्यापन, प्रोन्नति, अग्रिमों की स्वीकृति व वसूली विभागीय कार्यवाही का निष्पादन जैसे कार्य वित्तीय नियम के अनुसार और समयवद्धता के साथ हो तो सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान में जटिलतायें कम हो जायेंगी और विलम्ब की संभावना नहीं रहेगी ।

6. बहुत मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ प्रशासी विभागों का निर्णय लेने की शक्तियाँ विकेन्द्रित हैं और जहां बिहार सेवा संहिता/बिहार पेंशन नियमावली आदि के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं वैसे भी मामले वित्त विभाग/विधि विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में परामर्श के लिये भेज दिये जाते हैं । ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि ठोस और नियम पर के निर्णय लेने के लिये ऐसा किया गया है परन्तु कई मामलों में तथ्यों को देखकर ऐसी धारणा बनती है कि कई बार ऐसा टालने के निमित्त किया जाता है । यह प्रवृत्ति सचिवालय एवं संबद्ध विभागों के स्तर पर ज्यादा है । अतः विभागों के उच्च स्तर के पदाधिकारियों के स्तर पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि वैसे ही मामले में परामर्श लिये भेजे जायें जो नियमों से आच्छादित नहीं हो या जिनमें नियमों का अस्पष्टता हो या नियमों में विरोधाभास हो या नियमों से भिन्न/विपरीत कोई न्याय निर्णय हुआ हो ।

7. सेवा निवृत्ति लाभों पर ससमय निर्णय हो इसके लिये निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाय—(i) सभी कार्यालय प्रधान, जहां सेवा निवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है सेवा निवृत्ति के 18 माह पूर्व ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दें । सभी कार्यालय प्रधान अपनी अध्यक्षता में संबंद्ध अधीनस्थ पदाधिकारियों का एक सेल की गठन करेंगे जो सेवा निवृत्ति के सभी मामलों को लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करायेगी कि किसी कर्मी की सेवा निवृत्ति की तिथि को नियमानुसार सारी सेवा निवृत्ति लाभ मिल जाय । अगले 18 माह के अन्दर सेवा निवृत्ति होने वाले सभी अधीनस्थ कर्मचारियों का सूची संबंधित नियंत्री पदाधिकारी और विभागाध्यक्षों के स्तर पर संधारित की जाय ।

(ii) वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विकास कार्यों आदि के लिए वैसा कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाय जिसकी वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई बाद में हो सकती है ।

(iii) हर मामले में विस्तृत समीक्षा कर वैसे विषयों को पहचान कर ली जाय जो ससमय सेवा निवृत्ति लाभों की स्वीकृति में बाधा डाल सकते हैं ।

(iv) लंबित विषयों के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों भविष्य-निधि पदाधिकारी या विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी या जिला लेखा पदाधिकारी को सेवा निवृत्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखकर एक समय सीमा निर्धारित कर मामले का निष्पादन करने का अनुरोध कर दें ।

(v) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी से निर्धारित तिथि पर आवेदन प्राप्त कर लिया जाय, रूचि न लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोक कर भी आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की जवाबदेही कार्यालय प्रधान की होगी ।

(vi) संबंधित कर्मचारी की लंबित भविष्य-निधि की कटौती विवरणी भविष्य-निधि कोषांग में भेजकर एक निर्धारित समय सीमा में अद्यतन लेखा की मांग की जाय और समय पर प्राप्त न होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, भविष्य-निधि को इसकी सूचना दी जाय ।

8. सचिवालय स्तर पर परामर्श हेतु भेजी जाने वाली ऐसी संचिकाओं के ऊपर और पृष्ठांकन करते समय सेवा निवृत्ति की तिथि स्पष्ट तौर पर अंकित कर दी जाय ताकि संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो कि संचिका का निष्पादन त्वरित गति से किया जाना है ।

उपर्युक्त कार्रवाई से विलम्ब की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित करने और भुगतेय सूद की वसूली दोषी व्यक्ति से वसूल करने में आसानी होगी ।

9. सेवा निवृत्ति लाभ सभी कर्मियों को नियमानुसार ससमय प्राप्त हो जाय इसके लिये उच्च स्तर पर भी लंबित मामलों की लगातार समीक्षा आवश्यक है । इस ध्येय से विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित सेल का गठन किया जाय—

(1) कार्यालय प्रधान के अंतर्गत गठित होने वाले सेल की चर्चा कंडिका 7 (i) में की जा चुकी है ।

(2) जिला पदाधिकारी अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे जिसमें जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी यथा अधीक्षक असैनिक, शल्य चिकित्सक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता इत्यादि सदस्य रहेंगे । इस समिति में जिला लेखा पदाधिकारी तथा जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे । इस समिति का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह समीक्षा कर सुनिश्चित करवायेंगे कि जिला में जितने सरकारी कर्मी निकट भविष्य में सेवा निवृत्ति होने वाले हैं उन्हें सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत करने की संपूर्ण कार्रवाई संबंधित कार्यरत प्रधान के द्वारा कर ली गई है । जिला स्तरीय समिति जिला भविष्य-निधि कोषांग से आंकड़ों का कम्प्यूट्रीकृत उपयोग कर पूरे जिले के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की तिथि आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं ।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त अपने कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे जो कम-से-कम अपर समाहर्त्ता पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगा तथा जिसमें प्रमंडलीय स्तर के अन्य विभागों के पदाधिकारी सदस्य होंगे ।

(4) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर एक सेल का गठन करेंगे जिसमें सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित अन्य पदाधिकारी सदस्य होंगे । इसमें पदाधिकारी विशेष को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने उन्हें समय पर सेवानिवृत्त लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेह बनाया जायेगा ।

10. प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाली त्रैमासिक/मासिक बैठकों में ऐसे सभी मामलों की ओर जरूरत पड़ने पर बड़े विभागों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की अलग से भी समीक्षा की जाय । उसी प्रकार नियंत्री पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण/भ्रमण के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाय । विभागीय सचिव/विभागाध्यक्षों के स्तर पर होनेवाली मासिक बैठकों में सभी लंबित मामलों पर विचार किया जाय जो समय पर सेवा निवृत्त लाभों की स्वीकृति और भुगतान में बाधा डाल सकते हैं । इसके निस्तार के लिये समय सीमा निर्धारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया जाय और यह स्मरण भी दिलाया जाय कि पेंशनरी लाभों पर सूद भुगतान किये जाने की स्थिति में उसकी वसूली दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों से किये जाने का सरकारी निर्णय है ।

11. विभिन्न स्तरों पर सेल द्वारा समीक्षा का आधार सिर्फ आंकड़े न हों । (कि कितने मामले निष्पादित किये गये) वरन् उनका उद्देश्य समस्या और उसके निदान को पहचान कर उसे चिन्हित करना है । यह तभी होगा जब हर स्तर पर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की तिथि के अनुसार सूची संधारित हो । जहां भी कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो उसका पूरा उपयोग इस वर्ष के लिये किया जाय ।

12. सेल/समिति का गठन किये जाने की सूचना संबंधित पदाधिकारियों के नाम के साथ पत्र पाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर दी जाय, साथ ही सेवा निवृत्ति तिथिवार कर्मचारियों की सूची की पंजी संधारित करने और मोनिटरिंग के लिये की गई व्यवस्था की सूचना वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाय । किसी भी परिस्थिति में इस परिपत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों को परिचालित नहीं किया जाय बल्कि इसके आधार पर अपना एक्शन प्लान और निर्देश पत्र निर्गत किया जाय और उसकी प्रति भी वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । [***पत्र संख्या पी०सी० विविध 12/99/8042, दिनांक 30-8-1999**]

64

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्रांक संख्या वि (27) पे०को०-137/2008-119 वि०, दिनांक 8-2-2010 की प्रतिलिपि। प्रेषक, भानु प्रताप शर्मा, प्रधान सचिव। सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।]

विषय : केन्द्रीय षष्ठम् वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1-1-2006 के प्रभाव से नया वेतनमान के लागू होने के फलस्वरूप पेंशन की औपबन्धिक व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : वित्त विभागीय संकल्प सह-पठित ज्ञापांक 819 एवं 820, दिनांक 23-9-2009 तथा ज्ञापांक 1265, दिनांक 18-12-2009, वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 630, दिनांक 21-1-2010 ।

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्रों के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 630, दिनांक 21-1-2010 के द्वारा केन्द्रीय षष्ठम् वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1-1-2006 के प्रभाव से राज्यकर्मियों को नया वेतनमान लागू हो गया है, फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प सह-पठित ज्ञापांक 819 एवं 820, दिनांक 23-9-2009 तथा ज्ञापांक 1265, दिनांक 18-12-12009 द्वारा किये गये पेंशन पुनरीक्षण लाभ की औपबन्धिक व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जाती है।

अत: अनुरोध है कि पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में अन्तिम पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर (PPO) निर्गत करने एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जाय।

65

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक 3-ए-2-वे०पु०-16/09 (अंश-1)-3774, दिनांक 6-4-2010 की प्रतिलिपि।]

विषय : दिनांक 1-1-2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनर्निर्धारित वेतनमान के सत्यापन प्राधिकार के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के कर्मचारियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 630, दिनांक 21-1-2010 द्वारा 1-1-2006 से वेतन पुनरीक्षित करने का आदेश प्रसारित किया गया है। इस संकल्प में पुनर्निर्धारित वेतनमान की सत्यता की जाँच के निमित्त सत्यापन प्राधिकार का उल्लेख नहीं किया जा सका है। कतिपय कार्यालयों से एवं महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से इस बिन्दु पर वित्त विभाग को ध्यान आकृष्ट किया गया एवं पुनर्निर्धारित वेतन के सत्यापन हेतु सत्यापन प्राधिकार को सुनिश्चित करने के निमित्त अनुरोध प्राप्त हुआ है।

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिला लेखा पदाधिकारी संबंधित जिला के कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारण का सत्यापन करेंगे। कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवापुस्त एवं वेतन पुनर्निर्धारण विवरणी (शिड्यूल-V) में पुनर्निर्धारित वेतन सत्यापन हेतु जिला लेखा पदाधिकारी के कार्यालय को भेजेंगे। यह सत्यान एक वर्ष की अवधि में करा लिया जाना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवापुस्त एवं वेतन निर्धारण विवरणी जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कराने के बाद ही पेंशनादि के निर्धारण हेतु महालेखाकार कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिला लेखा पदाधिकारी भी ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वेतन सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के राज्य सरकार के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनर्निर्धारण का सत्यापन वित्त विभाग के वेतन निर्धारण शाखा द्वारा किया जाएगा। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान पुनर्निर्धारित वेतनमान का एक वर्ष के अंदर कर्मचारीवार सेवापुस्त एवं वेतन निर्धारण विवरणी भेजकर सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वेतन सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए एवं वेतन सत्यापन के उपरान्त ही पेंशनादि के निर्धारण के निमित्त सेवापुस्त महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाए।

66

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक 3ए-3भत्ता-01/2009-2191, दिनांक 11-3-2011 की प्रतिलिपि।]

विषय : राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में महँगाई राहत की दरों में दिनांक 1-7-2009, 1-1-2010 एवं 1-7-2010 के प्रभाव से संशोधन।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 8974, दिनांक 18-9-2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान वाले राज्य कर्मियों एवं अपुनरीक्षित पेंशन वाले पेंशन भोगियों को दिनांक 1-1-2009 के प्रभाव से 64 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में दिनांक 1-7-2009, 1-1-2010 एवं 1-7-2010 के प्रभाव से क्रमश: 73 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति वित्त विभागीय पत्रांक 12084, दिनांक 18-12-2009, 5015, दिनांक 12-5-2010 एवं 453, दिनांक 17-1-2011 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। परन्तु अपुनरीक्षित पेंशन लेने वाले राज्य के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

3. राज्य सरकार सेवारत कर्मियों और पेंशनरों दोनों को ही एक ही दर से महँगाई भत्ता/ राहत की स्वीकृति देती रही है।

4. अत: सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने दिनांक 1-1-2006 के पूर्व दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से लागू पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी, जिनका दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 1-7-2009, 1-1-2010 एवं 1-7-2010 के प्रभाव से क्रमश: 73 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(i) महँगाई राहत की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन एवं महँगाई पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जायेगी।

5. पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग I के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वाले के मामलों में दिया जाता है। साथ ही, कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से सम्बन्धित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मियों को अपुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

67

[बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009-3532, दिनांक 25-04-2011 की प्रतिलिपि।]

विषय– राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 12501, दिनांक 04 नवम्बर 2010 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से 45 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जुलाई 2010 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक- 42/15/2011-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू० (जी०) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार के पेंशनधारियों को देय महँगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि : –

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जाय।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

4. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 3556, दिनांक 09 मई 1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-I के नियम 344(1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार; बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। साथ ही कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

68

[बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या-वि० (27) पे० को०- 137/2009/ (पार्ट) 1499/वि० (2), दिनांक 20-06-2011 की प्रतिलिपि।]

विषय– वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित 45% (पैंतालिस) प्रतिशत पेंशन पुनरीक्षण के बकाये राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग– वित्त विभागीय संकल्प संख्या– 819 एवं 820, दिनांक 23-09-2009 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाये राशि का भुगतान निम्नरूपेण तीन किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है–

वर्ष	2009 - 10	15%
वर्ष	2010 - 11	40%
वर्ष	2011 - 12	45%

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पेंशन पुनरीक्षण के बकाया राशि के क्रमशः प्रथम (15%) एवं द्वितीय किस्त (40%) का भुगतान हो चुका है।

निदेशानुसार उक्त के क्रम में अनुरोध है कि वर्ष 2011-12 में भुगतान की जाने वाली बकाये राशि की तीसरी किस्त 45% (पैंतालिस प्रतिशत) का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाय।

69

[बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या-वि० (27) पे० को०- 12/2011-1805 वि०, दिनांक 26-07-2011 की प्रतिलिपि।]

विषय– पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभ के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवा–निवृत्ति लाभों का ससमय भुगतान नहीं होने के चलते उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में रिट याचिकाएँ और अवमानना वाद दायर हो रहे हैं। विलंब के चलते न्यायालय द्वारा अधिकांश मामलों में दंडात्मक दर से सूद एवं मुकदमा खर्च के भुगतान का आदेश पारित होता है। सरकारी कर्मचारियों को अपने वैध दावों के लिए न्यायालय में जाना पड़े यह सरकार के लिए चिंता का विषय है।

2. लंबित मामलों की समीक्षा से ऐसा स्पष्ट होता है कि समय पर पेंशनरी मामलों का निष्पादन नहीं होने के निम्नांकित में से एक या अधिक कारण होते हैं–

(1) सेवा का सत्यापन या बिना प्रभार की अवधि का विनियमन लंबित होना।

(2) कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि लंबित होना।

(3) वेतन निर्धारण का सत्यापन लंबित होना।

(4) विभागीय कार्यवाही का लंबित होना।

(5) अग्रिमों या गलत वेतन निर्धारण के आधार पर अधिक भुगतान की वसूली लंबित होना।

(6) भविष्य निधि लेखा का अद्यतन न होना।

(7) सेवा–निवृत्ति लाभों की स्वीकृति देने की कार्रवाई ससमय प्रारंभ नहीं करना।

(8) सेवा–निवृत्ति होनेवाले कर्मचारी द्वारा समय पर अपेक्षित कार्रवाई में रूचि न लेना।

3. उपर्युक्त कारणों में से प्रथम 6 ऐसे हैं जिनके निवारण के लिए सेवा–निवृत्ति तक प्रतीक्षा किए जाने का कोई कारण नहीं है। कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष का यह मूल दायित्व है कि वह हरेक माह अपने कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित विभिन्न संवर्गों के कर्मियों के वैयक्तिक मामलों; यथा-सेवा–सम्पुष्टि, प्रोन्नति, वेतन–निर्धारण का सत्यापन, अवकाश–स्वीकृति, सेवा–सत्यापन, गोपनीय चारित्रियों का अभिलेखन, अग्रिमों की वसूली, विभागीय कार्यवाही के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा और उसके आधार पर वसूली, विभागीय कार्यवाही के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा और उसके आधार पर त्रुटियों का निराकरण कराएँ। विभिन्न स्तरों पर संवेदनशील की कमी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलाई और गैर–जवाबदेही की वजह से ही उपर्युक्त रूटीन–कार्य सेवा–संहिता/वित्तीय नियमों के अनुसार और समयबद्धता के साथ नहीं होते। फलस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में जटिलताएँ बढ़ जाती है और विलंब होता है।

4. बहुत–से–मामलों में ऐसा पाया गया है कि जहाँ प्रशासी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान को निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित है और जहाँ बिहार सेवा संहिता/बिहार पेंशन नियमावली आदि के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, वैसे भी मामले वित्त विभाग/विधि विभाग/ सामान्य प्रशासन या नियंत्री पदाधिकारियों को परामर्श/सम्पुष्टि/मार्गदर्शन के लिए भेज दिए जाते हैं। कार्यालय द्वारा उपर्युक्त आशय के प्रस्ताव कई बार मामले को टालने के निमित्त दिये जाते हैं; पदाधिकारियों के स्तर पर ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन जानकारी की कमी, गैर–जवाबदेही और संवेदनशीलता की कमी दर्शाता हैं नियंत्री पदाधिकारियों की शिथिलता एवं लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय में मामले दर्ज हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस तरह के मामलों को शीघ्र निपटारे हेतु राज्य मुकदमा नीति, 2011 बनाई है। इसमें निहित प्रावधानों के तहत विभागों जिलों एवं अनुमंडलों में शिकायत निवारण कोषांग का गठन कर नोडल पदाधिकारी नामित किया जाना है, जो इस तरह के मामले का सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा कार्यालय प्रधान को वस्तुस्थिति की जानकारी देंगे। कोषांग के गठन के समय पर सेवान्त मामलों का निष्पादन हो सकेगा। यह ध्यान रखना है कि राज्य मुकदमा नीति न्यायालय में मुकदमा कम करने के लिए बनाया गया है।

5. सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रधानों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों पर ससमय निर्णय हो, इसके लिए निम्नांकित प्रकार से कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं–

(1) सभी कार्यालयों के प्रधान द्वारा कार्मिक और वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक माह समीक्षा की जाए और कार्यवाही की प्रति नियंत्री पदाधिकारी को दी जाए। प्रयास यही हो कि सेवा–सम्पुष्टि, सेवा–सत्यापन, वेतन–निर्धारण का सत्यापन, प्रोन्नति, सेवा विनियमन, अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली, भविष्य निधि लेखा अद्यतन, विभागीय कार्यवाही के लंबित मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन हो जाए।

(2) सभी नियुक्ति प्राधिकार/विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी और कार्यालय प्रधान द्वारा सभी संवर्गों के कर्मियों की सूची सेवा–निवृत्ति के तिथि के क्रम में तैयार कर अनिवार्य तौर पर संधारित की जाए। सभी प्राधिकारों का यह

लक्ष्य होना चाहिए कि सेवा-निवृत्ति की तिथि को सभी देय सेवा-निवृत्ति लाभ कर्मचारी को मिल जाए। इसके लिए संबंधित कार्यालय में सेवा-निवृत्ति विदाई का एक लघु समारोह आयोजित किया जाए।

(3) उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी कार्यालय प्रधान, जहाँ से सेवा-निवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जानी है, सेवा-निवृत्ति के 18 माह पूर्व ही निम्नांकित प्रकार से कार्रवाई प्रारंभ कर दें–

(i) 18 माह के अन्दर सेवा-निवृत्त होने वाले हरेक मामले की विस्तृत समीक्षा कर कर्मचारीवार वैसे बिन्दुओं की पहचान कर ली जाए जो ससमय-निवृत्ति लाभों की स्वीकृति में बाधा डाल सकते हैं।

(ii) संबंधित कर्मी को लंबित सभी बिन्दुओं की लिखित सूचना दें और उनसे अनुरोध करें कि वे भी उनका निष्पादन कराने में रूचि लें।

(iii) लंबित विषयों के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों (जैसे भविष्य निधि पदाधिकारी या विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी या जिला लेखा पदाधिकारी) को सेवा-निवृत्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखकर एक समय-सीमा निर्धारित कर मामले का निष्पादन करने का अनुरोध कर दें।

(iv) वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विकास कार्यों के लिए वैसा कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाए, जिसकी वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई बाद में हो सकती है।

(v) सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पत्र लिख दिया जाए कि वे कम से कम 6 माह पूर्व ही सभी आवेदन समर्पित कर दें, रूचि न लेने वाले कर्मचारी को निर्देश एवं कारण पृच्छा निर्गत कर और आवश्यक होने पर अनुशासनिक कार्रवाई कर भी आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की जवाबदेही कार्यालय प्रधान की होगी।

(vi) संबंधित कर्मचारी की अद्यतन कटौती-विवरणी जिला भविष्य निधि कोषांग/निदेशालय में भेजकर एक निर्धारित समय सीमा में अद्यतन लेखा की माँग की जाए, समय पर प्राप्त न होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय को इसकी सूचना दी जाए।

6. सचिवालय स्तर पर वित्त/सामान्य प्रशासन/विधि-विभाग को परामर्श हेतु भेजी जानेवाली ऐसी संचिकाओं के ऊपर 'सेवा-निवृत्ति मामला' और पृष्ठांकन करते समय सेवा-निवृत्ति की तिथि स्पष्ट तौर पर अंकित कर दी जाए ताकि संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो कि संचिका का निष्पादन त्वरित गति से किया जाना है। पत्रों के ऊपर भी 'सेवा-निवृत्ति मामला' टंकित किया जाए।

उपर्युक्त कार्रवाई से विलंब की स्थिति में, जिम्मेदारी निर्धारित करने और भुगतेय सूद की वसूली दोषी व्यक्ति से करने में आसानी होगी।

विभागों के उच्च स्तर के पदाधिकारियों के स्तर पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि वैसे ही मामले परामर्श के लिए भेजे जाएँ जो नियमों से आच्छादित नहीं हो या जिनमें नियमों की अस्पष्टता हो या नियमों में विरोधाभास हो या नियमों से भिन्न/विपरित कोई न्याय निर्णय हुआ हो।

7. सेवा-निवृत्ति लाभ सभी कर्मियों को सेवा-निवृत्ति की तिथि तक प्राप्त हो जाए, इसके लिए उच्च स्तर पर भी लंबित मामलों की लगातार समीक्षा आवश्यक है। इस उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाए–

(i) विभागों, विभागाध्यक्षों और बड़े कार्यालयों में एक सेल गठित किया जाए जो उपर्युक्त कंडिका 2 और 5 में वर्णित बिन्दुओं पर कार्रवाई की पाक्षिक/मासिक समीक्षा कर बाधाओं को दूर करे। अपेक्षाकृत छोटे कार्यालयों में कार्यालय प्रधान/नोडल पदाधिकारी स्वयं यह कार्य करें।

(ii) जिला पदाधिकारी अधीनस्थ अनुमंडलों/प्रखंडों-अंचलों और विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षात्मक बैठक में उपर्युक्त कंडिका 2 और 5 में अंकित बिन्दुओं पर अवश्य समीक्षा करेंगे और यह विषय स्थायी एजेंडा के रूप में रहेगा। इन बैठकों में उन विभागों में जिला लेखा पदाधिकारी तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में गठित कोषांग में सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार सभी विभागों के कर्मियों की सूची संधारित की जाए ताकि मामलों की समीक्षा 'नाम-वार' हो न कि 'संख्यावार'।

(iii) प्रमंडलीय आयुक्त भी अपनी मासिक/द्विमासिक समीक्षा बैठक में सेवा-निवृत्ति लाभों की स्वीकृति और भुगतान को स्थायी एजेंडा के रूप में रखेंगे। अधिक संख्या में लंबित मामलों वाले विभागों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(iv) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष एक सेल का गठन करेंगे, जिसमें सेवा-निवृत्ति लाभ की स्वीकृति से संबंधित सभी पदाधिकारी यथा-स्थापना, लेखा के प्रभारी पदाधिकारी सदस्य होंगे। एक वरीय पदाधिकारी सेल के प्रभारी होंगे जिन्हें सेवा-निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने, उन्हें समय पर सेवा-निवृत्ति लाभों को स्वीकृति तथा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।

(v) नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण/भ्रमण के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाए।

(vi) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्षों के स्तर पर होनेवाले मासिक बैठकों में सभी लंबित मामलों की समीक्षा के साथ उन बिन्दुओं पर विचार किया जाए जो समय पर सेवा-निवृत्ति लाभों की स्वीकृति और भुगतान में बाधा डाल सकते हैं। इसके निस्तार के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया जाए और यह स्मरण भी दिलाया जाए कि पेंशनरी लाभों पर सूद भुगतान की नौबत आने पर उसकी वसूली दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों से किए जाने से सरकारी निर्णय है।

8. पेंशन स्वीकृत करने, पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करने, अन्य सेवांत लाभ स्वीकृत करने की शक्ति जिन सक्षम पदाधिकारियों को प्रदत्त है, उनका यह मौलिक दायित्व होगा कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत उनका निष्पादन करें। सेवा-निवृत्ति की तिथि के 45 दिन पूर्व यदि वे पेंशन और भविष्य निधि संबंधी कागजात महालेखाकार/भविष्य निधि कोषांग को नहीं भेज पाते तो वे उसी तिथि को कारणों को उल्लेख करते हुए एक स्पष्टीकरण पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष को भेजेंगे। उसी प्रकार जिन सेवा-निवृत्ति लाभों का भुगतान उन्हीं के स्तर से होना है यथा छुट्टी का नगदीकरण और ग्रूप बीमा की राशि तो ऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति की तिथि तक भुगतान नहीं होने की स्थिति में एक स्पष्टीकरण पत्र उपर्युक्त प्राधिकारों को भेजेंगे। इसका ख्याल रखा जाए कि विलब की स्थिति में सूद भुगतान की राशि की वसूली मूल रूप से उन्हीं से की जाएगी और Onus of proof उन पर होगा कि वे स्पष्ट करें कि इसके लिए वे कैसे जिम्मेदार नहीं है या सिर्फ आंशिक तौर पर जिम्मेदार हैं।

9. पुराने लंबित मामलों (जून 2011 तक) के निष्पादन के लिए जुलाई 2011 से एक सघन अभियान चलाया जाए-

(i) सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को लगातार 6 माह तक पेंशन-सह-भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया जाय। पेंशन-सह-भविष्य निधि अदालत की तिथि का व्यापक प्रचार किया जाय और जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के मामले लंबित है उन्हें नोटिस देकर विशेष पेंशन अदालत में आमंत्रित किया जाय।

पेंशन एवं भविष्य निधि अदालत की कार्यवाही की प्रति वित्त विभाग के पेंशन कोषांग को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जाय।

जो विभागीय-सचिव/विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति के पुराने मामले लंबित होने के बावजूद अपने स्तर पर प्रत्येक माह पेंशन एवं भविष्य निधि अदालत का आयोजन नहीं करेंगे और अदालत की कार्यवाही की प्रति वित्त विभाग के पेंशन कोषांग को उपलब्ध नहीं करायेंगे, उन्हें सरकार की अप्रसन्नता संसूचित की जाएगी और उसकी चरित्र पुस्ति में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(ii) सभी विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में लंबित पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों के निष्पादन की मासिक समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्य सचिव को प्रत्येक माह उपलब्ध कराएँगे।

(iii) संबंधित कार्यालय प्रधानों/पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन माह के बाद यानी सितम्बर के वेतन विपत्र के साथ यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि उनके कार्यालय में पेंशन/अन्य सेवांत लाभों की स्वीकृति का कोई मामला लंबित नहीं है। अगर उनके कार्यालय में कोई मामला लंबित है तो उसके लंबित होने के कारण को, जो पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य हो, वेतन विपत्र के साथ अंकित करना होगा।

10. इस परिपत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद सभी विभागीय सचिवों द्वारा लंबित मामलों के निपटारे के लिए अपना एक्शन प्लान और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश-पत्र निर्गत किया जाएगा और उसकी प्रति वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाएगी।

11. इस परिपत्र के निर्गत किये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर सभी स्तरों पर सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की तिथिवार सूची की पंजी संधारित करने और मोनिटरिंग के लिए की गई व्यवस्था की सूचना क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारियों को और समेकित प्रतिवेदन विभागों द्वारा वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाए।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए।

70

[बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009-9634 वि०, दिनांक 18-10-2011 की प्रतिलिपि ।]

विषय– राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3532 वि०, दिनांक 25-04-2011 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2011 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-42/15/2011-P & PW(G) दिनांक 05-10-2011 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2011 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर से 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया हैं तद्नुसार राज्य के पेंशनधारियों को देय महँगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जाय।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

4. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 3556, दिनांक 09-05-1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। साथ ही कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती हैं इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. दिनांक 01-07-2011 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

71

[बिहार सरकार वित्त विभाग, संकल्प सं०-3ए-3-भत्ता-01/2009-10803/वि०, दिनांक 29-11-2011 की प्रतिलिपि।]

विषय– अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक 01 जुलाई 2011 से संशोधन के फलस्वरूप, दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 5211, दिनांक 10 जून 2011 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2010 के प्रभाव से 115 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 1(3)/2008-EII(B), दिनांक 17 अक्टूबर 2011 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01 जनवरी 2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01 जुलाई 2011 से 115 प्रतिशत से बढ़ाकर 127 प्रतिशत महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है–

(क) दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको दिनांक 01 जनवरी 2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई-भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 115 प्रतिशत से बढ़ाकर 127 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) महँगाई-भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(ग) महँगाई-भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई-भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) महँगाई-भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है। साथ ही, कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महँगाई-भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

72

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं०-3ए-3-भत्ता-01/2009-4737 वि०, दिनांक 02-05-2012 की प्रतिलिपि।]

विषय– राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-01-2012 के प्रभाव से 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 9634 वि०, दिनांक 18-10-2011 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2011 के प्रभाव से 58 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जुलाई 2011 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 42/13/2012-P & PW (G), दिनांक 04-04-2012 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2012 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार के पेंशनधारियों को देय महँगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 58 प्रतिशत की स्थान पर 65 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जाय।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

73

बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 में संशोधन

बिहार सरकार वित्त विभाग, अधिसूचनाएँ सं० वि० (27) पी० सी०-133/2009- 1006, दिनांक 19-07-2012, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार पेंशन नियमावली 1950 नियम 43 (ख) के बाद एक नया उप-नियम (ग) को जोड़ने का संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं–

43(ग) जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही या ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जिसमें उक्त सेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत हो, सेवा निवृत्ति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं हुई हो, वहाँ औपबंधिक की राशि नियमत: अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

●

Govt. of Bihar, Finance Dept. No. F (27) P.C. 133/2009-1006, dated 19th July 2012.- In exercise of the power conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to add one new sub-rule 43. (c) after sub-rule-43. (b) of Bihar Pension Rules, 1950 as mentioned below:—

"43.(c)- Where the departmental proceeding or judicial proceeding, in which the prosecution has been sanctioned against such servant, initiated during the service period of the government servant, is not concluded till the retirement of the government servant, the amount of provisional pension shall be less than the maximum admissible amount of pension but shall in no case be less than 90% (ninety percent).

The will come into force with immediate effect.

74

बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण

[वित्त विभाग संकल्प सं० 3ए2-वे० पु० 12/2009 (भाग-11)-14303, दिनांक 22-12-2010][1]

विषय – बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 735, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन आदि का पुनरीक्षण आदि किया गया था।

2. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि के संबंध में पद्मनाभन समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि के पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि को निम्नरूपेण पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है:–

(i) **न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा –** बिहार न्यायिक सेवा के वैसे पदाधिकारी जो दिनांक 02 सितम्बर, 2008 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा के बदले 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक होगा तथा 10 वर्षों की अर्हक सेवा पेंशन प्रदायी सेवा होगी। 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को सेवानिवृत्त की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाएगी। वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारी जो सेवानिवृत्ति की तिथि को 10 वर्षों से अधिक किन्तु 20 वर्षों से कम सेवा पूरी करते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर परिगणित पेंशन की राशि को आनुपातिक रूप से कम करके निर्धारित किया जाएगा। यह प्रावधान 02 सितम्बर, 2008 से लागू होगा।

(ii) **प्रभाव की तिथि –** इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान, वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामले में लागू होंगे जो 01 जनवरी, 2006 अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं अथवा उनकी मृत्यु हुई है।

---

1. Published in Bihar Gazette (Ex.ord.) No. 798, date 24-12-2010.

(iii) दिनांक 01 जनवरी, 2006 या उसके बाद एवं दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अंतिम वेतन का 33 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन नियमावली के नियमों के आलोक में पेंशन की गणना की जाएगी तथा उससे कम सेवा करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों के आनुपातिक आधार पर पेंशन स्वीकृत किया जाएगा।

(iv) **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान**— दिनांक 01 जनवरी, 2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकत्तम सीमा 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 (दस) लाख करने का निर्णय लिया गया है।

(v) **अधिक उम्र के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को पेंशन की राशि में वृद्धि**— बिहार न्यायिक सेवा के वैसे सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्होंने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन में निम्नांकित विवरणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा—

पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी का उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 से 85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 से 90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 से 95 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 से 100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

यह प्रावधान दिनांक 02 सितम्बर, 2008 से लागू होगा।

(vi) पेंशनधारी एवं सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को भत्तों के मद में बकाया राशि का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2011 के पूर्व किया जायेगा।

75

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० (27) पे०को० (विविध)-48/2011- 1155/वि०, दिनांक 8 अगस्त, 2012][1]

विषय— दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन समेकन/पुनरीक्षण की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या- 820, दिनांक 23-9-2009 की कंडिका-2 (V) में संशोधन के संबंध में।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P & PW(A) पार्ट-I, दिनांक 03-10-2008 द्वारा अपने ही ज्ञापन संख्या 38/37/08-P & PW(A) दिनांक 01-09-2008 की कंडिका 4.2 में किये गये संशोधन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 820, दिनांक 23-09-2009 की कंडिका-2 (V) में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

1	2
वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 820 दिनांक 23-09-2009 की कंडिका-2(V) का प्रावधान।	संशोधित प्रावधान।
"पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"	"पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग से 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। परन्तु पूर्ण पेंशन के लिए अधिकत्तम अपेक्षित सेवा (33 वर्ष) से कम होने की अवस्था में पेंशन अनुपातिक रूप से कम कर परिगणित की जायेगी।"

1. बिहार गजट (असाधारण-अंक) दिनांक 08-08-2012 में प्रकाशित ।

2. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/विधान परिषद् से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से निर्गत किया जायेगा।

76

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० 3ए-3-भत्ता-01/2009-15578 वि०, दिनांक 02-11-2012][1]

विषय– राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-07-2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग की संकल्प सं० 4737 वि०, दिनांक 02-05-2012 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2012 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक- 42/13/2012-P & PW(G) दिनांक 04-10-2012 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2012 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर से 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जाय।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि की नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

4. माह नवम्बर, 2012 के पेंशन से इस बढ़े हुए महँगाई राहत के दर को जोड़कर पेंशन भुगतान किया जायेगा और 01-07-2012 से लेकर अक्टूबर तक की महँगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान नवम्बर, 2012 माह के पेंशन के भुगतान के बाद किया जायेगा।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556, दिनांक 09-05-1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन सेवा-निवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। साथ ही कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक 01-07-2012 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

---

1. बिहार गजट (असाधारण-अंक) दिनांक 02-11-2012 में प्रकाशित ।

77

राज्य के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को पुनरीक्षित पेंशन पर 1 जनवरी, 2013 के प्रभाव से 80% की दर से महँगाई राहत

(1 जनवरी, 2013 से प्रभावी)

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2003-5358/वि०, दिनांक 27-05-2013 की प्रतिलिपि ।]

विषय – राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-01-2013 के प्रभाव से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०- 15578, दिनांक 02-11-2012 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01-07-2012 के प्रभाव से 72 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई, 2012 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार के कार्यालय के ज्ञाप-एफ०नं०-42/13/2012-P&PW(G) दिनांक 02-05-2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-01-2013 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि:–

(i). राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-01-2013 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जाय।

(ii). महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii). महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv). उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v). उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

4. इस बढ़े हुए महँगाई राहत के दर को जोड़कर पेंशन दिनांक 01-01-2013 से भुगतान किया जाएगा ।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 3556, दिनांक 09-05-1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है । उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष पेंशनभोगियों को देय होगी, जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान के विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेजे दें । बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. दिनांक 01-01-2013 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय । ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी ।

ह०/–

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

78

राज्य के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को पुनरीक्षित पेंशन पर 1 जुलाई, 2013 के प्रभाव से 90% की दर से महँगाई राहत

(1 जुलाई, 2013 से प्रभावी)

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-10556/वि०, दिनांक 09-10-2013 की प्रतिलिपि ।]

विषय- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 महँगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 5358, दिनांक 27-05-2013 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2013 के प्रभाव को 80 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-एफ०नं०-42/13/2012-P&PW(G) दिनांक 03-10-2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि: –

(i). राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii). महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

(iii). महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv). उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v). उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 3556, दिनांक 09-05-1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है । उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष पेंशनभोगियों को देय होगी, जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार के बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से स्वीकृति महँगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय । ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

79

सेवानिवृत राज्यकर्मियों को देय उपदान की गणना उनके पुनरीक्षित वेतनमान में तथा 10 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत स्वीकृति ।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्र सं०-वि०(27) पे०को०-72/2009-774/वि०, दिनांक 27-05-2013 की प्रतिलिपि ।]

विषय– दिनांक 01-04-2007 से दिनांक 23-09-2009 तक सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों को देय उपदान की गणना उनके पुनरीक्षित वेतनमान में तथा 10 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं०- 819, दिनांक 23-09-2009 को कंडिका-2(VI) (ख) के प्रावधान पर वेतन पुनरीक्षण की विसंगति के निराकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कंडिका- 02-12-2013 की अनुशंसा "दिनांक 01-04-2007 से दिनांक 23-09-2009 तक सेवानिवृत राज्यकर्मियों के लिये नये दर पर उपदान की गणना करने हेतु संशोधित आदेश निर्गत किया जाय" जो राज्य सरकार के विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं० 819 दिनांक 23-09-2009 की कंडिका- 2(VI)(ख) में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:–

पूर्व के प्रावधान	संशोधित प्रावधान
"01 जनवरी 2006 के उपरान्त तथा आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवकों को देय उपदान की गणना उनके अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर होगी । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उनके लिये उपदान की पुरानी अधिसीमा (3.50 लाख) ही लागू रहेगी" ।	"दिनांक 01-04-2007 से दिनांक 23-09-2009 तक राज्य के सेवा निवृत्त कर्मियों को उनके देय उपदान की राशि की गणना पुनरीक्षित वेतनमान तथा 10.00 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत की जायेगी" ।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819, दिनांक 23-09-2009 की कंडिका- 2(VI) (ख) का प्रावधान उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

80

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-3ए-3वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4568-वि०, दिनांक 28-05-2014 की प्रतिलिपि।]

विषय: राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10556 वि० दिनांक 09-10-2013 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से 90 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार के कर्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-एफ० नं०-42/10/2014-P&PW(G) दिनांक 09-04-2014 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महंगाई राहत का गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ भुगतान दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

4. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत देय नहीं होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वाले के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

81

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक सं०-3ए-3-भत्ता-01/2012-12685/वि०, दिनांक 19-12-2013 की प्रतिलिपि।]

विषय: अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2013 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5359, दिनांक 27-05-2013 के द्वारा अपनुरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01-01-2013 के प्रभाव से 166 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1-13/2008-EII(B), दिनांक 07-10-2013 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत 166 प्रतिशत से बढ़ाकर 183 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत अनुपरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है –

(क) दिनांक 01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 166 प्रतिशत से बढ़ाकर 183 प्रतिशत किया जाता है।

(ख) महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(ग) महंगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पेंशन भोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है। साथ ही, कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

82

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4569/वि०, दिनांक 28-05-2014 की प्रतिलिपि।]

विषयः अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-01-2014 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 12685, दिनांक 19-12-2013 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01-07-2013 के प्रभाव से 183 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक सं०-1(3)/2008-संस्था- II (B), दिनांक 22-04-2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 183 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 200 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है –

(क) दिनांक 01-01-2006 के पूर्व दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव

से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 183 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जाता है।

(ख) महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(ग) महंगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/ वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। **(शेष भाग पूर्ववत्)**

83

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, सं० 14/विविध-6/6(खंड-II)-944 (14), दिनांक 20-8-2014 की प्रतिलिपि ।]

विषय: बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति।

सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की ओर से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न श्रोतों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसी प्रसंग में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों संगठनों एवं पेंशनर समाज द्वारा भी मांग पत्र प्राप्त हुये हैं। सेवानिवृति के पश्चात् कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/पत्नी के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है।

2. प्रस्तावित सुविधा राज्य के सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके पति/पत्नी (बोर्ड/निगम के कर्मियों को छोड़कर) एवं पारिवारिक पेंशनरी को उपलब्ध रहेगी।

3. **(क)** इसके मुख्य अवयव निम्नप्रकार होंगे :-

(i) राज्य में अवस्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सारी चिकित्सीय सुविधाएँ मुफ्त उपलब्ध करायी जाएँगी।

(ii) राज्य के अंदर एवं बाहर के CGHS द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों में असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत अधिसूचित रोगवार अधिकतम व्ययसीमा के अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) राज्य के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा :-

इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नप्रकार होंगी :-

(i) सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) के लिए विशिष्ट रूप से काउण्टर एवं बैठने की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाएगी।

(ii) उन अस्पतालों में उपलब्ध सारी सुविधाएँ इन्हें मुफ्त दी जाएगी।

(iii) इन अस्पतालों में यदि निजी क्षेत्र की भागीदारी से कोई paid services चलायी जा रही हो या चलायी जानी वाली हो तब भी यह सुविधा इन्हें मुफ्त दी जाएगी। इस हेतु सरकार उन अस्पतालों (जहाँ paid services चल रहा हो) की रोगी कल्याण समितियों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी और वह समिति इस हेतु राशि संबंधित रोगी को उपलब्ध कराएगी। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए रोगी कल्याण समितियों को अग्रिम राशि दी जाएगी।

(ग) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधीन अधिसूचित रोगों के लिए राशि निम्न अनुसार है :-

क्रमांक	क्रमांक	रोगों का नाम	अनुदान की राशि रूपये में	
			राज्य के अन्दर चिकित्सा	राज्य के बाहर चिकित्सा
1		2	3	4
1	कैंसर रोग	शल्य चिकित्सा सहित	40000	60000
		शल्य चिकित्सा रहित	20000	25000

2		डी०भी०आर०		13000
		एम० भी० आर०	90000	91000
		पेस मेकर	50000	50000
		एसटोनेसिस/बैलुनभ	25000	25000
	हृदय रोग	एसटोसी		
		सी०ए०बी०जी०	60000	60000
		पी०टी०सी०ए०	85000	85000
		ए०एस०डी०	35000	50000
		एसटोनेसिस/बैलुनभ एसटोसी	25000	37000
3	गुर्दा रोग	शल्य चिकित्सा सहित		15000
4	ब्रेन ट्यूमर	लघु शल्य प्रक्रिया	15000	15000
		वृहत शल्य क्रिया	25000	25000
5	एड्स		50000	50000
6	टोटल हिप अथवा नी रिपलेसमेन्ट		15000	20000
7	स्पाईनल सर्जरी		10000	15000
8	मेजर वासकुलर सर्जरी		20000	25000
9	बोन मैरो ट्रान्सप्लान्ट		25000	25000

(i) ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' की योजना इन सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए मान्य होगी। इसके लिए निर्धारित आय सीमा का बंधेज नहीं होगा।

(ii) राज्य के अंदर एवं बाहर सरकारी/CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में रोगों के लिए प्रावधानित राशि की अधिसीमा तक राशि संबंधित संस्थान को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(iii) इसके लिए संबंधित सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मी को चिकित्सा संस्थान की अनुशंसा/प्राक्कलन के साथ इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष अनुरोध देना होगा और वह समिति राशि की स्वीकृति देकर संबंधित संस्थान को उपलब्ध कराएगी।

(iv) इस हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की तर्ज पर सभी जिलों में निम्नानुसार समितियाँ गठित की जाएगी :-

1.	जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	वरीय पुलीस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	अधीक्षक, सदर अस्पताल	–	सदस्य
4.	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	सिविल सर्जन	–	सदस्य सचिव

पटना जिलों में चूँकि पेंशनधारियों की संख्या ज्यादा होगी इसलिए उपरोक्त जिलास्तरीय समितियों के अतिरिक्त पटना जिला में तीन अनुमंडलीय स्तर के समितियाँ कार्य करेंगी जो निम्नप्रकार होंगे :-

1.	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी/दानापुर	–	अध्यक्ष
2.	अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी/दानापुर	–	सदस्य
3.	अधीक्षक/उपाधीक्षक, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल/ गर्दनीबाग अस्पताल/गुरू गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी	–	सदस्य

4.	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी/दानापुर	-	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	-	सदस्य
6.	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि	-	सदस्य सचिव

(घ) अन्यान्य :-

(i) यह योजना सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए ऐच्छिक होगी। उन्हें विकल्प होगा कि वे पूर्ववत् प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता सरकार से लेते रहें तो उस परिस्थिति में इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। यदि वे इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो चिकित्सा भत्ता नहीं लेना होगा और उस निर्णय की स्थिति में उन्हें उनके प्रति/पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

(ii) दोनों विकल्पों में से एक चयन संकल्प निर्गत होने की तिथि से 31 अक्टूबर, 2014 तक पूर्व से सेवानिवृत कर्मचारियों/पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इस तिथि के पश्चात् सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी पेंशन प्रपत्र के साथ विकल्प दे सकेंगे।

(iii) सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी अपना विकल्प संबंधित बैंक शाखा/कोषागार जहाँ से वे पेंशन प्राप्त कर रहे है/उनकी पत्नी/पति पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को देंगे जिसके स्तर से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा कि वे चिकित्सा भत्ता नहीं ले रहे है।

(iv) इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष से व्यय का वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किया जाएगा और इस हेतु बजटीय उपबंध को बढ़ाया जाएगा। इस कोष से राशि 2(ख) एवं 2(ग) के लिए उपलब्ध करायी जाएगी जिस हेतु समितियों को एक बैंक एकाउण्ट संधारित करना होगा।

(v) तत्काल 2(ग) के अंतर्गत गठित समितियों के कार्यालय कार्य/लेखा संधारण हेतु स्थानीय व्यवस्था कर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वियन में विभिन्न स्तर पर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। अतः इस योजना का कार्यान्वियन 01 नवम्बर, 2014 से राज्य में लागू होगा। इस योजना के कार्यान्वियन हेतु विस्तृत मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार अलग से वित्त विभाग के परामर्श से जारी किया जायेगा।

84

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक सं०-वि० (27) पे०को०-42/2012 - 1084/वि०, दिनांक 04-08-2014 की प्रतिलिपि।]

विषय: राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/- रुपये स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग का ज्ञापांक-14/एम० 6-03-96-5308 (क) दिनांक 24-07-2001 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 100/- रुपये प्रतिमाह भत्ता के रूप में स्वीकृत है, जो दिनांक 01-06-2001 से प्रभावी है।

2. वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा थी कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मियों की भांति 200/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए।

3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- चिकित्सा भत्ता की दर से पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- रुपये चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाए।

4. यह आदेश दिनांक 01-08-2014 से प्रभावी होगा।

85

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-9556-वि०, दिनांक 17-10-2014 की प्रतिलिपि।]

विषय: राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01-07-2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4568 वि० दिनांक 28-05-2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-एफ० नं०-42/10/2014-P&W(G) दिनांक 29-09-2014 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से महंगाई राहत की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। **(शेष भाग पूर्ववत्)**

86

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-9557-वि०, दिनांक 17-10-2014 की प्रतिलिपि।]

विषय: अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 4569, दिनांक 28-05-2014 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01-01-2014 के प्रभाव से 200 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक सं०-1-3-2008-E-II (B), दिनांक 25-09-2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 200 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 212 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है –

(क) दिनांक 01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रशित किया जाता है।

(ख) महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(ग) महंगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे का कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। **(शेष भाग पूर्ववत्)**

87

[बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, ज्ञापांक-7/मु०-01-61/2015-480, दिनांक 01-05-2015 की प्रतिलिपि।]

आदेश

संचिका संख्या-7/मु०-01-61/2015-480, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 562/2014 (कपिलेश्वर प्रसाद राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 10-2-2015 को पारित न्यायादेश का Oprational Part निम्नवत् है :-

"Let a copy of this order be sent to the Principal Secretary, Education Department for issuance of an order by him to all the concerned district heead of Education

Department to ensure that the no case for retirement benefit is kept pending at their level beyond a period of one month from the date of retirement of the concerned teacher/ employee as also their becoming personally liable to pay interest from their own pocket on account of delay caused by them in sanctioning personal and/or final pension and other retirement benefit."

2. राज्य सरकार के कर्मी एवं शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के उपरांत देय लाभ यथा अव्यवहृत अर्जिता अवकाश का नगदीकरण, ग्रुप जीवन बीमा की राशि, सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि, उपादान, पेंशन आदि है।

3. जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का एकीकृत कार्यालय है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों के नियुक्ति प्राधिकार है। साथ ही, राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी नियुक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के अनुपालनार्थ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उनके क्षेत्राधीन कार्यरत उक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवा निवृत्ति की तिथि को ही सेवांत लाभ दे दिया जाय। अभिलेखों के अभाव एवं अन्य कारणों से किसी भी परिस्थिति में सेवा निवृत्ति की तिथि से अधिकतम एक माह के अन्तर्गत सेवा निवृत्त उपरांत देय लाभ की स्वीकृति नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में विलम्ब के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए विलम्ब अवधि के लिए सूद की राशि की गणना नियमानुसार कर उसकी वसूली संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतनादि से करते हुए उसका भुगतान संबंधित कर्मी के पक्ष में किया जायेगा।

5. इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी छः माह की अवधि अन्तर्गत सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों/शिक्षकों की अग्रिम सूची का संधारण अपने कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे और उक्त सूची के आलोक में समयबद्ध तरीके से सेवा निवृत्ति के उपरांत देय लाभों के भुगतान का सतत अनुश्रवण करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

88

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-3ए-3वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4729-वि०, दिनांक 25-05-2015 की प्रतिलिपि।]

विषय: राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-9556 वि० दिनांक 17-10-2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से 107 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-एफ०-42/10/2014-P&W(G) दिनांक 27-04-2015 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से महंगाई राहत की दर को 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। **(शेष भाग पूर्ववत्)**

89

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-3ए-2वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4736-वि०, दिनांक 25-05-2015 की प्रतिलिपि ।]

विषय: अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-9557, दिनांक 17-10-2014 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01-07-2014 के प्रभाव से 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक सं०-1(3)/2008-E-II(B),दिनांक 25-04-2015 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 212 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 223 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् करने का निर्णय लिया है–

(क) दिनांक 01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2015 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत किया जाता है ।

(ख) महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) महंगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा । किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । **(शेष भाग पूर्ववत्)**

90

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-3वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-7923-वि०, दिनांक 09-09-2015 की प्रतिलिपि ।]

विषय: राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4729 दिनांक 25-05-2015 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09-09-2015 को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई राहत की दर को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया है ।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा । **(शेष भाग पूर्ववत्)**

91

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-1214-वि०, दिनांक 16-02-2016 की प्रतिलिपि ।]

विषयः अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 4736, दिनांक 25-05-2015 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01-01-2015 के प्रभाव से 223 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापान सं०- 1(3)/2008-ई- II (बी), दिनांक 01-01-2015 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृति दर 223 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 234 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है—

(क) दिनांक 01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01-07-2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर से 223 प्रतिशत से बढ़कर 234 प्रतिशत किया जाता है ।

(ख) महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) महँगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

(शेष भाग पूर्ववत्)

92

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संचिका संख्या-3/एफ०-01-48/2014-3910/वि०, दिनांक 11-05-2016 की प्रतिलिपि ।]

विषयः पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः वित्त विभागीय पत्रांक- 9644, दिनांक 21-10-2014.

वित्त विभागीय पत्रांक- 9644, दिनांक 21-10-2014 के क्रम में सूचित करना है कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा की विकल्प नहीं देने वाले सेवा निवृत्त कर्मी/पदाधिकारी को चिकित्सा भत्ता का भुगतान पूर्व की भाँति की जाती रहेगी जिसे बैंक या कोषागार नहीं रोक सकेंगे का निर्णय संसूचित है ।

ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विकल्प नहीं दिये गये हैं उनका भी बैंकों द्वारा मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ शाखाओं को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट किया जाय कि जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विकल्प नहीं दिया गया है उनसे इस आशय का आत्मउद्घोषणा प्रमाण पत्र (Undertaking) प्राप्त करते हुए कि ''वे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना में शामिल नहीं है अतएव पूर्ववत् नियमित रूप से 200/- (दो सौ) रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता के रूप में भुगतान जारी रखा जाय'' यदि पूर्व में ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से इस मद में देय राशि की कटौती की गई हो तो उन्हें एक मुश्त भुगतान कर दिया जाय।

इस योजना में स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

93

बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016

[बिहार सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना ज्ञापांक -वि० (27) पें०को० (मु०)-101/2015-180/ वि०, दिनांक 23-02-2016 की प्रतिलिपि ।]

भारत संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली- 1950 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। (1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 1950 के नियम- 186 के उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप नियम-(3) जोड़ा जाएगा :–

"(3) (i) सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से नियोजित दम्पत्ति में से किसी एक की मृत्यु होने एवं दूसरे के सेवारत रहने पर उन्हें वेतन के अतिरिक्त परिवार पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी।

(ii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी को परिवार पेंशन पर सेवानिवृत्ति तक महँगाई राहत अनुमान्य नहीं होगा। परन्तु सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिवार पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य हो जाएगा।''

94

[बिहार सरकार, वित्त विभाग सं० 3ए-9-विविध-24/2013-6151/वि०, दिनांक 05-08-2016 की प्रतिलिपि ।]

विषय: वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 10710, दिनांक 17-10-2013 के सभी शर्तों को पूरा करनेवाले वैसे कार्यभारित कर्मी जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु संकल्प निर्गत होने की तिथि 17-10-2013 एवं प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच की अवधि में हो जाती है, उन्हें सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितीकरण का लाभ अनुमान्य किए जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 10710, दिनांक 17-10-2013 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मियों को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वैसे कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मी जिनकी नियुक्ति दिनांक 11-12-1990 को या उसके पूर्व हुई है, को नियमितीकरण का लाभ अनुमान्य किए जाने की तिथि का प्रावधान इसी संकल्प की कंडिका- 4(ii) में इस प्रकार किया गया है– ''इसका लाभ उन कर्मियों को ही मिलेगा जो इस नीतिगत निर्णय सम्बन्धी संकल्प निर्गत होने के बाद प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि को सेवा में हो।

2. राज्य सरकार के अधीन के कार्यालयों/विभागों द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मी जो संकल्प संख्या- 10710, दिनांक 17-10-2013 की शर्तों को पूरा करते हैं, किन्तु 17-10-2013 एवं प्रशासी विभाग द्वारा नियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो जाते हैं, उन्हें नियमितीकरण का लाभ देय होगा अथवा नहीं।

3. श्रीमती विश्वपति देवी के पति स्व० मुसाफिर महतों पथ निर्माण विभाग में कार्यभारित स्थापना में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु 17-10-2013 एवं समायोजन संबंधी विभागीय आदेश निर्गत की तिथि के मध्य

में हो गयी। श्रीमती विश्वपति देवी द्वारा पेंशनादि के लिए सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या- 16929/2014 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20-02-2015 को न्यायादेश पारित किया गया। इस इस न्यायादेश द्वारा श्रीमती विश्वपति देवी को उनके पति की मृत्यु की तिथि से नियमितीकरण का लाभ प्रदान करने तथा तद्नुसार परिवार पेंशनादि के गणना करने का आदेश दिया गया।

4. उल्लेखनीय है कि संकल्प निर्गत होने के बाद प्रशासी विभाग द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई करने के क्रम में पूरे राज्य से अभिलेख प्राप्त कर आदेश निर्गत करना होता है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। अतएव, अंतिम आदेश निर्गत होने में हुए प्रक्रियात्मक विलम्ब में उन कर्मियों को प्राकृतिक रूप में दोषी नहीं माना जा सकता।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए ऐसे मामलों में नियमितीकरण के लाभ की अनुमान्यता के सन्दर्भ में निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

6. अत: सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि वैसे कार्यभारित कर्मी जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 10710, दिनांक 17-10-2013 के सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं परन्तु संकल्प निर्गत होने की तिथि 17-10-2013 एवं प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो जाते हैं, तो उन्हें भी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितीकरण का लाभ अनुमान्य होगा।''

95

बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016

[बिहार सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना सं० वि० (27) पें०को०-36/2016-1030/ वि०, दिनांक 03-11-2016 की प्रतिलिपि।]

भारत के संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ– (1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 1950 के नियम- 169 के बाद निम्नलिखित नया नियम 169 (क) जोड़ा जाएगा:-

"169 (क) ऐसे भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्योपरांत जिन्हें सैनिक एवं असैनिक सेवा हेतु दोहरा पेंशन अनुमान्य है; उनके आश्रितों को भी दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा।''

96

राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को जुलाई, 2016 से 132% की दर से महँगाई राहत

[बिहार सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-9386-वि०, दिनांक 09-12-2016 की प्रतिलिपि।]

विषय: पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01-07-2016 के प्रभाव से 125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3576 वि० दिनांक 03-05-2016 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2016 के प्रभाव से 125 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 01/03/2008-E-II (B), दिनांक 09-11-2016 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01-07-2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 128 से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर राज्य कर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व का वेतन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2016 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व पेंशन में 125 के स्थान पर 132 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशिं को छोड़ दिया जाएगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वाले के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए।

8. दिनांक 01-07-2016 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

●

97

[वित्त विभाग, संकल्प सं० वित्त(27) पे०को०-187/2010-1213, दिनांक 04-09-2014 की प्रतिलिपि।]

विषय– दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) को (i) सेवाकाल में मृत्यु होने (ii) सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं (iii) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को गैर पेंशनरी अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

भारत सरकार के द्वारा दिनांक- 01-01-2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना लागू की गयी है । वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1964, दिनांक- 31-08-2005 द्वारा दिनांक- 01-09-2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए ''बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना- 2005'' लागू की गयी है जो केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही है ।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 2469, दिनांक- 16-11-2005 के द्वारा इस योजना को लागू करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

3. पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) जो नई अंशदायी पेंशन योजना के नियामक है, के परिपत्र संख्या Cir No.- PFRDA/2013/2/PDEX/2 SL-2 के द्वारा National Pension System के संबंध में Exit Rules का प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है ।

(a) Upon Normal Superannuation: At least 40% of the accumulated pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annuity providing for monthly pension to the subscriber and balance is paid as lump sum payment to the subscriber.

(b) Upon Death: The entire accumulated pension wealth (100%) would be paid to the nominee/legal heir of the subscriber and there would not be any purchase of Annuity/Monthly pension.

(c) Exit from NPS before the age of Normal Superannuation (irrespective of cause): At least 80% of the accumulated pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of Annuity providing for monthly pension to the subscriber and the balance is paid as a lump sum payment to the subscriber.

4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2411, दिनांक- 12-11-2005 के द्वारा राज्य के सभी स्तर के सेवकों को कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ देने का प्रावधान किया गया है । परन्तु दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद के नियुक्त सरकारी सेवकों को इस योजना का लाभ देय नहीं है । उसी प्रकार वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 1441, दिनांक- 10-10-2013 के द्वारा कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों के आश्रितों को 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है किन्तु इसमें यह उल्लेख नहीं है कि नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों को उक्त लाभ देय है अथवा नहीं ।

5. उपर्युक्त कंडिका-4 से स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित कर्मियों को कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटना या सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मारे जाने/मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ दिये जाने का जो प्रावधान है, उन्हें नई पेंशन योजना लागू करने के प्रारंभिक चरण में मार्ग दर्शिका/गाइड लाईन में अस्पष्टता के कारण नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों पर लागू नहीं किया जा सका है । राज्य सरकार के समक्ष नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी सेवकों को उपर्युक्त गैर पेंशनरी लाभ दिया जाना विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य सरकार ने दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) को सेवाकाल में मृत्यु होने/सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को पेंशन फंड

रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) के दिशा निदेश के अनुसार शत प्रतिशत (100%) संचित राशि के भुगतान के अतिरिक्त निम्नांकित रूप से गैर पेंशनरी अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने निर्णय लिया है:–

(क) एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों के आलोक में और तद्नुसार निर्धारित अधिसीमा में दिया जायेगा।

(ख) कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 1441, दिनांक- 10-10-2013 में निर्धारित शर्तों के अधीन 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान की सुविधा आदेश निर्गत की तिथि से देय होगी।

(ग) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने की स्थिति में 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान देय होगा। यह लाभ संकल्प संख्या- 2411 निर्गत होने की तिथि अर्थात्, दिनांक- 12-11-2005 के प्रभाव से लागू होगा। परन्तु ऐसे कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी।

सुविधाओं/लाभों के संबंध में पूर्व के निर्गत आदेश/निर्णय इस हद तक विलोपित/संशोधित समझे जायेंगे।

98

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं०-वि० (27) पे० को०-(विविध)-04/11 खण्ड-1, 1227/वि०, दिनांक 08-09-2014 की प्रतिलिपि।]

विषय– दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों द्वारा नई ग्रूप बीमा योजना नियमावली, 1997 के अंतर्गत ग्रूप बीमा मद में अंशदान दिए जाने के संबंध में।

वित्त विभाग संकल्प संख्या- 1964, दिनांक 31-08-2005 के द्वारा दिनांक- 01-09-2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है।

2. संकल्प संख्या- 1964, दिनांक- 31-08-2005 की कंडिका-6 में यह प्रावधान किया गया है कि योजना प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात्- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जाएगी। अभिप्राय यह है कि 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 एवं इसके अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्र आदि में किए गए प्रावधानों का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

3. ऊपर कंडिका-2 में अंकित प्रावधान से स्पष्ट है कि दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के संदर्भ में, दिनांक- 01-09-2005 के पूर्व नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए लागू अन्य नियमावलियों के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। तद्पि कुछेक कार्यालयों/विभागों से इस बिन्दु पर दिशा निर्देश की अपेक्षा की जाती है कि दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामले में ग्रूप बीमा मद में कटौती की जाए अथवा नहीं। इससे नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी नई ग्रूप बीमा योजना के लाभ से कुछ दिनों के लिए वंचित रह जाते हैं। सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने इस संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जो निम्नवत् है:–

(i) दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामले में नई ग्रूप बीमा योजना नियमावली 1997 के नियम-3 में किए गए प्रावधान के अनुरूप अनुमान्य दर से ग्रूप बीमा मद में काटौती की जाए।

(ii) नई ग्रूप बीमा योजना मद में की जाने वाली कटौती की राशि/अंशदान के संबंध में सरकारी सेवक के सेवापुस्त में संबंधित डी०डी०ओ० द्वारा सेवा सत्यापन के समय वेतन भरपाई पंजी के आधार पर इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि संबंधित सरकारी सेवक के ग्रूप बीमा मद में अमुक दर से कटौती की गई है।

(iii) दिनांक- 01-09-2005 के बाद नियुक्त ऐसे राज्यकर्मी, जिनके ग्रूप बीमा मद में कटौती की जा रही है, पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।

(iv) दिनांक- 01-09-2005 के बाद नियुक्त ऐसे राज्यकर्मी, जिनके ग्रूप बीमा मद में कटौती नहीं की

गई है, वे इस योजना में आदेश निर्गत की तिथि से शामिल समझे जाएंगे और उपरोक्त कंडिका-(i) प्रावधान के अनुसार कटौती की जाएगी। साथ ही इसकी प्रविष्टि सेवापुस्त में कर दी जाएगी।

4. अनुरोध है कि वित्त विभागीय उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

99

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं०-वि० (27) पे० को०- NPS-86/2015-1347/वि० (2), दिनांक 23-11-2015 की प्रतिलिपि।]

विषय– नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों की पूर्व सेवा की गणना के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 1964, दिनांक- 31-08-2005 द्वारा दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद के नियुक्त कर्मियों के संबंध में नयी पेंशन योजना लागू की गई है। योजना प्रवृत्त होने की तिथि- 01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामले में बिहार पेंशन नियमावली एवं सामान्य भविष्य निधि नियमावली के प्रावधान प्रभावी नहीं है।

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 3315, दिनांक- 27-03-2012 द्वारा ऐसे कर्मियों पर बिहार सेवा संहिता में निहित उपार्जित अवकाश के प्रावधान लागू रखने एवं परिपत्र संख्या- 600, दिनांक- 02-05-2013 द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान करने का निर्णय पूर्व से संसूचित है।

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के पूर्वसेवा की गणना सम्बन्धी प्रावधान नहीं होने के कारण विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। इस कारण नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को उनकी पूर्व सेवा अवधि का बिहार सेवा संहिता के अन्तर्गत प्रावधानित छुट्टी का लाभ मिल पा रहा है।

(2) राज्य सरकार के अधीन नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के पूर्व की सेवा को परिगणित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। सम्पूर्ण स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:–

(i) दिनांक- 01-09-2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग/संवर्ग/कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित स्वायत निकाय में किसी पद पर नियुक्त हुए थे तथा इसके पश्चात् उनके द्वारा राज्य सरकार के ही किसी ऐसे विभाग/संवर्ग/कार्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित किसी ऐसे स्वायत निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए विधिवत विरमित होने पर पूर्व सेवा की गणना बिहार सेवा संहिता एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प के अन्तर्गत प्रावधानित विभिन्न प्रकार की छुट्टी के उपभोग के लिए की जा सकेगी।

(ii) पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों की सेवा परिगणना के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या- 1191, दिनांक- 01-06-2005 पूर्व में निर्गत है। नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के द्वारा सेवा परिगणना के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा वही रहेगी जो उपरोक्त परिपत्र संख्या-1191, दिनांक- 01-06-2005 में है।

(iii) पूर्व की सेवा को वर्त्तमान सेवा के साथ जोड़ने के प्रस्ताव के साथ जाँच-पत्र (अनुलग्नक-1) को भली-भाँति भरकर एवं हस्ताक्षरित कर संचिका पर रखकर ही वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जाय।

अनुलग्नक-1

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के लिए पूर्व की सेवा की गणना

सम्बन्धी जाँच पत्रक

1. आवेदक का नाम–	
2. वर्त्तमान पदनाम (विभाग सहित)	
3. प्रथम नियुक्ति की तिथि (पदनाम/विभाग सहित)	
4. स्थायी सेवानिवृत्ति/लेखा संख्या के लिए आवंटित (PRAN)	

5. नियंत्री पदाधिकारी/विभाग/कार्यालय द्वारा नए पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन का अग्रसारण अथवा एतद् संबंधी अनुमति का साक्ष्य (पत्रांक .... दिनांक .... सहित)	
6. पूर्व की सेवा लगातार/नियमित थी अथवा नहीं ?	
7. नये पद पर योगदान देने हेतु विधिवत विरमित किया गया है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो (पत्रांक .... दिनांक .... सहित) (साक्ष्य सहित)	
8. वर्त्तमान पद पर योगदान की तिथि	
9. वर्त्तमान पद पर योगदान देने हेतु अगर तकनीकी त्याग-पत्र दिया गया हो, तो उसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का उल्लेख किया जाये एवं साक्ष्य संलग्न किया जाए। (पत्रांक .... दिनांक .... सहित)	
10. सेवा नियमितीकरण हेतु आवेदन की तिथि काल बाधित है अथवा नहीं ?	
11. उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य परिस्थिति हो तो उसका भी उल्लेख किया जाय।	

नियंत्री पदाधिकारी
प्रधान सचिव/सचिव,
प्रशासी विभाग
हस्ताक्षर एवं मुहर

100

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि० (27) पे० को०- 176/2012-16/वि०, दिनांक 06-01-2016 की प्रतिलिपि ।]

विषय– नयी पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत राज्य कर्मियों के अंशदान तथा समतुल्य सरकारी अंशदान पर दिनांक- 31-03-2016 तक ब्याज की गणना के सम्बन्ध में।

नयी पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत मूल वेतन + महँगाई भत्ता का 10% राज्यकर्मी के वेतन से राज्यकर्मी के पेंशन फण्ड में दिए जाने तथा इतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है।

Pension Fund Regulatory & Development Authority के दिशा-निर्देश के अनुसार अभिलेख संधारण NSDL - CRA के द्वारा किया जाना है एवं अंशदान की राशि बैंक ऑफ इंडिया (01-07-2013 से बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर एक्सिस बैंक) को अंतरित किया जाना है। इसी आलोक में राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 01-04-2010 से राज्य कर्मियों का मासिक अंशदान का ब्योरा नियमित रूप से NSDL - CRA को अपलोड किया जाय तथा बैंक ऑफ इंडिया (01-07-2013 से एक्सिस बैंक) को फंड अंतरण किया जाय।

दिनांक- 31-03-2010 तक चूँकि फण्ड अंतरण की व्यवस्था नहीं की गयी थी इसलिए इस अवधि तक के फण्ड का अंतरण भी नहीं किया गया था। वित्त विभागीय पत्रांक-सह-ज्ञापांक-678, दिनांक- 14-05-2013 द्वारा निर्णय लिया गया था कि दिनांक- 01-09-2005 से 31-03-2010 तक की कटौती पर फण्ड अंतरण की तिथि या 30-06-2013 दोनों में जो पहले हो, तक सामान्य भविष्य निधि के देय दर से ब्याज दिया जाय।

परन्तु, विभाग के समक्ष निम्न मामले विचार हेतु प्राप्त हुए है–

(A) दिनांक- 01-09-2005 से 31-03-2010 तक की कटौती का फण्ड अंतरण 30-06-2013 तक नहीं हो पाने,

(B) दिनांक- 31-03-2010 के बाद की कटौती का फण्ड अंतरण कोषागार द्वारा नहीं किये जाने, एवं

(C) कतिपय कर्मी/कर्मियों द्वारा पिछले किसी माह/माहों में अपना योगदान एन०पी०एस० के तहत नहीं दिये जाने।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये जाते हैं–

(i) नई पेंशन प्रणाली के तहत दिनांक- 01-09-2005 से 31-03-2010 तक की कटौती (कर्मी अंशदान + सरकारी अंशदान) पर फण्ड अंतरण की तिथि या 31-03-2016 दोनों में जो पहले हो, तक सामान्य भविष्य निधि के देय दर से ब्याज दिया जाय। तद्नुसार वित्त विभागीय पत्रांक-सह-ज्ञापांक- 678, दिनांक- 14-05-2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(ii) नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दिनांक- 31-03-2010 के बाद की कटौती (कर्मी अंशदान + सरकारी अंशदान) का फण्ड अंतरण यदि कोषागार द्वारा नहीं किया गया है तो दिनांक- 31-03-2016 तक फण्ड अंतरण अवश्य कर दिया जाय। दिनांक- 31-03-2010 के बाद के कटौती पर फंड अंतरण की तिथि या 31-03-2016 दोनों में जो पहले हो, सामान्य भविष्य निधि के देय दर से ब्याज दिया जाय। सभी कोषागार पदाधिकारी ब्याज की गणना के लिए जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/उप-निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय को कटौती विवरणी उपलब्ध कराएँगे। गणना की गई ब्याज की राशि भी कोषागार पदाधिकारी NSDL को अंतरित करेंगे।

101

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि० (27) पे० को०- 183/2010-330, दिनांक 05-04-2016 की प्रतिलिपि।]

विषय– नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये गए कर्मियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयांकित मामले में कहना है कि ऐसे मामले प्रकाश में आये है, जहाँ नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी को कतिपय कारणों से पुनः पुरानी पेंशन योजना में शामिल करते हुए उन्हें भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित की गयी है। ऐसे कर्मियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न कोषागारों से मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही थी।

2. सम्यक् विचारोपरान्त नयी पेंशन योजना से पुरानी पेंशन में प्रत्यावर्तित कर्मियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(1) सर्वप्रथम NSDL, के वेबसाईट पर उपलब्ध Error Rectification Module के अन्तर्गत Redemption of Non-NPS Contribution विकल्प का चयन करते हुए सम्पूर्ण राशि कोषागार के चालू खाता में प्राप्त की जाएगी।

(2) तत्पश्चात प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत (लाभांश सहित) कर्मी के खाते में अथवा कर्मी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी के खाते में जमा की जाएगी।

(3) शेष 50 प्रतिशत राशि में से मूल सरकारी अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत विपत्र कोड N 2071011170001 (अगर राशि चालू वर्ष में ही जमा की गयी थी) या N2071019110002 (अगर राशि पिछले वित्तीय वर्षों में जमा की गयी थी) में जमा की जायेगी। लाभांश की राशि मुख्य शीर्ष 0049 के अन्तर्गत विपत्र कोड R0049048000016 में जमा की जायेगी।

102

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि० (27) पे० को०- 72/2009(अंश)-1362/ वि०, दिनांक 01-11-2015 की प्रतिलिपि।]

विषय– पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण/संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। महालेखाकार, बिहार द्वारा भी पेंशन प्रपत्र के

आवेदन पत्र के द्विभाषीकरण (हिन्दी एवं अँग्रेजी) एवं सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के मोबाईल नं० आदि की प्रविष्टी करने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रचलित पेंशन प्रपत्रों यथा पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण के लिए आवेदन-पत्र (बिहार पेंशन नियमावली के नियम- 193, 194 एवं 199), पेंशन और परिवार पेंशन की गणना तालिका (संकल्प सं०- 11556, दिनांक- 22-12-1999), पेंशन मंजूरी हेतु प्रपत्र (ज्ञाप सं०- 642, दिनांक- 14-01-1964 एवं ज्ञापांक- 659, दिनांक- 31-07-2009) इत्यादि में संशोधन/सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त संशोधित/सरलीकृत पेंशन प्रपत्रों की प्रति (पेंशन प्रपत्र, फोटोग्राफ प्रपत्र, घोषणा-पत्र, पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की गणना तालिका/पेंशन/परिवार पेंशन उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान, पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति का कार्य तथा महालेखाकार का प्रमाण-पत्र एवं रिपोर्ट) संलग्न करते हुए कहना है कि यह परिपत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों की सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु इस सरलीकृत फार्म का ही प्रयोग किया जायेगा।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

पेंशन प्रपत्र

पेंशन/परिवार पेंशन/ उपादान/ मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन पत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में)
   (ii) Name of Govt. Servant in English (in capital letters)-
2. (i) पिता/पति का नाम–
   (ii) Father's/Husband's Name (in capital letters)-
3. (i) स्थायी पता– डाकघर
   ग्राम/मोहल्ला जिला
   थाना पिनकोड
   (ii) Permanent Address (in Capital letters)-
   Vill/Moh.- Post- P.S.-
   Distt.-
   State- Pin No.- Mobile No.
4. (i) पत्राचार का पता (हिन्दी में)–
   ग्राम/मोहल्ला– डाकघर राज्य
   थाना– जिला
   पिनकोड Mobile No.
   (ii) Address for correspondence in English (in capital letters):
   Vill/Moh.- Post- P.S.- Distt.
   State- Pin No.- Mobile No.
5. (i) अंतिम पदस्थापन की स्थिति : पदनाम (हिन्दी में)–
   कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में)–
   (ii) Status of last posting: Designation (in English)-
   Name of Office/department (in English)-
6. (i) सेवा आरम्भ की तिथि–
7. (i) सेवा समाप्ति की तिथि–
   (ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो) :

8. कुल सेवा अवधि– वर्ष माह दिन
व्यवधान की अवधि–
9. अंतिम वेतन–
10. औसत वेतन–
11. (i) पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि–
(ii) औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो
(a) औपबंधिक पेंशन की दर ....
(b) भुगतान की अवधि (दिनांक .... से दिनांक .... तक)
(iii) भुगतान की गई औपबंधिक उपदान की कुल राशि ₹ ....
12. कोषागार का नाम–
(जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)
13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता–
14. मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध–
15. आवेदक की जन्म तिथि–
16. ऊँचाई–
17. पहचान चिन्ह–
18. यदि पेंशन रूपान्तरण कराना चाहता हैं तो कितना प्रतिशत–
19. सरकारी सेवक का मोबाईल नं०–
20. सरकारी सेवक का यूनिक आई०डी०
(क) जी०पी०एफ० नं०. :
(ख) पैन नं०. :
(ग) आधार नं०. :
(घ) ई-मेल :
21. परिवार के सदस्यों का विवरण–

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	विकलांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता से गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

नोटः– (i) जन्म तिथि की प्रविष्टि कार्यालय प्रधान द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर की जायेगी ।

(ii) सरकारी सेवक द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होने का शपथ पत्र दिया जाता है, उस स्थिति में वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 549, दिनांक- 29-04-2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जन्म तिथि अंकित की जाएगी ।

(iii) सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा विकलांग पारिवारिक सदस्य जीवकोपार्जन में सक्षम नहीं, का प्रमाण पत्र दिये जाने की स्थिति में ही पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया जाएगा ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

फोटोग्राफ

नोटः– (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ ।

(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ ।

परिवार के सदस्यों का विवरण–

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	विकलांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1. [ ]

2. [ ]

3. [ ] हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

घोषणा-पत्र

चूँकि .... (अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पद्नाम) ने पेंशन की राशि सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मैं औपबंधिक रूप से प्रतिमाह .... ₹ अंक में (..) की राशि की स्वीकृति दी है। मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपबंधिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबंधिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक राशि लौटा दूँगा।

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपने सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपादान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन दिया हूँ और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा।

3. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पद्नाम एवं
विभाग/कार्यालय

पेंशन / परिवार पेंशन / उपादान की गणना - तालिका

1. सेवा निवृत्त/मृत्त सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम :–
2. सरकारी सेवक में नियुक्ति की तिथि :–
3. सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि :–
4. सेवा की कुल अवधि :– वर्ष माह दिन
5. अन्तिम वेतन :–
6. औसत वेतन :–
7. अनुमान्य पेंशन :–
   (i) अंतिम दस महीने की औसत परिलब्धि/अंतिम परिलब्धि (जो लाभकारी हो) ×
   $$\frac{\text{वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम बीस वर्ष)}}{2 \times 20}$$
   (ii) वैसे सरकारी सेवक जो 23.9.2009 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो :–
   $$\frac{\text{औसत परिलब्धि} \times \text{वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम 33 वर्ष)}}{2 \times 33}$$

8. परिवार पेंशन :–

साधारण दर (अंतिम वेतन का 30%)

वर्द्धित दर

I. अंतिम वेतन × 2

II. साधारण दर पर परिवार पेंशन × 2

III. पेंशन की राशि

(तीनों में जो कम हो)

9. उपादान की राशि :–

$$\frac{\text{अंतिम वेतन + महँगाई भत्ता × छहमाही सेवा की अवधि}}{4}$$

10. मृत्यु उपादान :–

(क) एक वर्ष से कम की सेवा– परिलब्धि का दो गुणा

(ख) एक वर्ष से अधिक तथा पाँच से कम - परिलब्धि का छः गुणा

(ग) पाँच वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम परिलब्धि का बारह गुणा

(घ) बीस वर्ष से अधिक –

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन + महँगाई भत्ता) × छहमाही सेवा की अवधि}}{2}$$

नोट:– (1) उपादान/मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

(2) दिनांक- 01-04-2007 से पूर्व के मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान के अनिष्पादित मामलों में उपदान 3.5 लाख रुपये की अधिसीमा तक ही अनुमान्य होगा।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर।

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति।

यह समाधान हो जाने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम .... की सेवा संतोषजनक रही है, निम्नांकित व्यक्ति को निम्नरूपेण पेंशन परिवार पेंशन/उपादान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति दी जाती है:–

व्यक्ति का नाम	पता	सरकारी सेवा से सम्बन्ध	राशि	
			पेंशन पारिवारिक पेंशन 1. साधारण दर पर 2. वर्द्धित दर पर	
			उपादान/मृत्यु सह-निवृत्ति उपादान	
			पेंशन की रूपांतरित राशि	

1. पेंशन/परिवार पेंशन आरम्भ होने की तिथि :–
2. पेंशन की राशि :–

3. परिवार पेंशन की राशि :–

(क) वर्द्धित दर-	रुपये	दिनांक	तक
(ख) साधारण दर-	रुपये	दिनांक	से

4. मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपादान की राशि :–

5. पेंशन रूपांतरण की राशि :–
   रुपये .... (शब्दों में) .... का रूपांतरित मूल्य रुपये (शब्दों में) ....

6. पेंशन/उपादान/रूपांतरण की राशि का भुगतान .... कोषागार से किया जायेगा।

7. पेंशन/उपादान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष-2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. यह स्वीकृति इस शर्त्त के अधीन है कि यदि पेंशन उपादान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन पेंशन भोगी हकदार हो तो पेंशनधारी अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा। सम्बन्धित पेंशनभोगी में इस आशय की घोषणा-पत्र संलग्न है।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन) श्री .... की अर्हक सेवा .... वर्ष .... महीना .... दिन सम्यक रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली .... और बिहार सरकार के वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-5285 वि०, दिनांक- 26-04-51 की कंडिका-2 (ग) तथा बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या- वि०वी०पी०ए०आर०-12/50, 12548 वि०, दिनांक- 23-08-1950 के अधीन अधिक से अधिक .... र प्रतिमाह तथा .... अंक में .... र (एक मुश्त) पेंशन/सेवा उपदान/ परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है। पेंशन या उपादान .... पर आदेय है और पेंशन दिनांक .... से आरम्भ होगी।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम- 139 और 202 (i) की ओर ध्यानकृष्ट किया जाता है। चूँकि आवेदन सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से .... या सेवा निवृत्ति की तिथि .... से आरम्भ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली-209 के अधीन निर्देश दें।

(यदि आवश्यक न हो तो इस कंडिका को काट दें)

महालेखाकार, बिहार

पटना।

....

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम- 147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं, उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्नलिखित बातें जोड़ दें।

उन्होंने तीन वर्ष/.. वर्षों तक .... के रूप में सेवा की है और वे 1000/- ₹ 1500/- ₹ .... के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं उनकी सेवा ऐसी रही है कि उनके मामले में रियायत की जा सकती है।

नोटः– यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो तो प्रमाण-पत्र पर .... वर्षों से अधिक के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित लिख दें (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है।)

●

पेंशन भोगियों को महँगाई राहत 136 प्रतिशत

(1 जनवरी 2017 से प्रभावी)

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, सं०-3ए-2-वे,पु०-(भत्ता)-08/2013-3167, वि०, दिनांक-08-05-2017.]

विषय– पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/परिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक- 01-01-2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०- 9386, दिनांक- 09-12-2016 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01-07-2016 के प्रभाव से 132 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1(3)/2008-E-II(B), दिनांक- 07-04-2017 के द्वारा पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक- 01-07-2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 125 प्रतिशत को बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक- 01-01-2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षण-पूर्व का पेंशन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01-01-2017 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व पेंशन में 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अलगे रुपये में पूर्णांकि कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलें में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. दिनांक- 01-07-2016 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ●

पेंशनधारियों/परिवार पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन की औपबंधिक स्वीकृति

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक वि० (27) पे०को०-(पुन०) 22/2017-381, दिनांक- 23-05-2017]

विषय– राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों/पेंशनधारियों/परिवार पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति पुनरीक्षित पेंशन की औपबंधिक स्वीकृति के संबंध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक सं०-38/37/2016-P & PW(A) दिनांक- 04-08-2016 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षित संबंधी आदेश निर्गत किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप वेतन/भत्तों/पेंशन/परिवार पेंशन की सुविधा राज्य कर्मियों को अनुमान्य करने के ध्येय से श्री जी० एस० कंग, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ प्रेषित नहीं की जा सकी है।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि यथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नरूपेण पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की राशि का पुनरीक्षण औपबंधिक रूप से निम्नवत् किया जायः–

(i) दिनांक- 31-03-2017 तक सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मी के पक्ष में देय पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उन्हें दिनांक- 01-04-2017 को प्राप्तेय पेंशन/परिवार पेंशन की मूल राशि (महँगाई राहत को छोड़कर एवं रूपान्तरित पेंशन की राशि सहित) को 2.57 से गुणा कर किया जायेगा।

(ii) दिनांक- 01-04-2017 को एवं उसके उपरांत सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मी के संदर्भ में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पूर्व में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०- 819, दिनांक- 23-09-2009 में प्रचलित सूत्र के अनुरूप उनके पक्ष में पेंशन/परिवार पेंशन स्वीकृत किया जा सकेगा।

(iii) दिनांक- 01-04-2017 को देय महँगाई राहत की दर 4 प्रतिशत रहेगी।

(iv) दिनांक- 01-04-2017 के उपरांत सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक के पक्ष में उपदान की उपरी सीमा 20 (बीस) लाख ₹ निर्धारित की जा सकेगी।

4. पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान महँगाई राहत सहित मई, 2017 से आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त माह अप्रैल, 2017 का अंतर राशि का भुगतान भी वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर दिया जाय।

5. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी०पी०ओ० के दोनों आर्द्धाशों में की जायेगी और औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी।

6. विस्तृत एवं औपचारिक आदेश बाद में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत निर्गत किया जायेगा। ●

पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के सम्बन्ध में

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० वि० (27) पें०को०-11/2017-543/वि०, दिनांक 20-07-2017 की प्रतिलिपि।]

विषय– दिनांक-01-01-1996 के पूर्व प्रवर कोटि वेतनमानों में सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०- 11556, दिनांक- 22-12-1999 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक- 01-01-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने का प्रावधान विनिश्चित

किया गया है। इसके अनुसार पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से करने का निर्णय पूर्व की भाँति लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पेंशन की राशि के निर्धारण में यह ध्यान रखा जायेगा कि सेवानिवृत्ति की तिथि से विभाग के जिस पद से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो, उस पद के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०- 660, दिनांक- 08-02-1999 में स्वीकृति पुनरीक्षित वेतनमान् के प्रारम्भिक वेतन की राशि के 50 प्रतिशत से पेंशन की राशि कम नहीं हो। 33 वर्षों से कम पेंशनप्रदायी सेवा की स्थिति में इस राशि का निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जायेगा।

2. दिनांक- 01-01-1996 से पूर्व राज्य सरकार के अधीन कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक दोनों प्रकार की प्रोन्नति विधाएँ स्थापित थी। कार्यात्मक प्रोन्नति के तहत् पदीय प्रोन्नति प्रदान की जाती थी, जबकि अकार्यात्मक प्रोन्नति के तहत् कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि, अधिकाल प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान की जाती थी।

3. दिनांक- 01-01-1996 के प्रभाव से उपर्युक्त अकार्यात्मक प्रोन्नति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा संकल्प सं०- 660, दिनांक- 08-02-1999 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिनांक- 01-01-1996 के प्रभाव से पूर्व में दी गई प्रोन्नतियों कालबद्ध प्रोन्नति को छोड़कर के पदों को आवश्यकता आधारित पदों के रूप में चिन्हित किया जाय। चिन्हित आवश्यकता आधारित पदों पर संवर्ग की वरीयता सूची के अनुसार घटते क्रम में सामंजित करने का प्रावधान किया गया। चिन्हित आवश्यकता आधारित पदों के समाप्ति (Exhaust) हो जाने के बाद उस सेवा/संवर्ग के शेष कर्मियों को मूल कोटि में रखने का प्रावधान किया गया। जिन सेवा/संवर्गों के लिए आवश्यकता आधारित पद चिन्हित नहीं हो, उन्हें उस सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद के वेतनमान् का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

4. सभी राज्य सेवाएँ जिनका प्रवेश वेतनमान् रु 2200-4000/- था उनके लिए प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि एवं अधिकाल प्रवर कोटि पदों का वेतनमान् क्रमशः 3000-4500/-, 3700-5000/- एवं 4100-5300/- दिनांक- 01-01-1996 के पूर्व निर्धारित था। कंडिका- 3 में वर्णित निर्णय के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प सं०- 660, दिनांक- 08-02-1999 के द्वारा उक्त सेवाओं के कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि एवं अधिकाल प्रवर कोटि का पुनरीक्षित वेतनमान् 6500-10500/- स्वीकृत किया गया।

5. राज्य सेवाओं में प्रवर कोटि एवं नियमित प्रोन्नति का वेतनमान् क्रमशः 3000-4500/-, 3700-5000/- एवं 4100-5300/- था। अतः नियमित प्रोन्नति के पदों का प्रतिस्थानी वेतनमान् वित्त विभागीय संकल्प सं०- 660, दिनांक- 08-02-1999 के द्वारा वेतनमान् क्रमशः 10500-15200/-, 12000-16500/- एवं 14300-18300 दिनांक- 01-01-1996 से स्वीकृत किया गया।

6. दिनांक- 01-01-1996 के पूर्व कतिपय राज्य सेवा के पदाधिकारियों को, उदाहरणार्थ, बिहार पशुपालन सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं बिहार कृषि सेवा आदि के कर्मियों को नियमित प्रोन्नति के बदले सिर्फ प्रवर कोटि प्रोन्नति ही दी गई। प्रवर कोटि प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों को वरीय पदों पर पदस्थापित किया जाता था। पदस्थापित किये जाने के क्रम में वरीयता को दृढ़ता से दृष्टिपथ में नहीं रखा जाता था। बहुधा प्रवर कोटि प्राप्त कनीय कर्मी को उच्चतर वेतनमान् के नियमित पदों पर पदस्थापित किया जाता था तथा उनसे वरीय पदाधिकारी निम्न पद पर ही कार्यरत रहते थे। ऐसे प्रवर कोटि प्राप्त किन्तु नियमित प्रोन्नति के पद पर पदस्थापित हुए बिना जो पदाधिकारी दिनांक- 01-01-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, उनका पेंशन कनीय (जो नियमित प्रोन्नति के पद पर पदस्थापित हुए) से कम हो गया। उपर्युक्त स्थिति में समान वेतनमान् होते हुए भी पेंशन में विसंगति उत्पन्न हो गई है। वैसे पदाधिकारी जो दिनांक- 01-01-1996 के उपरांत सेवा निवृत्त हुए, उन्हें कंडिका- 3 में वर्णित रीति से उच्चत्तर वेतनमान के पदों के वेतनमान अनुमान्य होने का अवसर प्राप्त था, परन्तु उसके पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को वरीयता-सह-आरक्षण रोस्टर के आधार पर उच्चत्तर पदों पर सामंजन की कोई व्यवस्था ही निरूपित नहीं की गई थी।

7. उपर्युक्त स्थिति में दिनांक- 01-01-1996 के पूर्व प्रवर कोटि प्रोन्नति प्राप्त कर्मी के लिए दिनांक- 01-01-1996 के प्रभाव से नियमित प्रोन्नति के समकक्ष वेतनमान् का पुनरीक्षित वेतनमान् अनुमान्य किये जाने पर उपर्युक्त विसंगति का निराकरण संभव है। महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित प्रवर कोटि प्राप्त राज्य कर्मियों द्वारा इस विसंगति के निराकरण हेतु पत्राचार/अभ्यावेदन दिया जा रहा है।

8. अतः विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार दिनांक- 01-01-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त वैसे राज्य कर्मी जिन्हें क्रमशः 3000-4500/-, 3700-5000/- या 4100-5300/- के वेतनमान् में प्रवर कोटि प्रोन्नति प्राप्त थी को दिनांक- 01-01-1996 से पेंशन पुनरीक्षण वित्त विभाग संकल्प सं०- 11556, दिनांक- 22-12-1999 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाय तथा पुनरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि

इन वेतनमानों का पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान् क्रमशः 10500-15200/-, 12000-16500 या 14300-18300 के प्रारम्भिक प्रक्रम के 50 प्रतिशत से कम न हो। ●

मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान करने हेतु

[बिहार सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना सं० वि० (27) पें०को०-67/2016-622/ वि०, दिनांक 28-08-2017 की प्रतिलिपि ।]

विषय– नयी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह सेवानिवृत्त उपदान का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-7/5/2012-P&PW(F)/B, दिनांक- 26-08-2016 द्वारा नयी पेंशन योजना से आच्छादित केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक- 01-01-2004 के प्रभाव से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान किया गया है।

2. राज्य में दिनांक- 01-09-2005 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मियों हेतु नयी पेंशन योजना लागू है। केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप नयी पेंशन योजना से आच्छादित राज्यकर्मियों को भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक- 01-09-2005 या इसके पश्चात नियुक्त सभी राज्य कर्मी जो नयी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को भी पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ अनुमान्य होगा।

4. बिहार पेंशन नियमावली एवं एतद् संबंधी निर्गत पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह संकल्प दिनांक- 01-09-2005 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा। ●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० वि० (27) पें०को०-(पुन०) 22/2017-754/ वि०, दिनांक- 20-10-2017 की प्रतिलिपि ।]

विषय– राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक- 01-01-2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-381, दिनांक- 23-05-2017 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों का औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण किया गया है। अब राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात उसके आलोक में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत दिनांक- 01-01-2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निम्न निदेश निर्गत किया जाता है–

(i) दिनांक- 01-01-2016 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3590, दिनांक- 24-05-2017 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक- 31-03-2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा। वित्तीय लाभ दिनांक- 01-01-2017 के प्रभाव से देय होगा।

(ii) **पेंशन की राशि–** पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा। पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(iii) **परिवार पेंशन–** परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी। परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

(iv) **न्यूनतम पेंशन–** दिनांक- 01-04-2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रु 9,000 (नौ हजार) (अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) प्रतिमाह होगी।

(v) **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान–** दिनांक- 01-04-2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर रु० 20.00 (बीस) लाख की अधिसीमा में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ देय होगा।

3. **अतिरिक्त पेंशन–** 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप में जारी रहेगी:–

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

5. चिकित्सा भत्ता– पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य ह

4. चिकित्सा भत्ता– पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 819/820, दिनांक- 23-09-2009 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

6. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी०पी०ओ० के दोनों आर्द्धाशों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी।

01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० वि० (27) पें०को०-(पुन०) 22/2017-755/ वि०, दिनांक- 20-10-2017 की प्रतिलिपि ।]

विषय– राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक- 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-381, दिनांक- 23-05-2017 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों का औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण किया गया है। अब राज्य वेतन आयोग द्वारा द्वारा पेंशन के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात् उसके आलोक में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत दिनांक- 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निम्न निदेश निर्गत किया जाता है:–

दिनांक- 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनर/परिवार पेंशनर के पेंशन पुनरीक्षण हेतु सातवाँ केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा एवं पेंशन तथा पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक- 38/37/2016-P&PW(A), दिनांक- 12-05-2017 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित दो साध्य (सूत्र) की अनुशंसा की गयी है एवं अनुशंसित किया गया है कि प्रति पेंशनर के मामले में दोनों सूत्र में से जिस सूत्र से उच्चतर पेंशन निर्धारित होता है, उसे ही उस पेंशनर हेतु मान्य किया जाय:–

(क) प्रथम सूत्र- संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे में प्राप्त मूल वेतन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे में वैचारिक निर्धारण करते हुए दिनांक- 01-01-2016 को भुगतेय पेंशन/परिवार पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

(i) दिनांक- 01-01-1981 से दिनांक- 31-12-2005 तक सेवानिवृत्त/मृत्त कर्मियों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिनांक- 01-01-2016 को प्राप्तेय पेंशन राशि की गणना की जाएगी।

दो स्थितियाँ हो सकती हैं:– एक जहाँ विशिष्ट वेतनमान एवं प्रक्रम का निर्धारण अंतिम वेतन के आधार पर किया जा सकता है तथा दूसरा जहाँ ऐसा संभव नहीं है।

दोनों ही स्थिति में पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया संलग्न एनेक्चर-सी की तालिका-1 (जहाँ वेतनमान एवं प्रक्रम का विशिष्ट निर्धारण संभव है) एवं तालिका- 2 (जहाँ वेतनमान एवं प्रक्रम का विशिष्ट निर्धारण संभव नहीं है) में दिनांक- 01-01-2016 को अंकित वैचारिक मूल वेतन तथा एनेक्चर-डी में विहित प्रक्रिया/सूत्र के आधार पर की जायेगी, परन्तु जहाँ विशिष्ट-वेतनमान एवं प्रक्रम की सूचना अनुपलब्ध है वहाँ अंतिम निर्धारण के पूर्व संबंधित कार्यालय से इसकी सूचना प्राप्त की जायेगी।

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कार्यालय परिचारी (ग्रूप-डी) के पद से वर्ष 1982 में सेवानिवृत्त हुए थे। तत्समय उनका मूल वेतन रु० 360 (वेतनमान 350-425) के आधार पर पेंशन रु० 180 निर्धारित हुआ। अब दिनांक- 01-01-2016 को एनेक्चर-सी के टेबल 1 के आधार पर रु० 360 का पुनरीक्षित वैचारिक वेतन रु० 18,000 है। दिनांक- 01-01-2016 को पुन: इस पद हेतु न्यूनतम वेतन भी (ग्रेड पे०-1800 लेवल- 1) = रु० 18,000 है।

अत: एनेक्चर-डी के सूत्र के अनुसार दिनांक- 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन= $\frac{18000 \times 180}{360}$ = रु० 9000 होगा।

(यहाँ $X_1 = 360, Y_1 = 180$ तथा $N_1 = 18000$)

इसी प्रकार परिवार पेंशन = $\frac{18000 \times 30}{100}$ = रु० 5400 होगा।

लेकिन न्यूनतम पेंशन के प्रावधान को देखते हुए इसे भी रु० 9,000 (नौ हजार) प्रति माह निर्धारित किया जायेगा। पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे।

(ii) दिनांक- 01-01-2006 से 31-12-2015 के बीच सेवानिवृत्त/मृत्त कर्मियों के संदर्भ में पेंशन का निर्धारण उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन को 2.57 से गुणा कर 01-01-2016 को संगत पे मैट्रिक्स में अनुमान्य वेतन के आधार पर किया जायेगा। एनेक्चर-बी के उदाहरणों में इसे स्पष्ट किया गया है।

(ख) दूसरा सूत्र- दिनांक- 31-12-2015 को प्राप्तेय पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा।

उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा, वही अंतिम पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा। लेकिन 01-04-2017 के पूर्व की अवधि हेतु कोई बकाया राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। अंतिम निर्धारण तक सूत्र 'ख' के तहत पेंशन का भुगतान जारी रहेगा।

3.(I) पेंशन की राशि– पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा। पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(II) परिवार पेंशन– परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी। परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

(III) न्यूनतम पेंशन– दिनांक- 01-04-2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रु० 9,000 (नौ हजार) (अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) प्रतिमाह होगी।

4. अतिरिक्त पेंशन– 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप से जारी रहेगी:–

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

5. चिकित्सा भत्ता– पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।

6. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 819/820, दिनांक- 23-09-2009 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

7. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी०पी०ओ० के दोनों आर्द्धांशों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/परिवार के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी।

●

Annexure A: Table of Replacement Pay Scales/Levels Followed for Notional Pay fixation at 1-1-2016

Table A.1

Existing Pay scale from 1-1-1981 to 31-12-1985	Notional Replacement scale w.e.f 1-1-1986
350-425	775-12-955-14-1025
375-480	800-15-1010-20-1150
400-540	825-15-900-20-1200
425-605	950-20-1150-25-1400
480-680	950-20-1150-25-1500
535-765	975-25-1150-30-1540
580-860	1200-30-1800
680-965	1320-30-1560-40-2040
730-1080	1400-40-1800-50-2300
785-1210	1400-40-1600-50-2300-60-2600
850-1360	1500-50-2150-60-2750
880-1510	1640-60-2600-75-2900
940-1660	1800-60-2280-75-3330
1000-1820	2000-60-2300-75-3200-100-3500
1350-2000	2400-75-2850-100-4150
1575-2300	3000-100-3500-125-4500
1900-2500	3700-125-4700-150-5000
2225-2675	4100-125-4850-150-5300
2325-2850	4300-125-4800-150-5550
2400-3000	4500-150-5700
2600-3200	5100-150-5700-200-6300
3000-3500	5900-200-6700

Table A.2

Existing Pay scale from 1-1-1986 to 31-12-1995	Notional Replacement scale w.e.f 1-1-1996
775-12-955-14-1025	2550-3200
800-15-1010-20-1150	2610-3540
825-15-900-20-1200	2650-4000
950-20-1150-25-1400	3050-4590
950-20-1150-25-1500	3050-4590
975-25-1150-30-1540	3050-4590
1200-30-1800	4000-6000
1320-30-1560-40-2040	4000-6000
1400-40-1800-50-2300	4500-7000
1400-40-1600-50-2300-60-2600	5000-8000
1500-50-2150-60-2750	5000-8000
1600-50-2300-60-2780	5500-9000

1640-60-2600-75-2900	5500-9000
1800-60-2280-75-3330	6500-10500
2000-60-2300-75-3200-100-3500	6500-10500
2200-75-2800-100-4000	6500-10500
2400-75-2850-100-4150	8000-13500
3000-100-3500-125-4500	10000-15200
3700-125-4700-150-5000	12000-16500
4100-125-4850-150-5300	14300-18300
4300-125-4800-150-5550	14300-18300
4500-150-5700	14300-18300
5100-150-5700-200-6300	16400-20000
5900-200-6700	18400-22400

Table A.3

Existing pay scale from 1-1-1996 to 31-12-2005	Notional Replacement scale w.e.f 1-1-2006
2550-55-2660-60-3200	PB-1,5200-20200,1800
2610-60-3150-65-3540	PB-1,5200-20200,1800
2650-65-3300-70-4000	PB-1,5200-20200,1800
2750-70-3800-75-4400	PB-1,5200-20200,1800
3050-75-3950-80-4590	PB-1,5200-20200,1900
3200-85-4900	PB-1,5200-20200,2000
4000-100-6000	PB-1,5200-20200,2400
4500-125-7000	PB-1,5200-20200,2800
5000-150-8000	PB-2,9300-34800,4200
5500-175-9000	PB-2,9300-34800,4200
6500-200-10500	PB-2,9300-34800,4600
7500-250-12000	PB-2,9300-34800,4800
8000-275-13500	PB-2,9300-34800,5400
10000-325-15200	PB-3,15600-39100,6600
12000-375-16500	PB-3,15600-39100,7600
14300-400-18300	PB-4,37400-67000,8700
16400-450-20000	PB-4,37400-67000,8900
18400-500-22400	PB-4,37400-67000,10000

Table A.4

Existing Pay scale from 1-1-2006 to 31-12-2015	Notional Replacement Pay Level w.e.f 1-1-2016
1s,4440-7440,1650	1
PB-1,5200-20200,1800	1
PB-1,5200-20200,1900	2
PB-1,5200-20200,2000	3
PB-1,5200-20200,2400	4

PB-1,5200-20200,2800	5
PB-2,9300-34800,4200	6
PB-2,9300-34800,4600	7
PB-2,9300-34800,4800	8
PB-2,9300-34800,5400	9
PB-3,15600-39100,6600	11
PB-3,15600-39100,7600	12
PB-4,37400-67000,8700	13
PB 4,37400-67000,8900	13 A
PB 4,37400-67000,10000	14

Annexure: BExample of Notional Pay Fixation for the period of retirement between 1-1-2006 and 31-12-2015 as per formulation one/two

Example-1

Date Of Retirement		
1-1-2006	To	31-12-2015
Notional Replacement scale w.e.f 1-1-2006		Notional Pay Level w.e.f 1-1-2016
PB-2,9300-34800,4800		Pay Level 8
Basic Pay (A)		18380
A*2.57		18380*2.57=47236.6
Notional Basic Pay on 1.1.2016 (As fixed from Pay MATRIX PROVIDED BY PAY COMMISSION		47600

Example-2

Date Of Retirement		
1-1-2006	To	31-12-2015
Notional Replacement scale w.e.f 1-1-2006		Notional Pay Level w.e.f 1-1-2016
PB-1,5200-20200,2000		Pay Level 3
Basic Pay (A)		9540
A*2.57		9540*2.57=24517.8
Notional Basic Pay on 1.1.2016 (As fixed from Pay MATRIX PROVIDED BY PAY COMMISSION		25200

Example-3

Date Of Retirement		
1-1-2006	To	31-12-2015
Notional Replacement scale w.e.f 1-1-2006		Notional Pay Level w.e.f 1-1-2016
PB-2,9300-34800,5400		Pay Level 9
Basic Pay (A)		24380
A*2.57		24380*2.57=62656.6
Notional Basic Pay on 1-1-2016 (As fixed from Pay MATRIX PROVIDED BY PAY COMMISSION		63300

Annexure C: Table 1 &2 (See Chapter 5, Para 7 III)

Table 1 A.1

Date Of Retirement				Table 1 A.1					
1-1-1981	To	31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
350-425		375-480		400-540		425-605		480-680	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
350	18000	375	18000	407	18500	455	20500	630	23100
355	18000	380	18000	414	18500	465	20500	640	23100
360	18000	385	18000	421	18500	475	20500	660	23800
365	18000	390	18000	428	18500	485	20500	670	23800
370	18000	395	18000	442	18500	495	20500	690	25200
375	18000	405	18000	449	18500	505	20500	700	25200
380	18000	410	18000	456	119100	515	20500		
385	18000	415	18000	463	19100	525	20500		
390	18000	420	18000	470	19100	535	20500		
395	18000	430	18500			545	21100		
405	18000	440	18500			555	21100		
410	18000	452	18500			565	21100		
415	18000	459	19100			575	21100		
420	18000	466	19100			585	21700		
430	18500	473	19100			595	21700		
440	18500	487	19700			605	22400		
		494	19700			615	22400		
		501	19700			625	23100		

Table 1 A.2

Date Of Retirement				Table 1 A.2					
1-1-1981	To	31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
535-765		580-860		680-965		730-1080		785-1210	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
535	20500	665	25500	695	26300	730	29200	835	36500
545	21100	695	26300	725	27100	745	29200	885	36500
555	21100	725	27100	740	27900	760	29200	910	36500
565	21100	740	27900	755	27900	775	30100	1035	39900

575	21700	755	27900	770	27900	790	30100	1085	41100
585	21700	770	27900	800	28700	805	30100	1110	42300
595	21700	800	28700	815	29600	820	30100	1135	42300
605	22400	815	29600	830	29600	840	31000	1160	42300
615	22400	830	29600	845	30500	900	31900	1185	43600
625	23100	845	30500	875	30500	1040	35900	1210	43600
645	23100	875	30500	890	30500	1080	37000	1235	44900
660	23800	890	31400	905	31400			1285	46200
675	24500	905	31400	965	32300				
690	25200			995	33300				
705	25200								
720	26000								
735	26000								
750	26000								
765	26800								
780	27600								
795	27600								

Table 1 A.3

Date Of Retirement				Table 1 A.3					
1-1-1981	To	31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
850-1360		880-1510		940-1660		1000-1820		1350-2000	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
850	35400	915	37600	1220	44900	1050	44900		
910	36500	1055	39900	1340	49000	1200	44900		
970	37600	1090	41100	1380	49000	1250	46200		
1030	39900	1125	42300	1460	52000	1760	58600		
1090	41100	1160	42300	1540	53600	1820	60400		
1210	43600	1195	43600	1620	56900	1880	62200		
1240	44900	1230	44900	1660	56900	1940	62200		
1270	44900	1265	44900	1740	58600				
1330	47600	1335	47600	1780	60400				
1360	49000	1370	47600						
1390	49000	1405	49000						
		1440	50500						
		1475	50500						
		1510	50500						
		1545	53600						
		1615	53600						

Table 1 A.4

Date Of Retirement				Table 1 A.4					
1-1-1981 To		31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
1575-2300		1900-2500		2225-2675		2325-2850		2400-3000	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
1575	67700	1900	78800	2675	123100	2325	123100	2400	123100
1625	67700	1975	78800	2750	123100	2400	123100		
1675	67700	2050	78800	2825	123100	2475	123100		
1725	67700	2125	78800			2550	123100		
		2200	78800			2625	123100		
		2275	78800			2775	123100		
		2350	78800			2850	123100		
		2425	78800			2925	123100		
		2575	78800			3075	123100		
		2650	78800						
		2725	78800						

Table 1 A.5

Date Of Retirement			
1-1-1981 To		31-12-1985	
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
2600-3200		3000-3500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
		3600	144200
		3700	144200
		3800	144200

Table 1 A.5

Table 1 B.1

Date Of Retirement				Table 1 B.1					
1-1-1986 To		31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
775-12-955-14-1025		800-15-1010-20-1150		825-15-900-20-1200		950-20-1150-25-1400		950-20-1150-25-1500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
775	18000	800	18000	825	18500	970	20500	970	2050
787	18000	815	18000	840	1850	990	20500	990	20500
799	18000	830	18000	855	18500	1175	22400	1175	22400
811	18000	845	18500	870	18500	1225	23100	1225	23100
823	18000	860	18500	885	19100	1250	23800	1250	23800
835	18000	875	18500	900	19100	1275	23800	1275	23800
847	18500	890	19100	940	19700	1300	24500	1300	24500
859	18500	905	19100	960	19700	1325	25200	1325	25200
871	18500	935	19700	980	20300	1375	26000	1375	26000
883	19100	965	20300	1020	20300	1425	26000	1425	26000
895	19100	980	20300	1040	20300	1450	26800	1450	26800
907	19100	995	20300	1060	20900	1475	26800	1475	26800
919	19700	1170	22100	1080	20900			1525	27600
931	19700	1190	22100	1120	21500			1575	27600
943	19700			1140	21500				
955	19700			1160	22100				
969	20300			1220	22800				
983	20300								
997	20300								
1011	20300								
1039	20300								
1053	20300								
1067	20300								

Table 1 B.2

Date Of Retirement				Table 1 B.2					
1-1-1986 To		31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
975-25-1150-30-1540		1200-30-1800		1320-30-1560-40-2040		1400-40-1800-50-2300		1400-40-1600-50-2300-60-2600	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
975	20500	1230	25500	1320	26300			2480	47600
1075	21100	1290	26300	1380	27100			2540	49000
1125	21700	1320	26300	1410	27900			2660	50500
1270	23800	1380	27100	1470	27900			2720	50500
1300	24500	1410	27900	1530	28700				
1330	25200	1470	27900	1840	33300				
1360	25200	1530	28700	1960	35300				
1390	26000	1590	30500	2080	35300				
1420	26000	1620	30500						
1450	26800	1710	31400						
1510	27600	1740	32300						
1540	27600	1770	32300						
1570	27600	1830	33300						
1630	27600	1890	34300						

Table 1 B.3

Date Of Retirement				Table 1 B.3					
1-1-1986 To		31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
1500-50-2150-60-2750		1600-50-2300-2780		1640-60-2600-75-2900		1800-60-2280-75-3330		2000-60-2300-75-3200-100-3500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
2210	43600	2480	47600	1820	38700	1980	44900	2375	47600
2270	44900	2540	49000	1940	39900	2220	44900	2525	49000
2330	44900	2660	50500	2480	47600	2280	44900	3600	62200
2390	46200	2720	50500	2540	49000	2355	47600	3800	62200
2510	49000	2840	53600			2430	49000		
2570	49000	2960	55200			2505	49000		
2630	50500					2580	50500		
2690	50500					2655	52000		
2810	50500					2730	52000		

2870	50500					2805	53600		
2930	50500					2880	53600		
						2955	56900		
						3030	56900		
						3105	58600		
						3180	58600		
						3255	60400		
						3330	60400		
						3405	62200		
						3480	62200		
						3555	62200		

Table 1 B.4

Date Of Retirement				Table 1 B.4					
1-1-1986	To	31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
2200-75-2800-100-4000		2400-75-2850-100-1450		3000-100-3500-125-4500		3700-125-4700 150-5000		4100-125-4850 150-5300	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
2275	44900	2475	53100	3625	69700	3825	78800	4225	123100
2425	44900	2550	53100	3875	71800	4075	78800	4475	123100
2500	49000	2625	54700	4125	74000	4325	78800	4600	123100
2575	50500	2700	54700	4375	76200	4575	81200	4725	123100
2650	52500	2775	56300	4625	76200	4700	81200	5600	123100
2725	52500	2850	56300	4750	78500			5750	126800
2800	53600	2950	58000	4875	80900				
3600	62200	3150	61500						
3800	62200	3250	61500						
3900	62200	3350	63300						
		3450	65200						
		3550	67200						
		3650	67200						
		3850	69200						
		4050	71300						
		4150	71300						

Table 1 B.5

Date Of Retirement		Table 1 B.5					
1-1-1986 To		31-12-1995					
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
4300-125-4800-150-5550		4500-150-5700		5100-150-5700-200-6300		5900-200-6700	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
4425	123100	4650	12310			7100	148500
4550	123100	4800	123100			7300	148500
4675	123100	4950	123100				
4800	123100						
4950	123100						

Table 1 C.1

Date Of Retirement				Table 1 C.1					
1-1-1996 To		31-12-2005							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
2550-55-2660-60-3200		2610-60-3150-65-3540		2650-65-3300-70-4000		2750-70-3800-75-4400		3050-75-3950-80-4590	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
2550	18000	2610	18000	2650	18500	2750	19100	3050	20500
2605	18000	2670	18500	2715	18500	2820	19100	3125	20500
2660	18500	2730	18500	2780	19100	2890	19700	3275	21100
2720	18500	2790	19100	2845	19100	2960	19700	3350	21100
2780	19100	2850	19100	2910	19700	3030	20300	3425	21700
2840	19100	2910	19700	2975	19700	3100	20300	3500	21700
2900	19700	2970	19700	3040	20300	3170	20300	3575	22400
2960	19700	3030	20300	3105	20300	3240	20300	3725	23100
3020	20300	3090	20300	3170	20300	3310	20900	4030	24500
3080	20300	3150	20300	3235	20300	3380	20900	4110	25200
3140	20300	3215	20300	3300	20900	3450	21500	4190	25200
3260	20300	3280	20900	3440	21500	3520	21500	4270	26000
3320	20900	3345	20900	3510	21500	3590	22100	4350	26000
3380	20900	3410	21500	3580	22100	3660	22800	4430	26800
		3475	21500	3720	22800	3730	22800	4510	26800

		3605	22100	3790	22800	4025	24200	4590	27[illegible]00
		3670	22800	3860	23500	4175	24900	4670	27[illegible]00
		3735	22800	3930	23500	4250	25600	4830	28400
				4070	24200	4325	25600		
				4140	24900	4550	26400		
				4210	24900				

Table 1 C.2

Date Of Retirement				Table 1 C.2					
1-1-1996	To	31-12-2005							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
3200-85-4900		4000-100-6000		4500-125-7000		5000-150-8000		5500-175-9000	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
2550	18000	2610	18000	2650	18500	2750	19100	3050	20500
3285	21700	4200	26300	4875	31000	5150	36500	5675	38700
3455	21700	4300	27100	5125	31900	5450	37600	5850	39900
3625	23100	4600	28700	5250	32900	6050	39900	6025	39900
3710	23100	4700	28700	5375	32900	6350	42300	6550	42300
3795	23800	4800	29600	5625	34900	6650	43600	6725	43600
3880	23800	5100	31400	5875	35900	6800	43600	7075	44900
3965	24500	5200	31400	6125	37000	6950	44900	7425	47600
4050	25200	5400	32300	6250	38100	7400	46200	7600	47600
4135	25200	5700	34300	6625	39200	7550	47600	7775	49000
4220	26000	5800	34300	6750	40400	7850	49000	7950	49000
4305	26000	6100	36400	6875	40400	8150	50500	8125	50500
4390	26800	6300	36400	7000	41600	8450	52000	8475	52000
4560	27600			7125	41600			8650	53600
4645	2760			7375	42800			9175	55200
4730	28400							9350	56900
4815	28400							9525	56900
4985	29300								
5070	30200								
5155	30200								

Table 1 C.3

Date Of Retirement				Table 1 C.3					
1-1-1996	To	31-12-2005							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
6500-200-10500		7500-250-12000		8000-275-13500		10000-325-15200		12000-375-16500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
6700	44900	7750	50500	8275	54700	10325	67700	12375	78800
7300	47600	8250	52000	8550	56300	10650	69700	13125	83600
7900	50500	8750	55200	9375	59700	10975	69700	13875	86100
8100	52000	9250	56900	9650	61500	11625	74000	14250	88700
8700	53600	9750	60400	9925	61500	11950	76200	14625	91400
8900	55200	10250	62200	10200	63300	12275	76200	15000	91400
9300	56900	11000	66000	10475	65200	12600	78500	15375	94100
9700	58600	11250	68000	11025	67200	12925	80900	15750	96900
9900	60400	11500	68000	11575	71300	13250	80900	16125	96900
10100	60400	11750	70000	11850	71300	13575	83300	16500	99800
10300	62200	12250	72100	12125	73400	13900	85800	16875	102800
10700	64100	12500	72100	12400	73400	14225	85800	17250	102800
10900	64100			12675	75600	14550	88400	17625	105900
11100	66000			12950	77900	14875	88400		
				13225	77900	15200	91100		
				13775	80200	15525	93800		
				14050	82600	15850	93800		
				14325	82600	16175	96600		

Table 1 C.4

Date Of Retirement				Table 1 C.4	
1-1-1996	To	31-12-2005			
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
14300-400-18300		16400-450-20000		18400-500-22400	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
14300	123100	16400	131100	18400	144200
14700	123100	16850	131100	18900	144200
15100	123100	17300	131100	19400	144200
15500	123100	17750	135000	19900	148500
15900	126800	18200	135000	20400	148500

16300	126800	18650	135000	21400	153000
16700	130600	19550	139100	21900	157600
17100	130600	20000	139100	22400	162300
17500	134500	20450	143300	22900	167200
17900	134500	21350	147600	23400	167200
18300	134500			23900	172200
18700	134500				
19500	138500				

Table 2 A.1

Date Of Retirement				Table 2 A.1					
1-1-1981	To	31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
350-425		375-480		400-540		425-605		480-680	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
400	18000	400	18000	400	18500	425	20500	480	20500
425	18000	425	18000	435	18500	435	20500	490	20500
435	18500	435	18500	480	19700	445	20500	500	20500
		445	18500	490	19700	635	23100	510	20500
		480	19100	500	19700			520	20500
				510	20300			530	20500
				520	20300			540	20500
				530	20300			550	21100
				540	20300			560	21100
				550	20300			570	21100
				560	20900			580	21700
				570	20900			590	21700
								600	22400
								610	22400
								620	22400
								650	23800
								680	24500
								710	25200

Table 2 A.2

Date Of Retirement				Table 2 A.2					
1-1-1981 To		31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
535-765		580-860		680-965		730-1080		785-1210	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
635	23100	580	25500	680	26300	860	31000	785	36500
810	27600	590	25500	710	26300	880	31900	810	36500
		600	25500	785	28700	920	31900	860	36500
		610	25500	860	30500	940	32900	935	36500
		620	25500	920	31400	960	32900	960	37600
		635	25500	935	32300	980	33900	985	37600
		650	25500	950	32300	1000	34900	1010	38700
		680	26300	980	33300	1020	34900	1060	39900
		710	26300	1010	33300	1060	35900	1260	44900
		785	28700			1100	37000		
		860	30500			1120	38100		
						1140	38100		

Table 2 A.3

Date Of Retirement				Table 2 A.3					
1-1-1981 To		31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
850-1360		880-1510		940-1660		1000-1820		1350-2000	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
880	36500	880	37600	940	44900	1000	44900	1350	53100
940	37600	950	37600	980	44900	1100	44900	1400	53100
1000	38700	985	38700	1020	44900	1150	44900	1450	54700
1060	39900	1020	39900	1060	44900	1300	47600	1500	56300
1120	42300	1300	46200	1100	44900	1350	49000	1550	56300
1150	42300	1580	53600	1140	44900	1400	50500	1600	58000
1180	43600			1180	44900	1450	52000	1650	59700

1300	46200			1260	44900	1500	53600	1700	61500
1420	49000			1300	47600	1550	55200	1775	61500
1450	50500			1420	50500	1600	55200	1850	63300
				1500	52000	1650	56900	1925	65200
				1580	53600	1700	58600	2000	67200
				1700	58600	2000	62200	2075	67200
								2150	67200
								2225	67200

Table 2 A.4

Date Of Retirement				Table 2 A.4					
1-1-1981	To	31-12-1985							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
1575-2300		1900-2500		2225-2675		2325-2850		2400-3000	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
1775	67700	2500	78800	2225	123100	2700	123100	2500	123100
1850	67700			2300	123100	3000	123100	2600	123100
1925	69700			2375	123100			2700	123100
2000	69700			2450	123100			2800	123100
2075	69700			2525	123100			2900	123100
2150	69700			2600	123100			3000	123100
2225	69700			2900	123100			3100	123100
2300	71800							3200	123100
2375	71800							3300	123100
2450	71800								
2525	74000								

Table 2 A.5

Date Of Retirement		Table 2 A.5	
1-1-1981 To	31-12-1985		
Pay Scale at Retirement 2600-3200		Pay Scale at Retirement 3000-3500	
Basic PAY	Notional Basic PAY on 1-1-12016	Basic PAY	Notional Basic PAY on 1-1-12016
2600	131100	3000	144200
2700	131100	3100	144200
2800	131100	3200	144200
2900	131100	3300	144200
3000	131100	3400	144200
3100	131100	3500	144200
3200	131100		
3300	131100		
3400	131100		
3500	131100		

Table 2 B.1

Date Of Retirement				Table 2 B.1					
1-1-1986 To		31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
775-12-955-14 -1025		800-15-1010-20- -1150		825-15-900- -20-1200		950-20-1150- -25-1400		950-20-1150- -25-1500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
1025	20300	920	19100	920	19700	950	20500	950	20500
		950	19700	1000	20300	1010	20500	1010	20500
		1010	20300	1100	21500	1030	20500	1030	20500
		1030	20300	1180	22100	1050	21100	1050	21100
		1050	20900	1200	22800	1070	21100	1070	21100
		1070	20900	1240	23500	1090	21100	1090	21100
		1090	21500	1260	23500	1110	21700	1110	21700
		1110	21500			1130	21700	1130	21700
		1130	21500			1150	22400	1150	22400
		1150	22100			1200	23100	1200	23100
		1210	22100			1350	25200	1350	25200
						1400	26000	1400	26000
								1500	27600
								1550	27600

Table 2 B.2

Date Of Retirement				Table 2 B.2					
1-1-1986 To		31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
975-25-1150-30- -1540		1200-30-1800		1320-30-1560- -40-2040		1400-40-1800- -50-2300		1400-40-1600-50 2300-60-2600	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
1000	20500	1200	25500	1350	26300	1400	29200	1400	35400
1025	20500	1260	25500	1440	27900	1440	29200	1440	35400
1050	21100	1350	26300	1500	28700	1480	30100	1480	35400
1100	21700	1440	27900	1560	29600	1520	30100	1520	36500
1150	22400	1500	28700	1600	30500	1560	30100	1560	36500
1180	22400	1560	29600	1640	30500	1600	31000	1600	36500
1210	23100	1650	31400	1680	31400	1640	31900	1650	36500
1240	23100	1680	31400	1720	32300	1680	31900	1700	36500

1480	27600	1800	33300	1760	32300	1720	32900	1750	37600
1600	27600	1860	34300	1800	33300	1760	32900	1800	37600
				1880	34300	1800	33900	1850	38700
				1920	35300	1850	34900	1900	39900
				2000	35300	1900	35900	1950	39900
				2040	35300	1950	35900	2000	41100
				2120	35300	2000	37000	2050	42300
				2160	35300	2050	38100	2100	42300
						2100	38100	2150	43600
						2150	39200	2200	43600
						2200	40400	2250	44900
						2250	40400	2300	44900
						2300	41600	2360	46200
						2350	41600	2420	46200
						2400	41600	2600	49000
						2450	41600	2780	50500

Table 2 B.3

Date Of Retirement				Table 2 B.3					
1-1-1986 To		31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
1500-50-2150-60-2750		1600-50-2300-60-2780		1640-60-2600-75-2900		1800-60-2280-75-3330		2000-60-2300 75-3200-100-3500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
1500	35400	1600	37600	1640	37600	1800	44900	2000	44900
1550	35400	1650	37600	1700	37600	1860	44900	2060	44900
1600	35400	1700	37600	1760	37600	1920	44900	2120	44900
1650	36500	1750	38700	1880	39900	2040	44900	2180	44900
1700	36500	1800	38700	2000	41100	2100	44900	2240	44900
1750	37600	1850	38700	2060	42300	2160	44900	2300	46200
1800	37600	1900	39900	2120	42300			2450	49000
1850	38700	1950	39900	2180	43600			2600	50500
1900	39900	2000	41100	2240	44900			2675	52000
1950	39900	2050	42300	2300	44900			2750	52000
2000	41100	2100	42300	2360	46200			2825	53600
2050	42300	2150	42300	2420	47600			2900	55200
2100	42300	2200	43600	2600	49000			2975	56900
2150	43600	2250	44900	2675	50500			3050	56900
2450	47600	2300	44900	2750	50500			3125	58600

2750	50500	2360	46200	2825	53600			3200	58600
		2420	47600	2900	53600			3300	60400
		2600	49000	2975	55200			3400	62200
		2780	52000	3050	55200			3500	62200
		2900	53600	3125	55200			3700	62200

Table 2 B.4

Date Of Retirement				Table 2 B.4					
1-1-1986	To	31-12-1995							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
2200-75-2800-100-4000		2400-75-2850-100-4150		3000-100-3500-125-4500		3700-125-4700-150-5000		4100-125-4850-150-5300	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
2200	44900	2400	53100	3000	67700	3700	78800	4100	123100
2350	47600	3050	59700	3100	67700	3950	78800	4350	123100
2900	55200	3750	67200	3200	67700	4200	78800	4850	123100
3000	56900	3950	69200	3300	67700	4450	81200	5000	123100
3100	58600	4250	71300	3400	67700	4850	83600	5150	123100
3200	58600	4350	71300	3500	69700	5000	86100	5300	123100
3300	60400	4450	73400	3750	69700	5150	86100	5450	123100
3400	62200			4000	71800	5300	88700		
3500	62200			4250	76200	5450	91400		
3700	62200			4500	76200				
4000	62200			4100	62200				
4200	62200								
4300	62200								

Table 2 B.5

Date Of Retirement				Table 2 B.5			
1-1-1986	To	31-12-1995					
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
4300-125-4800-150-5550		4500-150-5700		5100-150-5700-220-6300		5900-200-6700	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
4300	123100	4500	123100	5100	131100	5900	144200
5100	123100	5100	123100	5250	131100	6100	144200
5250	123100	5250	123100	5400	131100	6300	144200
5400	123100	5400	123100	5550	131100	6500	148500

5550	123100	5550	123100	5700	131100	6700	148500
5700	123100	5700	123100	5900	131100	6900	148500
5850	123100	5850	123100	6100	131100		
6000	126800	6000	126800	6300	131100		
		6150	126800	6500	131100		
				6700	135000		
				6900	135000		

Table 2 C.1

Date Of Retirement				Table 2 C.1					
1-1-1996 To		31-12-2005							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
2550-55-2660-60-3200		2610-60-3150-65-3540		2650-65-3300-70-4000		2750-70-3800-75-4400		3050-75-3950-80-4590	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
3200	20300	3540	22100	3370	20900	3800	22800	3200	20500
				3650	22100	3875	23500	3650	22400
				4000	24200	3950	24200	3800	23100
						4100	24900	3875	23800
						4400	26400	3950	23800
						4475	26400	4750	28400
						4625	27200		

Table 2 C.2

Date Of Retirement				Table 2 C.2					
1-1-1996 To		31-12-2005							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
3200-85-4900		4000-100-6000		4500-125-7000		5000-150-8000		5500-175-9000	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
3200	21700	4000	25500	4500	29200	5000	35400	5500	37600
3370	21700	4100	26300	4625	30100	5300	36500	6200	41100
3540	22400	4400	27900	4750	30100	5600	37600	6375	42300
4475	26800	4500	27900	5000	31900	5750	38700	6900	44900
4900	29300	4900	30500	5500	33900	5900	39900	7250	46200
5000	30500	5750	34900	6200	41100	8300	50500		
5300	32300	6000	35900	6500	42300	8825	53600		
5500	33300	6375	38100	7100	44900	9000	55200		
5600	33300	6500	39200	7250	46200				
5900	35300	7250	42800	7700	49000				
6000	35300								
8000	50500								
6200	36400								
8300	50500								

Table 2 C.3

Date Of Retirement				Table 2C.3					
1-1-1996	To	31-12-2005							
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement	
6500-200-10500		7500-250-12000		8000-275-13500		10000-325-15200		12000-375-16500	
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016
6500	44900	7500	49000	8000	53100	10000	67700	12000	78800
6900	44900	8000	52000	8825	56300	11300	71800	12750	81200
7100	46200	8500	53600	9100	58000			13500	86100
7500	49000	9000	56900	10750	67200				
7700	49000	9500	58600	11300	69200				
8300	52000	10000	60400	13500	80200				
8500	53600	10500	64100						
9100	56900	10750	64100						
9500	58600	12000	70000						
10500	62200	12750	74300						

Table 2 C.4

Date Of Retirement			Table 2C.4				
1-1-1996	To	31-12-2005					
Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement		Pay Scale at Retirement			
14300-400-18300		16400-450-20000		18400-500-22400			
Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016	Basic PAY	Notional Basic Pay on 1.1.2016		
19100	138500	19100	135000	20900	153000		
		20900	143300				

एनेक्चर-डी

साध्य-1 के अनुरूप दिनांक- 01-01-1981 से 31-12-2005 के बीच सेवानिवृत्त/मृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों हेतु पेंशन निर्धारण का सूत्र:

सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए कि पी०पी०ओ० में अंकित मूल वेतन के आधार पर वेतनमान, प्रक्रम इत्यादि का विशिष्ट निर्धारण किया जा सकता है अथवा नहीं ? जहाँ वेतनमान प्रक्रम इत्यादि का विशिष्ट निर्धारण संभव है; ऐसे सभी मामलों की सूची एनेक्चर-सी की तालिका (Table-1) में संलग्न है। उक्त विशिष्ट सूचना के आधार पर पेंशन/परिवार पेंशन के निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

मामला- 1- पेंशन निर्धारण, जहाँ मूल वेतन के आधार पर वेतनमान, प्रक्रम इत्यादि का विशिष्ट निर्धारण संभव है:-

(i) मान लिया कि सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय मूल वेतन X_1 है तथा स्वीकृत पेंशन की राशि Y_1 है।

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर एनेक्चर-सी की तालिका- 1 में दिनांक- 01-01-2016 को X_1 का प्रतिस्थानी पुनरीक्षित मूल वेतन को चिन्हित कर लें। मान लिया कि चिन्हित राशि R_1 है।

(iii) मान लिया कि जिस पद से कर्मी सेवानिवृत्त/मृत्त हुआ है, दिनांक- 01-01-2016 को उस पद हेतु अनुमान्य न्यूनतम वेतन M_1 है। M_1 एवं R_1 में जो अधिक है वही दिनांक- 01-01-2016 को निर्धारित वैचारिक मूल वेतन है। मान लिया कि उक्त राशि N_1 है।

(iv) उक्त स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन की गणना निम्न सूत्र से की जा सकेगी:-

$$\text{पेंशन की राशि} = \frac{N_1 \times Y_1}{X_1}$$

(अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे)

मामला- 2- पेंशन निर्धारण, जहाँ मूल वेतन के आधार पर वेतनमान, प्रक्रम इत्यादि का विशिष्ट निर्धारण संभव नहीं है:-

(i) मान लिया कि सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय मूल वेतन X_2 है तथा स्वीकृत्त पेंशन की राशि Y_2 है।

(ii) वेतनमान, प्रक्रम संबंधी अन्य विवरणों को प्राप्त करने के पश्चात एनेक्चर-सी की तालिका- 2 में दिनांक- 01-01-2016 को X_2 का प्रतिस्थानी पुनरीक्षित मूल वेतन को चिन्हित कर लें। मान लिया कि चिन्हित राशि R_2 है।

(iii) मान लिया कि जिस पद से कर्मी सेवानिवृत्त/मृत्त हुआ है, दिनांक- 01-01-2016 को उस पद हेतु अनुमान्य न्यूनतम वेतन M_2 है। M_2 एवं R_2 में जो अधिक है वही दिनांक- 01-01-2016 को निर्धारित वैचारिक मूल वेतन है। मान लिया कि उक्त राशि N_2 है।

(iv) उक्त स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन की गणना निम्न सूत्र से की जा सकेगी:-

$$\text{पेंशन की राशि} = \frac{N_2 \times Y_2}{X_2}$$

(अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे)

मामला- 3- परिवार पेंशन का निर्धारण, जहाँ मूल वेतन के आधार पर वेतनमान, प्रक्रम इत्यादि का विशिष्ट निर्धारण संभव नहीं है:-

(i) मान लिया कि सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय मूल वेतन X_3 है।

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर एनेक्चर-सी की तालिका- 1 में दिनांक- 01-01-2016 को X_3 का प्रतिस्थानी पुनरीक्षित मूल वेतन को चिन्हित कर लें। मान लिया कि चिन्हित राशि R_3 है।

(iii) मान लिया कि जिस पद से कर्मी सेवानिवृत्त/मृत्त हुआ है, दिनांक- 01-01-2016 को उस पद हेतु अनुमान्य न्यूनतम वेतन M_3 है। M_3 एवं R_3 में जो अधिक है वही दिनांक- 01-01-2016 को निर्धारित वैचारिक मूल वेतन है। मान लिया कि उक्त राशि N_3 है।

(iv) उक्त स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन की गणना निम्न सूत्र से की जा सकेगी:-

$$\text{पेंशन की राशि} = \frac{N_3 \times 30}{100}$$

(अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे)

मामला- 4- परिवार पेंशन निर्धारण, जहाँ मूल वेतन के आधार पर वेतनमान, प्रक्रम इत्यादि का विशिष्ट निर्धारण संभव नहीं है:-

(i) मान लिया कि सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय मूल वेतन X_4 है।

(ii) वेतनमान, प्रक्रम संबंधी अन्य विवरणों को प्राप्त करने के पश्चात एनेक्चर-सी की तालिका- 2 में दिनांक- 01-01-2016 को X_4 का प्रतिस्थानी पुनरीक्षित मूल वेतन को चिन्हित कर लें। मान लिया कि चिन्हित राशि R_4 है।

(iii) मान लिया कि जिस पद से कर्मी सेवानिवृत्त/मृत्त हुआ है, दिनांक- 01-01-2016 को उस पद हेतु अनुमान्य न्यूनतम वेतन M_4 है। M_4 एवं R_4 में जो अधिक है वही दिनांक- 01-01-2016 को निर्धारित वैचारिक मूल वेतन है। मान लिया कि उक्त राशि N_4 है।

(iv) उक्त स्थिति में पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की गणना निम्न सूत्र से की जा सकेगी:–

$$\text{पेंशन की राशि} = \frac{N_4 \times 30}{100}$$

(अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे)

Annexure D: Pension Fixation Formula as per Formulation 1 for the pensioners/family pensioners with date of retirement between- 01-01-1981 and 31-12-2005.

Firstit mustbe established whether Pay Scale, Stage etc., can be uniquely determined from the basic pay available in PPO. A list of all such cases, where Pay Scale, Stage etc., can be uniquely determined, have been provided in **Annexure C Table 1.** Based on the above distinction Pension/Family Pension may be fixed as per following cases-

Case-1: Pension fixation, where unique determination of pay scales etc is possible from Basic Pay.

(i) Let Basic Pay at the time of death/retirement be 'X_1' and pension sanctioned at the time retirement be 'Y_1'

(ii) Locate the Revised Notional Basic Pay as on -01-01-2016 corresponding to X_1 in **Annexure C, Table 1** for the respective retirement period, Let it be R_1

(iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_1. Take the higher of M_1 and R_1, let it be N_1.

(iv) If Notional Pay so fixed for Basic Pay as on -01-01-2016 is 'N_1', Revised Pension as on -01-01-2016 can be calculated as-

$= (N_1 * Y_1)/X_1$

(Additional Pension applicable as per Case)

Case-2: Pension fixation, where unique determination of pay scales etc is NOT possible from Basic Pay.

(i) Let Basic Pay at the time of death/retirement be 'X_2' and pension sanctioned at the time retirement be 'Y_2'

(ii) After other details of Pay Scale and Stage are available, Notional Pay as on -01-01-2016 corresponding to X_2 must be located in **Annexure C Table-2** for the respective retirement period, Let it be R_2.

(iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_2. Take the higher of M_2 and R_2, let it be N_2.

(iv) If Notional Pay so fixed as on -01-01-2016 is 'N_2', then Revised Pension as on -01-01-2016 can be calculated as-

$= (N_2 * Y_2)/X_2$

(Additional Pension applicable as per Case)

Case-3: Family Pension fixation, where unique determination of pay scales etc is possible from Basic Pay.

(i) Let Basic Pay at the employee at the time of death/retirement be 'X_3'.

(ii) Locate the Revised Notional Basic Pay as on -01-01-2016 corresponding to X_3 in **Annexure C, Table 1** for the respective retirement period, Let it be R_3.

(iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_3. Take the higher of M_3 and R_3, let it be N_3.

(iv) If Notional Pay fixed on -01-01-2016 is 'N_3', Revised Family Pension as on -01-01-2016 can be calculated as-

$$= (N_3*30)/100$$

(Additional Family Pension applicable as per Case)

Case-4: Family Pension fixation, where unique determination pay scales etc is NOT possible from Basic Pay.

(i) Let Basic Pay of the employee at the time of death/retirement be 'X_4'.

(ii) After other details of Pay Scale and Stageare available, Notional Pay as on-01-01-2016 corresponding to X_4 must be located in **Annexure C Table 2** for the respective retirement period, let it be R_4.

(iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_4. Take the higher of M_4 and R_4, let it be N_4.

(iv) If Notional Pay fixed as on -01-01-2016 is 'N_4', then Revised Family Pension as on -01-01-2016 can be calculated as-

$$= (N_4*30)/100$$

(Additional Family Pension applicable as per Case)

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग सं० वि० (27) पें०को०- 67/2017-756/ वि०, दिनांक 24-10-2017 की प्रतिलिपि ।]

प्रेषक- शिव शंकर मिश्रा, सरकार के विशेष सचिव, सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी।

विषय- नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंग- वित्त विभागीय संकल्प सं०-622, दिनांक- 28-08-2017.

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०-622, दिनांक- 28-08-2017 द्वारा NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप ही दिनांक- 01-09-2005 के प्रभाव से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान किया गया है। इसके भुगतान की प्रक्रिया के संदर्भ में मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस क्रम में NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(क) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो आज की तिथि में पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के लिए लागू है। सेवानिवृत्त कर्मी/उनके उत्तराधिकारी संलग्न विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-क) भरकर कार्यालय प्रधान को समर्पित करेंगे। कार्यालय प्रधान आवश्यक प्रविष्टियों को भरकर सेवा पुस्त के साथ इसे महालेखाकार बिहार को अग्रसारित करेंगे। सेवा पुस्त में सेवा सत्यापन एवं अन्य आवश्यक प्रविष्टियों की जाँच कर ली जायेगी।

(ख) महालेखाकार, बिहार द्वारा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा जो संबंधित कोषागार को संबोधित होगा तथा इसकी प्रति संबंधित कर्मी/उनके उत्तराधिकारी एवं प्रशासी विभाग को भी प्रेषित की जायेगी।

(ग) भुगतेय राशि की गणना इसके लिए प्रचलित/लागू सूत्र के आलोक में की जायेगी जो संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित है। सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु की स्थिति में उपदान राशि की गणना में क्रमश: संलग्न गणना तालिका की कंडिका- 7 एवं 8 में अंकित सूत्र का अनुप्रयोग किया जायेगा।

(घ) सेवावधि की गणना छःमाही काल खण्डों के रूप में की जायेगी। इस हेतु तीन माह से कम की सेवावधि की गणना नहीं की जायेगी; लेकिन तीन माह या इससे अधिक की सेवावधि की गणना अगले छःमाही के रूप में की जायेगी।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-क

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु प्रपत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में)
   (ii) Name of Govt. Servant in English (in capital letters)-
2. (i) पिता/पति का नाम–
   (ii) Father's/Husband's Name (in capital letters)-
3. (i) स्थायी पता- डाकघर–
   ग्राम/मोहल्ला– जिला–
   थाना– पिनकोड–
   (ii) Permanent Address **(in capital letters)-**
   Vill/Moh.- Post-
   P.S.- Distt.-
   State- Pin Code.-
   Mobile No.-
4. (i) पत्राचार का पता (हिन्दी में)–
   ग्राम/मोहल्ला– डाकघर– राज्य–
   थाना– जिला–
   पिनकोड– Mobile No.-
   (ii) Address for correspondence in English (in capital letters):-
   Vill/Moh.- Post- P.S.- Distt.-
   State.- Pin No.- Mobile No.-
5. (i) अंतिम पदस्थापन की स्थितिः पदनाम (हिन्दी में)–
   कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में)–
   (ii) Status of last posting: Designation (in English)-
   Name of Office/Department (in English)-
6. सेवा आरम्भ की तिथि–
7. (i) सेवा समाप्ति की तिथि–
   (ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो)–
8. कुल सेवा अवधि- वर्ष माह दिन
   व्यवधान की अवधि–
9. अंतिम वेतन–
10. औसत वेतन–
11. कोषागार का नाम–
    (जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)
12. आवेदक की जन्म तिथि–

13. ऊँचाई–
14. पहचान चिन्ह–
15. सरकारी सेवक का मोबाईल नं०–
16. सरकारी सेवक का यूनिक आई०डी०
    (क) प्रान नं०–
    (ख) पैन नं०–
    (ग) आधार नं०–
    (घ) ई-मेल–

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

फोटोग्राफ

नोट:– (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ।
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ।

परिवार के सदस्यों का विवरण–

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.
2.
3. **हस्ताक्षर अभिप्रमाणित**

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

घोषणा-पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपने सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने पूर्व में इसके लिए न तो आवेदन दिया है और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा।

2. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

गणना तालिका

1. सेवा निवृत्त/मृत्त सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम--
2. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि–
3. सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि–
4. सेवा की कुल अवधि– वर्ष माह दिन
5. अन्तिम वेतन–
6. औसत वेतन–
7. उपदान की राशि–

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता)} \times \text{छहमाही सेवा की अवधि}}{4}$$

8. मृत्यु उपदान--
   (क) एक वर्ष से कम की सेवा-परिलब्धि का दो गुणा
   (ख) एक वर्ष या अधिक तथा पाँच वर्ष से कम-परिलब्धि का छः गुणा
   (ग) पाँच वर्ष या अधिक तथा बीस वर्ष से कम- परिलब्धि का बारह गुणा
   (घ) बीस वर्ष या अधिक

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता)} \times \text{छहमाही सेवा की अवधि}}{2}$$

नोटः– मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी:–

सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि–	अधिकतम सीमा
(i) 01-09-2005 से 31-03-2007 तक-	₹ 3.50 लाख
(ii) 01-04-2007 से 31-03-2017 तक-	₹ 10 लाख
(iii) 01-04-2017 के बाद-	₹ 20 लाख

9. मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान की राशिः–
10. उपदान की राशि का भुगतान .... कोषागार से किया जायेगा।
11. उपदान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष– 2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
12. यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि यदि उपदान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन सेवा निवृत्त कर्मी हकदार हो, तो वह अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा। संबंधित सेवा निवृत्त कर्मी से इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न है।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर।

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... की अर्हक सेवा .... वर्ष .... महीना .... दिन सम्यक रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-622, दिनांक- 28-08-2017 के आलोक में .... रुपये की राशि मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है।

महालेखाकार, बिहार, पटना

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं० 3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-8392/ वि०, दिनांक 25-10-2017 की प्रतिलिपि ।]

विषय– पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-वि०(27)-पे०को०-(पु०)- 22/2017-381/वि०, दिनांक- 23-05-2017 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01-04-2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/9/2017-E-II(B) दिनांक- 20-09-2017 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक- 01-07-2017 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01-07-2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से

अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक- 01-07-2016 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग सं० वि० (27) पे०को०-(पुन०)-22/2017/764 वि०, दिनांक 30-10-2017 की प्रतिलिपि।]

प्रेषक– शिव शंकर मिश्र, सरकार के विशेष सचिव, सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी।

विषय– राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता से संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग– वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 754 एवं 755, दिनांक- 20-10-2017.

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 754 एवं 755, दिनांक- 20-10-2017 की क्रमशः कंडिका- 4 एवं 5 में उल्लिखित है कि ''पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।''

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 8043, दिनांक- 11-10-2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह रु 1,000 (एक हजार) चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के पेशनरों/परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रु० 1,000 (एक हजार) भुगतेय होगा जो संकल्प (754/755) के निर्गत की तिथि 20-10-2017 से प्रभावी होगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं० वि० (27) पे०को०-(पुन०)-35/2018/450, दिनांक– 30-05-2018 की प्रतिलिपि।]

विषय– बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक–01-01-2016 के प्रभाव से अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं०-643/2015 में दिनांक– 27-03-2018 को पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायिक पदाधिकारियों हेतु द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन एवं पेंशन पर अंतरिम राहत प्रदान करने का निदेश दिया गया है।

2. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 27-03-2018 एवं द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक– 01-01-2016 के प्रभाव से निम्नरूपेण अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है:–

(i) सभी कोटि/पद के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में तीस प्रतिशत (30%) वृद्धि के रूप में अंतरिम राहत का लाभ दिया जाएगा।

(ii) अंतरिम राहत को पृथक घटक समझा जाएगा, जिस पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा। अर्थात् महँगाई भत्ता का भुगतान मूल पेंशन (अंतरिम राहत को छोड़कर) पर ही जारी रहेगा।

(iii) पेंशन पर अंतरिम राहत का भुगतान मई 2018 से आरंभ किया जाएगा। दिनांक– 01-01-2016 के प्रभाव से बकाया राशि (Arrears) की गणना की जाएगी जिसका भुगतान 30-06-2018 तक कर दिया।

(iv) अंतरिम राहत के रूप में भुगतान की गयी राशि का समंजन (Adjustment) अंतिम आदेश निर्गत होने के पश्चात् यथाभुगतेय राशि के साथ किया जा सकेगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं० 3ए-1-मुक०-85/2016-5159, वि०, दिनांक-09-07-2018 की प्रतिलिपि ।]

विषय– सिविल रिट सं०-1022/1989 में दायर आई०ए० सं०-339/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–14-07-2016 के आलोक में दिनांक–01-01-1996 के बाद एवं दिनांक–01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण संबंधी संकल्प संख्या-885, दिनांक– 08-02-2017 में संशोधन के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल रिट सं०-1022/1989 में दायर आई०ए० सं०- 339/2015 में दिनांक– 14-07-2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा संकल्प संख्या-885, दिनांक– 07-02-2017 निर्गत किया गया। इस संकल्प के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक– 01-01-1996 के बाद एवं दिनांक– 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारी को निर्धारित पेंशन (With commutation)/पारिवारिक पेंशन के 03.07 गुणक या उनके पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन (Minimum 50%) में जो अधिक हो, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य किया जा सकता है। इस क्रम में मूल स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को ही देखा जाएगा तथा यदि वरीय न्यायिक पदाधिकारी का पेंशन, कनीय की तुलना में कम्यूटेशन के कारण कम हो रहा है तो वह इससे आच्छादित नहीं होगा।

2. उक्त संकल्प से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए संशोधन का अनुरोध महालेखाकार कार्यालय बिहार एवं प्रभावित सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त संकल्प में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश का अनुपालन अक्षरशः (Letter and Sprit) नहीं होने एवं महालेखाकार तथा प्रभावित पदाधिकारियों के अनुरोध की सम्यक् समीक्षा के उपरान्त निर्णय सरकार के विचाराधीन था।

4. **सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि** " राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक–01-01-1996 के बाद एवं दिनांक– 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारी को प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक–01-01-2006 से 3.07 गुणक या उनकी सेवानिवृत्ति के समय पदीय वेतनमान में अंतिम आहरित वेतन प्रक्रम के समकक्ष पद का पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन प्रक्रम के 50 प्रतिशत में से, जो अधिक हो, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होगा। इस क्रम में मूल स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को ही देखा जाएगा तथा यदि वरीय न्यायिक पदाधिकारी का पेंशन, कनीय की तुलना में कम्यूटेशन के कारण कम हो रहा है तो वह इससे आच्छादित नहीं होगा।"

वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 885, दिनांक–07-02-2017 को इस हद तक संशोधित पढ़ा जाए। इसमें विधि विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं०, वि०-27पे०को०-69/2018-918, दिनांक- 25-10-2018 की प्रतिलिपि ।]

विषय– केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-1/19/03-P&PW(E), दिनांक- 30-08-2004 एवं 06-09-2007 तथा 1/13/09-P&PW(E), दिनांक– 11-09-2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् भी विवाह/पुनर्विवाह/विहित न्यूनतम आय की शर्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है।

2. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह/पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार के अनुरूप

अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को विहित शर्त्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य करने हेतु अनेकानेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त होने के कारण यह विषय सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, के आश्रित अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा पुत्रियों को निम्न शर्त्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की जाती है:–

(क) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा 25 वर्ष की आयु के पश्चात् भी उनके विवाह/पुनर्विवाह अथवा मासिक आधार पर विहित न्यूनतम आय की प्राप्ति आरंभ करने तक अनुमान्य होगी। परिवार पेंशन हेतु अर्हकता/अनर्हकता के संदर्भ में विहित न्यूनतम आय का तात्पर्य तत्समय लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं महँगाई भत्ता के जोड़ से प्राप्त राशि से है। विवाह/पुनर्विवाह/न्यूनतम मासिक आय की उपलब्धता की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की अर्हकता समाप्त हो जायेगी।

(ख) परित्यक्ता पुत्रियों को उनके पति से प्राप्त गुजारा/जीवन निर्वाह की राशि की गणना उनकी आय के रूप में की जायेगी। अर्थात् जीवन निर्वाह की राशि उपर्युक्त विहित न्यूनतम आय से अधिक होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा तभी देय होगी, जब 25 वर्ष तक की आयु के सभी संतान पारिवारिक पेंशन हेतु अयोग्य हो जाएँ तथा कोई दिव्यांग संतान न हो।

(घ) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को भी आयु क्रम में ही पारिवारिक पेंशन देय होगा तथा छोटी पुत्री तभी योग्य होगी जब बड़ी पुत्री इस हेतु अयोग्य हो जाए।

(ङ) पेंशन वितरण प्राधिकार छ:माही आधार पर आय/विवाह के संबंध में क्रमश: आय प्रमाण पत्र (प्रखण्ड स्तर से निर्गत) तथा प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दायर शपथ पत्र पेंशनर से प्राप्त कर ही पेंशन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(च) एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(छ) यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना सं०, वि०-(27)पे०को०-47/2018-77, वि०, दिनांक- 21-01-2019 की प्रतिलिपि।]

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।–

(1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 का नियम- 27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"2-नियम-43(घ) के अधीन मामलों को छोड़कर, पेंशन में उपदान शामिल हो।"

3. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम- 43 के खण्ड(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (घ) जोड़ा जाएगा:–

"(घ)– यदि सेवा निवृत्त की तिथि को सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो, उपदान की पूर्ण राशि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के अन्तिम निष्कर्ष एवं तद्नुसार आदेश निर्गत होने तक रोक रखी जा सकेगी;

परन्तु जहाँ बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(i), (ii) एवं (v) में वर्णित लघु दंड अधिरोपित करने हेतु नियम-19 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है, वहाँ सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान किया जा सकेगा''।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं०-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-1528, वि०, दिनांक- 11-02-2019 की प्रतिलिपि ।]

विषय– पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01-07-2018 के प्रभाव से 274 प्रतिशत के स्थान पर 284 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3252, दिनांक–04-05-2018 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक– 01-01-2018 के प्रभाव से 274 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक–1-3-2018-E-II(B), दिनांक–11-09-2018 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक–01-07-2013 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 274 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 284 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी पद पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि–

(i) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक– 01-07-2018 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन में 274 प्रतिशत के स्थान पर 284 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) दिनांक– 01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक– 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक– 01-07-2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 274 प्रतिशत से बढ़ाकर 284 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

(iii) महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई

राहत की निकासी महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक वि०(27)-पे०को०-11/2019-249, वि०, दिनांक-28-02-2019 की प्रतिलिपि।]

विषय– वर्ष 1997 एवं 2003 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 'बार' से सीधे नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को वार्धक्य पेंशन गणना करने हेतु सेवा अवधि में वेटेज देने के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-14303, दिनांक–22-12-2010 द्वारा दिनांक–02-09-2008 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी के लिए 33 वर्ष की अर्हक सेवा के बदले 20 वर्ष की सेवा पूर्ण पेंशन हेतु निर्धारित की गयी। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर अनुपातिक रूप में कम करके पेंशन अनुमान्य किया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में संकल्प संख्या- 14303, दिनांक–22-12-2010 की कंडिका–3(i) एवं 3(iii) में समेकित संशोधन संकल्प संख्या- 11859, दिनांक–28-12-2011 के द्वारा पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्षों की अर्हक सेवा को दिनांक– 01-01-2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए दिनांक– 01-01-2006 से समाप्त करते हुये यह प्रावधान किया गया कि–

''पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त्त को दिनांक– 01-01-2006 के प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय। दिनांक– 01-01-2006 के प्रभाव से अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारी का पेंशन पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों पर अथवा अंतिम परिलब्धि इनमें से उसके लिए जो ज्यादा लाभकारी हो, के आधार पर 50 प्रतिशत पेंशन परिकलित किया जाय।''

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1529, दिनांक–11-02-2019 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण पेंशन के लिए संकल्प संख्या- 11859, दिनांक–28-12-2011 के प्रावधान के साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ण पेंशन के लिए संकल्प संख्या- 14303, दिनांक– 22-12-2010 के द्वारा विहित अर्हक सेवा के लिए 20 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर आनुपातिक रूप से पेंशन परिकलित किया जायेगा।

4. वित्त विभाग परिपत्र संख्या- 10412, दिनांक– 10-10-1975 तथा पी०सी०– 11-40-30-76-3042, दिनांक– 20-03-1976 के द्वारा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जो 'बार' (वकीलों में से) सीधी नियुक्त हुये है, को वास्तविक पेंशन प्रदायी सेवा में निम्नांकित अतिरिक्त वर्ष जोड़ने का प्रावधान है:–

(i) सरकारी सेवा में नियुक्ति की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से जितनी अधिक आयु में नियुक्ति हुई थी, उतनी अवधि

या

(ii) 5 वर्ष जो भी कम हो।

उपर्युक्त सुविधा सिर्फ वार्धक्य पेंशन के लिए ही अनुमान्य है, दूसरे किसी प्रकार के पेंशन के लिए नहीं। उपर्युक्त लाभ के लिए आवश्यक होगा कि सेवा से मुक्त होते समय कम से कम 10 (दस) वर्ष की स्थायी सेवा पूर्ण हो।

5. वर्ष 1975 एवं 1976 के कथित संकल्प/परिपत्र की संपुष्टि के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं महालेखाकार, बिहार द्वारा वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है। लेकिन वर्ष 1975 एवं 1976 के उक्त संकल्प/परिपत्र बिहार पेंशन नियमावली की अद्यतन पुस्तिका में मुद्रित नहीं है और न ही वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय/उच्च न्यायालय (स्थापना) में कोई अभिलेख उपलब्ध हो सका जो इन पत्रों को सम्पुष्ट कर सके। तत्पश्चात् इस समस्या के निराकरणार्थ सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग का भी परामर्श प्राप्त किया गया।

6. सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1997 एवं 2003 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 'बार' से सीधे नियुक्त को वास्तविक पेंशन प्रदायी सेवा में निम्नांकित अतिरिक्त वर्ष जोड़कर पेंशन की गणना की जायेगी :–

(i) सरकारी सेवा में नियुक्ति की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से जितनी अधिक आयु में नियुक्ति हुई थी, उतनी अवधि

या

(ii) 5 वर्ष जो भी कम हो ।

उपर्युक्त सुविधा सिर्फ वार्धक्य पेंशन के लिए ही अनुमान्य है, दूसरे किसी प्रकार के पेंशन के लिए नहीं । उपर्युक्त लाभ के लिए आवश्यक होगा कि सेवा से मुक्त होते समय कम से कम 10 (दस) वर्ष की स्थायी सेवा पूर्ण हो ।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संख्या-3ए-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-2266, दिनांक-06-03-2019 की प्रतिलिपि ।]

विषय– पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-01-2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7829, दिनांक–24-10-2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01-07-2018 के प्रभाव से 9 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-01-01-2019-E-II(B), दिनांक– 22-02-2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक–01-01-2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है ।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि:–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01-01-2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है ।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

(vi) जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के बकाये राशि का भुगतान दिनांक–01-04-2019 के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में होगा ।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक– 01-01-2019 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संचिका संख्या-वि०(27)पे०को०-187/2010-272, दिनांक-08-03-2019 की प्रतिलिपि ।]

विषय– दिनांक-01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) के सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा/आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने के संबंध में।

भारत सरकार के द्वारा दिनांक–01-01-2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गयी है। वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 1964, दिनांक–31-08-2005 द्वारा दिनांक–01-09-2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005" लागू की गयी है जो केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही है।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं०–2411, दिनांक– 12-11-2005 की कंडिका–4 के अनुसार:–

राज्य के सभी स्तर के सेवकों को कर्त्तव्य के दौरान मारे जाने पर उनके आश्रितों को निम्न सुविधाएँ देय है:–

(1) कर्त्तव्य के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनके आश्रितों को 10.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि;

(2) (क) जिन सरकारी सेवक की वर्त्तमान नियमों के अनुसार सेवा पेंशन प्रदायी है उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ:

(i) सभी स्तर के सरकारी सेवकों को उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा को सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को प्राप्त हो रहे शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में संबंधित सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति की तिथि तक;

(ii) यदि सरकारी सेवक की पत्नी जीवित नहीं है और बच्चे हैं तो सभी बच्चों को मिलाकर मृतक को वास्तविक रूप से मृत्यु की तिथि को प्राप्त हो रहे शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होगी जिसकी न्यूनतम सीमा 2500 रु० (दो हजार पाँच सौ रुपये) होगी। यह विशेष पेंशन बच्चों की उम्र 25 वर्ष या उनकी किसी सरकारी सेवा में नियुक्ति जो भी पहले हो तक;

(iii) यदि मृतक अविवाहित या नि:सतान हो, तो माता-पिता या उनमें कोई एक जीवित हो तो उन्हें कंडिका-2(क) (i) की सुविधा;

(ख) जिन सरकारी सेवकों की सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है, उनके मारे जाने पर 10.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि एवं उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सुविधा देय होगी। ऐसे कर्मियों के आश्रितों को उपर्युक्त (क) की विशेष पेंशन देय नहीं होगा;

(ग) कंडिका-4 का 2(क) में उल्लिखित लाभान्वितों के मृतक की कल्पित आयु 60 वर्ष होने के पश्चात् मृतक सरकारी सेवक के परिवार को देय पारिवारिक पेंशन,

(घ) दिनांक–01-09-2005 या उसके बाद से नियुक्त नये सरकारी सेवकों पर वर्तमान पेंशन योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण वैसे सरकारी सेवकों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। वैसे सरकारी सेवकों के लिये यथाशीघ्र अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं०-1213, दिनांक– 04-09-2014 द्वारा दिनांक–01-09-2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) को सेवाकाल में मृत्यु होने/सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रित के लिए निम्न सुविधा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(क) एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों के आलोक में और तद्नुसार निर्धारित अधिसीमा में दिया जायेगा।

(ख) कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1441, दिनांक–10-10-2013 में निर्धारित शर्त्तों के अधीन 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की सुविधा आदेश निर्गत की तिथि से देय होगी।

(ग) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने की स्थिति में 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान देय होगा। यह लाभ संकल्प संख्या–2411 निर्गत होने की तिथि आर्थात् दिनांक–12-11-2005 के प्रभाव से लागू होगा। परन्तु ऐसे कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी।

4. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०-1213, दिनांक– 04-09-2014 की कंडिका-5(ग) में अंकित शब्द समूह "परन्तु ऐसे कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी" को विलोपित कर शब्द समूह "ऐसे कर्मियों को सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर वित्त विभागीय संकल्प सं०-2411, दिनांक– 12-11-2005 में पुरानी पेंशन से आच्छादित कर्मियों के विधवा/आश्रितों को दिये जाने वाले विशेष पारिवारिक पेंशन के प्रावधान के अनुरूप ही नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मियों के विधवा/आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय होगा जो मृतक कर्मी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय होगा" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

एतद् संबंधी पूर्व के निर्गत आदेश/निर्णय उक्त हद तक विलोपित/संशोधित समझे जायेंगे।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संचिका संख्या-वि०(27)पे०को०-78/2005/558, दिनांक-06-06-2019 की प्रतिलिपि।]

विषय– लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में देय मुआवजा की राशि एवं उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं०-2796, दिनांक– 01-04-2009, संकल्प सं०-451, दिनांक–09-04-2014 एवं संकल्प सं०-608, दिनांक–07-05-2014 द्वारा किया गया था।

2. भारत निर्वाचन अयोग के पत्रांक-218/6/2019-EPS, दिनांक–10-04-2019 द्वारा पूर्व में अनुशंसित दरों में संशोधन एवं इस मद में होने वाले व्यय की देयता की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा दी गई है, जो निम्नांकित है:–

(a) (i) An amount of Rs. 15 Lakhs as the minimum amount to be paid to the next of kin of the official in the unfortunate event of death of the official while on election duty.

(ii) If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc. the amount of compensation would be Rs. 30 Lakhs.

(iii) In the case of permanent disability, like loss of limb, eye sight, etc., a minimum exgratia payment of Rs. 7.5 Lakhs would be given to the official (which would be doubled in the case of such mishaps being caused by extremist or unsocial elements as aforesaid).

(b) (i) The expenditure on account of payment of ex-gratia compensation to the polling personnel is wholly borne by Government of India during elections to Lok Sabha and by the State Government during election to Legislative Assemblies and shared on a 50:50 basis during simultaneous election to Lok Sabha and Legislative Assembly be the Government of India and concerned State Governments. The share of the Government of India is paid by the ministry of Law, Justice & Company Affairs (Legislative Departments). (As explained vide Commission's letter No. 218/696) PS-II dated- 08-10-1996).

(ii) It may be further clarified that in case of Lok Sabha elections, the payment of ex-gratia compensation shall be made by the State Government initially and the claims shall be made to the Government of India later on.

3. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक–218/6/2019-EPS, दिनांक–10-04-2019 के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि–

(a) (i) निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत्यु की स्थिति में 15 लाख रुपये देय होगा।

(ii) उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये देय होगा।

(iii) स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन आदि होने पर 7.5 लाख रुपये देय होगा। परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की दुगुनी राशि अर्थात 15 लाख रुपये देय होगा।

(b) कर्मियों को अनुग्रह अनुदान लोक सभा चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा देय होगा एवं विधान सभा चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा देय होगा। लोक सभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50:50 की होगी।

लोक सभा चुनाव के लिए अनुग्रह अनुदान प्रारंभ में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उस राशि का दावा भारत सरकार (Ministry of Law, Justice & Company Affairs) से किया जाएगा।

4. संकल्प संख्या-2796, वि० (2), दिनांक– 01-04-2009, संकल्प सं०-451, दिनांक–09-04-2014 एवं संकल्प सं०–608, दिनांक–07-05-2014 के प्रावधान इस संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे।

5. इसके प्रावधान लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 से प्रभावी होगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-9–विविध०-04/2019-5547, दिनांक-03-07-2019 की प्रतिलिपि।]

विषय– दिनांक–11-12-1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त वैसे कार्यभारित कर्मी को नियमित हुए बिना ही कार्यभारित स्थापना में सेवानिवृत्त/मृत हो गए, को माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०–10710, दिनांक–17-10-2013 द्वारा दिनांक– 11-12-1990 के पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मियों को नियमित स्थापना में लिए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प के अनुसार

इसका लाभ उन कर्मियों को ही मिलेगा जो इस नीतिगत निर्णय संबंधी संकल्प निर्गत होने के बाद प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि को सेवा में हो। पुनः वित्त विभागीय संकल्प सं०-6151, दिनांक-03-08-2016 द्वारा वैसे कार्यभारित कर्मी, जो वित्त विभागीय संकल्प सं०-10710, दिनांक-17-10-2013 के सभी शर्त्तों को पूरा करते हो, परन्तु संकल्प निर्गत होने की तिथि 17-10-2013 एवं प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो जाते है, उन्हें भी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितिकरण का लाभ अनुमान्य किया गया।

2. दिनांक- 11-12-1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त तथा दिनांक- 17-10-2013 के पूर्व कार्यभारित स्थापना से ही सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने हेतु कतिपय याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट आवेदकों को पेंशन का लाभ अनुमान्य किये जाने का आदेश पारित किया गया। सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-3300/17 (मधुसुदन मिश्रा) में दिनांक- 21-07-2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Similarliy situated person को यदि पेंशन का लाभ दिया गया है तो रिट आवेदक को भी लाभ दिये जाने एवं इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध एल०पी०ए० दायर करने हेतु विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का परामर्श दिया गया।

3. एल०पी०ए० सं०-166/18 (मोबीना खातुन एवं अन्य) तथा एल०पी०ए० सं०-289/18 (सोनीया देवी एवं अन्य) में दिनांक- 04-02-2019 को माननीय उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ (Full Bench) द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

70. For the aforesaid reasons, we deem it necessary and lawful to hold and declare the following that **till the time, appropriate rules in this regard is framed by the Government:—**

(i) That a work-charged employee who has completed ten (10) or more years of continuous service against one post inthe work-charged establishment will be paid pension and his family, in case of death of such workcharged employee, would be paid the family pension.

(ii) The work-charged employees who have received regular scale of pay for ten (10) or more years on their retirement and after their death, their heirs and dependants would be entitled to claim death-cum-retiral benefits.

(iii) However, the dependants of a work-charged employee would not be entitled to claim appointment on compassionate ground in the absence of any scheme framed by the Government for such work-charged establishment.

4. न्यायालीय आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05-03-2019 को एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी कार्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव तथा विधि सचिव उपस्थित थे। इस कार्यवाही पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता की सहमति भी प्राप्त की गयी।

5. उच्चस्तरीय बैठक की अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त उल्लिखित न्यायादेश में सरकार से उपयुक्त नियमन की अपेक्षा के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते है:-

(i) वैसे कर्मी जो दिनांक- 11-12-1990 को या उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए हों तथा जिनकी सेवा संतोषप्रद रही हो और 10 वर्षों की लगातार कार्यभारित सेवा एक ही पद पर पूर्ण किये हों, परन्तु दिनांक-17-10-2013 के पहले सेवानिवृत्त/मृत हो गये हो, तो उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से कार्यभारित सेवा को नियमित करते हुए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवान्त लाभ अनुमान्य किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों के पेंशन परिगणना हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-10710, दिनांक-17-10-2013 के समतुल्य प्रत्येक पाँच वर्ष की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन के तहत् पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो तो उस हद तक न्यूनतम सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

(iii) उपकंडिका (i) एवं (ii) के कार्यभारित कर्मियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के लिए अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(iv) जिन कार्यभारित कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल में कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हो या जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो तथा सेवानिवृत्त हो गये हों, उन्हें पेंशन का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। परन्तु यदि सेवाकाल में चल रहे मुकदमें/विभागीय कार्यवाही के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को परिवार पेंशन एवं सेवान्त लाभ दिया जा सकेगा।

(v) कार्यभारित स्थापना में सेवाकाल के दौरान मृत कार्यभारित कर्मी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) ऐसे सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों को ए०सी०पी० के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना नहीं की जायेगी। परन्तु दिनांक– 01-01-2009 एवं दिनांक– 17-10-2013 के बीच इस श्रेणी के सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों को एम०ए०सी०पी० के लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवावधि की गणना की जा सकेगी।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि०(27)पे०को०-60/2018-818, दिनांक-27-08-2019 की प्रतिलिपि।]

प्रेषक– शिव शंकर मिश्र, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सहायक लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं० हक०) का कार्यालय, सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक।

विषय– वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-918, दिनांक–25-10-2018 के तहत के केन्द्र के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में।

प्रसंग– वित्त विभागीय पत्रांक-615, दिनांक–04-07-2019.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०-918, दिनांक–25-10-2013 की कंडिका- 3(छ) के आलोक में अनुमान्यता के बिन्दु पर स्पष्ट किया जाता है कि आदेश निर्गत तिथि के पूर्व के मामले भी संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित रहेंगे। लेकिन संकल्प की कंडिका-3(छ) के आलोक में मौद्रिक लाभ का भुगतान आदेश निर्गत तिथि से अनुमान्य होगा।

अतः वित्त विभागीय पत्रांक– 615, दिनांक– 04-07-2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2–वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-8951, वि०, दिनांक- 11-11-2019 की प्रतिलिपि।]

विषय– पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01-07-2019 के प्रभाव से 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग संकल्प सं०-5364, दिनांक–26-06-2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक– 01-01-2019 के प्रभाव से 295 प्रतिशत के दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक–1/3(2)/2008-E-II(B), दिनांक–25-10-2019 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 295 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 312 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि–

(i) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन में 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) दिनांक– 01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक– 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 295 प्रतिशत से बढ़ाकर 312 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

(iii) महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. पेंशन का महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता–2011 के नियम- 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2–वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-8952, वि०, दिनांक- 11-11-2019 की प्रतिलिपि।]

विषय– षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग संकल्प सं०-5363, दिनांक–26-06-2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक– 01-01-2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/3(1)/2008-E-II(B), दिनांक–25-10-2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 154 प्रतिशत से बढ़ाकर 164 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि:–

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. पेंशन का महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2–वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-8655, दिनांक-24-10-2019 की प्रतिलिपि।]

विषय– पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01-07-2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-2266, दिनांक–06-03-2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01-01-2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/1/2019-E-II(B), दिनांक–27-02-2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक–01-07-2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि:–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01-07-2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकि किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक–01-07-2019 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि०(27) पे०को०-01/2020-05, दिनांक-06-01-2020 की प्रतिलिपि।]

विषय– सेवावधि में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में।

प्रेषक– राहुल सिंह, सचिव (व्यय), सेवा में, सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

प्रसंग– लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का परिवाद संख्या-2/लोक (स्वा०) 05/2018.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन परिवाद की सुनवाई के क्रम में माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 15-11-2019 को पारित आदेश में "Department of Finance being the controlling authority of the payment of retirement benefit will address itself specifically to the cases of death cum retirement benefit and issue a separate circular fixing a firm time limit of three months for payment of death cum retirement benefit in cases of the concerned officials/employees died in harness." कहा गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में तथा मृत पदाधिकारी/कर्मी के आश्रितों को सेवांत लाभों के विलंबित भुगतान की स्थिति में आर्थिक कठिनाई को दृष्टिपथ में रखते हुए अनुरोध है कि सेवावधि में मृत्यु के सभी मामलों में पेंशन स्वीकृति प्राधिकार यह सुनिश्चित करें कि मृत पदाधिकारी/कर्मी के आश्रित को मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभों का भुगतान अनिवार्य रूप से तीन माह के भीतर कर दिया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, शुद्धि पत्र संख्या-वि०(27) पे०को०-49/2019-296, दिनांक-13-05-2020 की प्रतिलिपि।]

बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43(ख) एवं 139 (ग) के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में आंशिक भिन्नता से उत्पन्न विसंगति के निराकरणार्थ हिन्दी पाठ में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

1. बिहार पेंशन नियमावली- 1950 के नियम- 43 (ख) में अंकित शब्दावली **''यदि न्यायिक या**

विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' को कृपया **''यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है''** पढ़ा जाय।

2. बिहार पेंशन नियमावली- 1950 के नियम 139(ग) में अंकित शब्दावली **''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है''** को कृपया **''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है अथवा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है''** पढ़ जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, अधिसूचना संख्या-वि०(27) पे०को०-49/2019-295, दिनांक-13-05-2020 की प्रतिलिपि।]

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली- 1950, में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।–

(1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली- 2020 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पेंशन नियमावली- 1950 के नियम- 43 एवं 139 में अंकित शब्दावली 'राज्य सरकार' को 'सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक–को प्र०/विविध–16/2018 दिनांक 2–1–2019 की प्रतिलिपि।]

विषय : सेवा निवृत्ति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवा निवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में।

राजपत्रित पदाधिकारियों का वेतनपूर्जा तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान हेतु महालेखाकार एवं वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग द्वारा कोषागार पदाधिकारी के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है। कोषागार पदाधिकारी द्वारा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड पर उक्त प्राधिकार से संबंधित राशि की निकासी नहीं की जा सकती है। पूर्व में प्रत्येक कोषागार में एक डमी डी० डी० ओ० कोड खोलकर भुगतान किया जाता था, जो उचित नहीं है। वर्तमान में CTMIS में DDO Code सृजित करने का कार्य कोषागार स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इसलिए डमी डी० डी० ओ० सृजित नहीं हो रहा है। डमी डी० डी० ओ० की प्रथा अच्छी व्यवस्था नहीं है। CFMS के अंतर्गत डी० डी० ओ० कोड की व्यवस्था नहीं है।

पूर्व में राजपत्रित पदाधिकारी स्वयं डी० डी० ओ० होते थे, जो मैनुअल विपत्र तैयार कर अपना वेतन निकासी करते थे। इसलिए मैनुअल व्यवस्था के अंतर्गत महालेखाकार से निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर कोषागार से सीधे भुगतान हो जाता था। वर्ष 2008–09 से राज्य के सभी कोषागारों के कम्प्यूटराईजेशन के कारण कोषागार से राशि निकासी हेतु CTMIS सृजित विपत्र डी० डी० ओ० कोड के माध्यम से कोषागार में ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्ष 2007 से राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी, लेकिन महालेखाकार/वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग से उनके लिए उपार्जित अवकाश के भुगतान हेतु सीधे कोषागार पदाधिकारी के नाम प्राधिकार पत्र निर्गमन की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया। कोषागार पदाधिकारी द्वारा CTMIS में डमी डी० डी० ओ० कोड खोलकर भुगतान किया जाता है। CFMS के अंतर्गत भी सिस्टम सृजित विपत्र कार्यालय प्रधान के द्वारा कोषागार में ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा न कि डी० डी० ओ० कोड पर।

वर्तमान में राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवाकाल में भी उपार्जित अवकाश मद में राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के डी० डी० ओ० द्वारा की जाती है न कि स्वयं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा। इसलिए सेवानिवृति के बाद भी अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डी० डी० ओ०/कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त परिस्थिति में अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है:—

1. महालेखाकार (ले० एवं हक०) तथा वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण) विभाग द्वारा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नगदीकरण हेतु प्राधिकार पत्र उस कार्यालय के डी० डी० ओ०/कार्यालय प्रधान के नाम से निर्गत किया जायेगा, जहाँ से पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसकी प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी दी जायेगी।
2. उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर संबंधित कार्यालय के डी० डी० ओ०/कार्यालय प्रधान द्वारा विपत्र तैयार कर ऑनलाईन कोषागार में प्रेषित किया जायेगा तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा।
3. CTMIS/CFMS या किसी भी कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था में System Generated Bill से ही भुगतान हो सकता है न कि किसी वाह्य एजेन्सी प्राधिकार पत्र के आधार पर। CTMIS के अंतर्गत विपत्र के साथ प्राधिकार पत्र संलग्न कर कोषागार में भेजा जायेगा। CFMS के अंतर्गत प्राधिकार पत्र विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्रांक–को० 281–विविध–16/2018-1470 दिनांक 8–2–2019 की प्रतिलिपि।]

विषय : सेवा निवृत्ति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवा निवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में ।

प्रसंग–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के कार्यालय का पत्रांक GEN No.-1180/2018-19

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०–10, दिनांक 2–1–2019 द्वारा व्यवस्था किया गया है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत राजपत्रित पदाधिकारियों के उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा की जायेगी। महालेखाकार कार्यालय के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके कार्यालय में राजपत्रित हकदारी शाखा को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिसके तहत कोषागार पदाधिकारी के नाम से ही प्राधिकार पत्र निर्गत करने की व्यवस्था है। इसमें परिवर्तन का कार्य हो रहा है। इसलिए दिनांक 15–02–2019 तक निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार ही निकासी की व्यवस्था जारी रखी है।

उक्त अनुरोध के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 15–02–2019 तक कोषागार पदाधिकारी के नाम से अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर कोषागार के स्तर से भुगतान किया जा सकता है।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प पत्रांक–3ए–2–वे० पु०–12/2009 (भाग–II)–1529/वि० दिनांक 11–2–2019 की प्रतिलिपि।]

विषय : बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पूर्ण पेंशन लाभ हेतु अर्हक सेवा को स्पष्ट करने के संबंध में ।

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन, भत्ते एवं पेंशनादि का लाभ दिया जा रहा है।

2. संकल्प संख्या–14303, दिनांक–22-12-2010 द्वारा दिनांक–02-09-2008 या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले न्यायिक पदाधिकारियों के लिए 33 वर्ष की अर्हक सेवा के बदले 20 वर्ष की सेवा पूर्ण पेंशन हेतु निर्धारित की गयी। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर आनुपातिक रूप में काम करके पेंशन अनुमान्य किया गया। इसमें दिनांक–01-01-2006 से दिनांक–01-09-2008 तक

सेवानिवृत्त होने वाले के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन एवं इससे कम सेवा होने पर आनुपातिक आधार पर पेंशन अनुमान्य किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक–02-09-2008 से लागू किया गया।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संकल्प संख्या–14303, दिनांक–22-12-2010 की कंडिका–3 (i) एवं (ii) में समेकित संशोधन संकल्प संख्या–11859, दिनांक–28-12-2011 के द्वारा पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्षों की अर्हक सेवा को दिनांक–01-01-2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले के लिए, दिनांक–01-01-2006 से समाप्त करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किया गया:–

> "पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त्त को दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय। दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके/होनेवाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारी का पेंशन पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों पर अथवा अंतिम परिलब्धि इनमें से उसके लिए जो ज्यादा लाभकारी हो, के आधार पर 50 प्रतिशत पेंशन परिकलित किया जाय।"

4. उक्त संकल्प सं०–11859, दिनांक–28-12-2011 में दिनांक–01-01-2006 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 वर्षों की अर्हक सेवा अनिवार्य रखा गया है तथा संकल्प संख्या–14303, दिनांक–22-12-2010 के द्वारा विहित अर्हक सेवा यथास्थिति प्रभावी है, किन्तु इसमें इस आशय का उल्लेख नहीं रहने के कारण पेंशनर्स एवं महालेखाकार, बिहार के कार्यालय के समक्ष संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इसे स्पष्ट कर देने की आवश्यकता महसूस की गई जा रही है।

5. इस हेतु सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक–01-01-2006 एवं उसके बाद सेवानिवृत होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये निर्गत संकल्प–संख्या–11859, दिनांक–28-12-2011 के प्रावधान के साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ण पेंशन के लिए संकल्प संख्या–14303, दिनांक–22-12-2010 के द्वारा विहित अर्हक सेवा के लिए 20 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर आनुपातिक रूप से पेंशन परिकलित किया जायेगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–वि० (27)–पे० को० (पुन०)–22/2017, 453/वि० दिनांक 10–5–2019 की प्रतिलिपि।]

विषय : वित्त विभागीय संकल्प सं०–755, दिनांक–20-10-2017 के आलोक में R.P.P से संबंधित मामलों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा R.P.P से संबंधित मामलों में वित्त विभागीय संकल्प सं०–755, दिनांक–20-10-2017 के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण के बिन्दु पर मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

2. उपर्युक्त के आलोक में इस बिन्दु की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०–755, दिनांक–20-10-2017 द्वारा पेंशन निर्धारण हेतु निम्नलिखित सूत्र का निर्धारण किया गया है:–

$$\frac{\text{दिनांक-01-01-2016 का वैचारिक वेतन} \times \text{सेवानिवृत्ति के समय का मूल पेंशन}}{\text{सेवानिवृत्ति के समय का मूल वेतन}}$$

चूँकि सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित मूल पेंशन में R.P.P भी परिलब्धि के अंतर्गत शामिल है, उक्त सूत्र के आधार पर निर्धारित पेंशन में R.P.P का आनुपातिक लाभ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस बिन्दु पर अलग से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। R.P.P से संबंधित पारिवारिक पेंशन के मामलों में भी इसी सूत्र का व्यवहार किया जाय। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है।

मान लिया जाए कि किसी कर्मी की सेवानिवृत्ति की तिथि–28-02-2001 है। वेतनमान 10,000–325–15, 200 में अंतिम वेतन 11,300 + 180 (R.P.P) है। सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित मूल पेंशन 5,740, जबकि पारिवारिक पेंशन–3,444 है। 01-01-2016 को संकल्प सं०–755 की तालिका 2.c.3 से 11,300 का प्रतिस्थानी वैचारिक वेतन 71,800 है।

01-01-2016 को पुनरीक्षित पेंशन = $\frac{71,800 \times 5,740}{11,300}$ = 36,742

01-01-2016 को पुनरीक्षित परिवार पेंशन = $\frac{71,800 \times 3,444}{11,300}$ = 21,884

3. अत: स्पष्ट है R.P.P कि से संबंधित पेंशन पुनरीक्षण के मामलों में पूर्व संसूचित प्रक्रिया के अनुपालन से मामले का निराकरण स्वत: हो जाता है एवं अलग से मार्गनिर्देश की आवश्यकता नहीं है।

●

[बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रांक–3/एम०–14/2019 सा० प्र० 12978, दिनांक 10–5–2019 की प्रतिलिपि।]

विषय : बिहार सरकार की सेवा में 18 वर्ष से कम आयु में नियुक्त कर्मियों की सेवानिवृत्ति की तिथि के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें बिहार सरकार की सेवा में संबंधित सेवकों की नियुक्ति पूर्व में 18 वर्ष से कम आयु में ही की गयी हैं। ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि क्या होगी–इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग में रेफरेन्स प्राप्त होते रहे हैं।

2. किसी सरकारी सेवक की सेवा में नियुक्ति की न्यूनतम/अधिकतम आयु तथा उसकी सेवानिवृत्ति के संदर्भ में वर्त्तमान में प्रवृत्त प्रावधान निम्नवत् हैं–

(i) बिहार सेवा संहिता के नियम–54 में सेवा में प्रवेश के समय अधिकतम उम्र का तो उल्लेख है परन्तु सेवा में प्रवेश की न्यूनतम उम्र क्या होगी इसका उल्लेख बिहार सेवा संहिता में नहीं है।

सचिवालय अनुदेश में नियम–2.8 में सचिवालय विभागों में office peons की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में पूर्व के पत्रांक–8167 दिनांक–21-06-1966, 4234 दिनांक–10-03-1970, 13984 दिनांक–17-08-1971 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–7566 दिनांक–16-05-1973 एवं 10747 दिनांक–20-06-1975 में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं मिलता है।

वर्णित परिपत्र एवं संकल्प वर्ष 1978 के विभागीय कम्पेंडियम (प्रथम खंड) में पृष्ठ 552–568 पर देखे जा सकते हैं।

(ii) बिहार सेवा संहिता के नियम–54 की टिप्पणी में वार्धक्य निवृत्ति के संबंध में एक निर्णयज विधि (Case Law) का भी उल्लेख किया गया है जो निम्नवत् है–

"**वार्धक्य निवृत्ति:**–यह नियम पेंशन प्रदायी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये ऊपरी आयु–सीमा निर्धारित करता है–नियम–73 परिकल्पित करता है कि सरकारी सेवक 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त होता है–यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति या तो 58 पर प्राप्त करने पर या 40 वर्ष की सेवा पूरा करने पर सेवानिवृत्त होगा। जन्म तिथि को अपनी मनमानी ढंग से पीछे खिसका कर और काल्पनिक जन्म तिथि प्रस्तुत कर सरकारी सेवक को विधित: सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय एवं सेवा संहिता के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। **मोख्तार अहमद बनाम बिहार राज्य परिवहन कॉरपोरेशन, 1995 (1) पी०एल०जे०आर०–183।**"

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक–16-07-2007 की कंडिका–3(5) में, स्नातक योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा स्नातक से नीचे की योग्यता वाले पदों पर न्यूनतम आयु 18वर्ष निर्धारित है, जिसे वर्ष 2010 के कम्पेंडियम (प्रथम खंड) के पृष्ठ 22–24 पर देखा जा सकता है।

(iv) सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित थी जिसे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1979 दिनांक–29-03-2006 द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम–73 में संशोधन करते हुए 60 वर्ष किया गया है। बिहार सेवा संहिता में न्यूनतम सेवावधि का बंधेज नहीं

है, बल्कि बिहार सेवा संहिता के नियम–73 के प्रावधानों के आलोक में 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही सेवानिवृत्ति हो सकती है। बिहार सेवा संहिता के नियम–73 का प्रावधानों के आलोक में 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही सेवानिवृत्ति हो सकती है। बिहार सेवा संहिता के नियम–73 का प्रावधान निम्नवत् है–

''73. ''सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि है जिस तिथि को वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है:–

परन्तु सरकारी सेवक उस माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होगा जिस माह में वह 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा, किन्तु यदि जन्म तिथि किसी माह की पहली तिथि को हो, तो जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु पूरी करेगा ठीक उसके पूर्ववर्त्ती माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होगा।''

3. उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कतिपय मामलों में संबंधित प्रशासी विभागों को पूर्व में यह परामर्श दिया गया है कि विषयांकित मामलों में भी संबंधित सरकारी सेवक 60 वर्ष की आयु के उपरान्त ही सेवानिवृत्त होंगे।

4. परन्तु विषयांकित मामले में माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा परिवाद संख्या-1/लोक (लोक० स्वा० अभि० विभाग)-10/2013 श्री विजय सिंह बनाम श्री रामवृक्ष सिंह में दिनांक-05-03-2019 को आदेश पारित किया गया है। वर्णित परिवाद में विषयांकित मामले के सदृश मामलों की समीक्षा करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को निम्नांकित निदेश दिया गया है–

"Having also regard to the fact that now a circular has been issued by the Public Health and Engineering Department for taking prompt action against the employee due to whose fault any employee is retained in service beyond the actual date of his retirement, it is hoped and believed that such a circular will also be issued by the Department of General Administration so that no one can be allowed to continue in service beyond the date of his retirement and completion or 42 years of service.

Thus, the Department of general Administration, Government of Bihar, shall also submit its action taken repört after for removal of such problem for once and all in all other Department of the Government of Bihar."

5. माननीय लोकायुक्त द्वारा उक्त वर्णित आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग को इस आशय का परिपत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त अथवा 42 वर्ष की लगातार सेवा के उपरान्त सेवा में नहीं बना रह सके। उक्त निदेश के कार्यान्वयन के क्रम में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा किया गया परामर्श निम्नवत् है–

"This question of superannuation on completion of 42 year of total service had been raised in one another file referred for opinion from the Building Construction Department under UOO no. 396/2019, which has been answered by the undersigned by a detailed opinion, a copy whereof is being enclosed for reference. In this context it will be relevant to site the judgment of Full Bench of the Patna High Court given in a case of Ragjawa Narain Mishra Vs State of Bihar & ors. reported in 2006(1) PLJR 410 in which it has been categorically decided, making reference to Rule-5 in Appendix-5 of the Bihar Pension Rules, 1950 and section 11 of the Contract Act, 1872 as also section 3 of the Majority Act, 1875, that appointment into Government Service without attaining the age of 18 years cannot be valid. The Court went on to hold that a Government servant who has taken undue advantage at the time of appointment by entering into Government service when he had not attained the age of majority, cannot urge and get a higher benefit that what is admissible legally. Thus, the Court held that every Government servant who has completed 40 years of total service or age of 58 years shall have to be superannuated. The court also held that the judgment

given by a Division Bench of this High Court in the case of Mokhtar Ahmad Vs BSRTC reported in 1995(1) PLJR 183 is not a good law and hence it was overruled.

In view of aforesaid, the observation by Hon'ble Lokayukta in his order dated 05-03-2019. ...., indicating not to allow a Government Servant to continue beyond the date of his retirement i.e. 60 years of age or completion of 42 years of service, is in line with the judgment of Full Bench and hence in my opinion, does not need any review."

6. अत: उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यह निदेश दिया जाता है कि-

(i) बिहार सरकार की सेवा में 18 वर्ष से कम आयु में पूर्व से नियुक्त कर्मियों को 42 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि को ही सेवानिवृत्त करा दिया जाय।

(ii) इस क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के सेवा अभिलेख की जाँच कर यह आश्वस्त हो लिया जाय कि 18 वर्ष से कम आयु में पूर्व में बिहार सरकार की सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मी 42 वर्ष से ज्यादा अवधि तक सेवा में नहीं बना रहे।

(iii) यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो संबंधित सरकारी सेवक के उसकी सेवानिवृत्ति (अर्थात् 42 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने) की तिथि के बाद सेवा में बने रहने के आधार पर ऐसे कर्मियों के वेतनादि मद में भुगतान की गयी राशि की वसूली इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों/कर्मचारियों से की जायेगी तथा इस हेतु उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(iv) अपने अधीनस्थ कार्यालय प्रधानों को निदेशित किया जाय कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की तिथिवार सूची उनके सेवा अभिलेख के आधार पर संधारित करना सुनिश्चित करें तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि कम-से-कम छ: माह पूर्व इसकी सूचना उपलब्ध करायें जिससे भविष्य में सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी किसी सरकारी सेवक के सेवा में बने रहते हुए कार्य करने की संभावना न बने।

7. उपर्युक्त कंडिका-6 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि० (27)-पे०को०-53/2019, 191/वि०, दिनांक 4-3-2020 की प्रतिलिपि।]

विषय : पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व सेवा की गणना के संबंध में।

प्रसंग-वित्त विभागीय पत्रांक-1191, दिनांक-1-6-2005

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व सेवा की गणना हेतु नयी सेवा में योगदान के पश्चात् 10 वर्ष के भीतर आवेदन समर्पित करने का प्रावधान किया गया है।

2. ऐसा देखा गया है कि कई पदाधिकारी/कर्मी उक्त प्रावधान से अवगत न होने के कारण निर्धारित 10 वर्ष के भीतर पूर्व सेवा की गणना हेतु अपना आवेदन समर्पित नहीं कर सके तथा बाद में कालबाधित होने के कारण उनके दावे को अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन किसी कर्मी के न्यायोचित दावे को मात्र विहित कालावधि में आवेदन समर्पित न करने के कारण अस्वीकृत करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

3. अत: सम्यक् विचारोपांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि:-

(i) वित्त विभागीय परिपत्र सं०-1191, दिनांक-1-6-2005 को विलोपित करते हुए 10 वर्ष के भीतर सेवा गणना हेतु आवेदन समर्पित करने के प्रावधान को समाप्त किया जाता है। परन्तु पूर्व सेवा की गणना हेतु आवेदन समर्पित करने एवं वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी की होगी, न कि नियोक्ता की।

(ii) वित्त विभागीय पत्रांक-1195, दिनांक-7-12-2009 द्वारा निर्गत जाँच-पत्र की कंडिका-10 भी विलोपित की जाती है।

(iii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता

बनी रहेगी तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-वि० (27)-पे०को०-51/2020–435 दिनांक 27–7–2020 की प्रतिलिपि।]

विषय : COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्त्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के संबंध में।

COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में अनेक सरकारी सेवकों द्वारा सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन किया जा रहा है एवं ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं, जहाँ ऐसे सरकारी सेवक COVID-19 संक्रमण से ग्रसित हो जा रहे हैं एवं कुछ मामलों में उनकी मृत्यु हो जा रही है। सरकार के समक्ष यह विषय विचाराधीन था कि ऐसे सरकारी सेवकों के आश्रितों को संबंधित सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरांत विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

2. राज्य सरकार द्वारा COVID-19 संक्रमण के संबंधित कर्त्तव्य में कार्यरत रहे वैसे सरकारी सेवक जिनकी मृत्यु इसी संक्रमण से हो जाती है, को निम्न सुविधा देने का विनिश्चय किया गया है–

I. यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो आश्रितों को अनुकंपा का लाभ एवं पूर्व से विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे।

II. यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित यह वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाय तो उस परिस्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित को संबंधित सरकारी सेवक की वैचारिक वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक सरकारी सेवक को प्राप्त अंतिम शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।

III. उपरोक्त कंडिका-II से आच्छादित वैसे मामले जहाँ मृतक सरकारी सेवक सरकारी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरांत उन्हें विद्यमान नियमों के अनुरूप पारिवारिक पेंशन देय होगा।

IV. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी सेवकों के मामले में उनकी वैचारिक वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही उपरोक्त विशेष पारिवारिक पेंशन देय होगा।

V. संबंधित विभागीय सचिव उपरोक्त में विहित शर्तों की पूर्ति के संबंध में संतुष्ट होकर उपरांकित लाभ की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्ताव संलेख-स्वरूप वित्त विभाग को भेजेंगे। समिति के निर्णयोपरांत संबंधित विभागीय सचिव द्वारा तत्संबंधी आदेश निर्गत किए जाएंगे।

VI. उपरोक्त प्रावधान दिनांक 1–4–2020 से दिनांक 31–3–2021 तक के मामलों के लिए लागू होंगे।

●

[बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र संख्या–13/विधि–8/2019 सा० प्र० 69, दिनांक 1–10–2020 की प्रतिलिपि।]

विषय : बिहार पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन आदि मामलों में उनकी सेवानिवृत्ति के 6 (छः) माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय को भेजने एवं उन्हें समय-समय पर सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार पेंशन नियमावली के अनुसार पेंशन, गेच्यूटी और उसके प्रभावकारी भुगतान की प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत राज्यादेशों के आलोक में सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के 18 (अठारह) माह पूर्व से ही पेंशन कागजात एवं आवेदन सरकारी सेवक से प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ करने का प्रावधान है। अगले 18 (अठारह) माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधीनस्थ लोक सेवकों की सूची संबंधित नियंत्री पदाधिकारी और विभागाध्यक्षों के स्तर पर संधारित करने एवं इसका विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण करने का प्रावधान है। बिहार पेंशन नियमावली के अनुसार 6 (छः) माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन कागजात का अग्रसारण महालेखाकार कार्यालय को भेजने का प्रावधान है ताकि उनके सेवानिवृत्ति की तिथि/सेवानिवृत्ति के पूर्व पेंशन भुगतान का आदेश उन्हें प्राप्त हो सके। इसी

के आलोक में प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार द्वारा उनके अर्द्ध सरकारी पत्र पेंशन-1-330 दिनांक 14-09-2020 द्वारा जनवरी, 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित पदाधिकारियों की सूची (जिनकी वेतन पर्ची महालेखाकार द्वारा निर्गत की जाती है) संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि उनके पेंशनादि मामले उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व महालेखाकार कार्यालय को स्वीकृति आदेश तथा अन्य आवश्यक कागजात सहित भेजी जाय ताकि नियमानुसार पेंशन भुगतान आदेश उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व में प्राधिकृत किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रखण्ड स्तर से लेकर विभाग स्तर तक प्रतिमाह समीक्षा की जा रही है।

अत: अनुरोध है कि सेवांत लाभों से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महालेखाकार, बिहार कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित सरकारी सेवकों के पेंशनादि मामले उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व स्वीकृति आदेश तथा अन्य आवश्यक कागजात महालेखाकार, बिहार को निश्चित रूप से भेजी जाय। महालेखाकार, बिहार से प्राप्त सूची सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-वि० (27)-पे०को०-51/2020–273 दिनांक 3–5–2021 की प्रतिलिपि।]

विषय : COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्त्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं-435, दिनांक 27-07-2020 द्वारा COVID-19 संक्रमण के संबंधित कर्त्तव्य में कार्यरत रहे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा विहित शर्तों के अधीन अनुमान्य की गयी थी।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं-435, दिनांक 27-07-2020 के प्रावधानों को अगले छ: माह अर्थात् दिनांक 01-04-2021से दिनांक 30-09-2021 तक विस्तारित किया जाता है।

3. उक्त संकल्प के अंतर्गत "कर्त्तव्य के क्रम में" का तात्पर्य यह होगा कि ऐसे सरकारी कर्मी जिनकी सरकारी आदेश से कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य थी और उक्त कर्मी कर्तव्य निर्वहन के दौरान संक्रमित हो गये।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि०(27) पे०को०-183/2010-485, दिनांक-09-08-2021 की प्रतिलिपि।]

विषय– नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये गये कर्मियों/पदाधिकारियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग– वित्त विभागीय पत्रांक-330/दिनांक 05-04-2016.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की कंडिका-2(2) एवं 2(3) में प्रावधानित है कि नई पेंशन योजना से आच्छादित किसी कर्मी के पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तित हो जाने के फलस्वरूप NSDL द्वारा कोषागार के चालू खाते में लौटायी गई राशि का 50 प्रतिशत (लाभांश सहित) कर्मी के अथवा उसके उत्तराधिकारी के बैंक खाता/जी०पी०एफ० खाता (जैसा लागू हो) में जमा की जायेगी तथा 50 प्रतिशत राशि सरकारी कोष में जमा की जायेगी।

2. दिनांक-01-07-2019 के प्रभाव से नियोक्ता अंशदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि कर्मी अंशदान की सीमा पूर्ववत् 10 प्रतिशत ही है। इस प्रकार कर्मी एवं राज्य अंशदान असमान हो जाने के कारण एन०पी०एस० फंड को पूर्ववत् 50 प्रतिशत की दर से कर्मी एवं सरकारी खाते में हस्तांतरित करना त्रुटिपूर्ण हो जायेगा।

3. अत: सम्यक् विचारोपरांत यह निदेश निर्गत किया जाता है कि कोषागार पदाधिकारी अपने खाते में लौटाये गये एन०पी०एस० फंड के सामंजन के समय 50 प्रतिशत राशि के जगह कर्मी एवं राज्य अंशदान की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए राशि अंतरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक संख्या-3ए-2-वे० पु०-(भ०)-08/2013-5422, वि० दिनांक-19-08-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय– पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01–07–2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8655, दिनांक-24–10–2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों–पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01–07–2019 के प्रभाव से 17 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1–1–2020-E-II(B) दिनांक–20–07–2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01–07–2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों–पेंशनभोगियों–पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता–राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों–पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01–07–2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक-01-07-2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह सितम्बर, 2021 के पेंशन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2021 में एवं माह अगस्त, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2021 में किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु विषय कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013/वि०-6599, वि० दिनांक-27-09-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय–षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01–07–2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8952/वि०, दिनांक-11-11-2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक-01-07-2019 के प्रभाव से 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1-3-2008-EII(B) दिनांक-13-08-2021के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01-07-2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि :-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-6600, वि० दिनांक-27-09-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय–पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8951, दिनांक-11-11-2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01-07-2019 के प्रभाव से 312 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1-3-2008-E-II(B), दिनांक-13-08-2021द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01-01-2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01-07-2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 312 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 356 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि :-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक-01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक-01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको

01–01–2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01–07–2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया जाय।

(iii) महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-वि०-7530, वि० दिनांक-9-11-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय–पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1–1–2020-E-II(B), दिनांक–20–07–2021 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5442, दिनांक–19–08–2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01–07–2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1–4–2021-E-II(B) दिनांक–25–10–2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01–07–2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01–07–2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक-01-07-2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह **नवम्बर, 2021** के पेंशन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह **जुलाई, 2021** से आकलित बकाये राशि का भुगतान इसके पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए

वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2021/ वि०-7531, दिनांक-9-11-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय—दिनांक—01-01-2020 से 30-06-2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-1-2020-E-II(B), दिनांक-23-04-2020 द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01-01-2020, दिनांक-01-07-2020 एवं दिनांक-01-01-2021 से बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान नहीं किये जाने तथा दिनांक-30-06-2021 तक मौजूदा दर अर्थात् 17% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1/2020-E-II(B) दिनांक-20-07-2021 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए समेकित रूप से महँगाई भत्ता/राहत की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो दिनांक-01-07-2021 से प्रभावी है। महँगाई भत्ता/राहत की दर में उक्त 11% की वृद्धि में दिनांक-01-01-2020 से 4%, दिनांक-01-07-2020 से 3% एवं दिनांक-01-01-2021 से 4% की वैचारिक वर्धित दर समाहित है। तदालोक में राज्य सरकार के कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक-01-01-2020 से 30-06-2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 17% की दर से महँगाई भत्ता का आकलन करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया गया है। उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि, किसी सरकारी कर्मी को एकबारगी भुगतेय सेवान्त लाभ है, जो उसके अंतिम वेतन और महँगाई भत्ता की वास्तविक दर पर आकलित होता है। इस प्रकार उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर का लाभ नहीं मिल सका है। इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(5)/E-V/2020, दिनांक-07-09-2021 द्वारा जनवरी-2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनांक-01-01-2020 से 21%; दिनांक-01-07-2020 से 24% एवं दिनांक-01-01-2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक-01-01-2020 से 30-06-2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-01-01-2020 से 30-06-2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है:—

सेवानिवृत्ति की अवधि	परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक-01-01-2020 से 30-06-2020	मूल वेतन का 21%
दिनांक-01-07-2020 से 31-12-2020	मूल वेतन का 24%
दिनांक-01-01-2021 से 30-06-2021	मूल वेतन का 28%

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-8010, वि० दिनांक-29-11-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय–षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6599/वि०, दिनांक-27-09-2021 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/3(1)/2008-E.II(B), दिनांक–01–11-2021के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01–07–2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।-

4. अत: सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि :-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01–07–2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-8009, वि० दिनांक-29-11-2021 की प्रतिलिपि ।]

विषय–पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से 356 प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6600, दिनांक-27-09–2021 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को दिनांक-01–07–2021 के प्रभाव से 356 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1–3–2008-E-II(B), दिनांक–13/08/2021द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 1–1–2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 1–7–2021 के प्रभाव से

महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 356 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 368 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि :-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 356 प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक-01-01-2006 के पूर्व एवं दिनांक-01-01-1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत कर दिया जाय।

(iii) महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महँगाई भत्ता राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक-वि० (27) पे० को० (पुन०)-22/2017-109 (पे०) दिनांक-08-02-2022.]

विषय-बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अर्हकता हेतु आय-सीमा को उनके पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किये जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-11556, दिनांक-22-12-1999 द्वारा पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा में सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया गया है, बशर्ते कि सरकारी सेवक मृत्योपरांत अपनी विधवा अथवा कोई संतान जीवित नहीं छोड़ गया हो तथा माता-पिता की आय 2550 रु० से अधिक नहीं हो।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा छठे पेंशन पुनरीक्षण के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञापांक-38/37/08-P & PW(A), दिनांक-02-09-2008 द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु आय सीमा को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित कर दिया गया है, जो आज की तिथि में लागू है। राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं० 11556 दिनांक 22-12-1999 द्वारा निर्धारित माता-पिता की आय सीमा को भारत सरकार के उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में अद्यतन करने का मामला विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक पेंशन की अर्हकता हेतु सरकारी सेवक के आश्रित माता-पिता की आय-सीमा उनके पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित की जायेगी।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक-वि० (27) पे० को०-46/2019-175, दिनांक-28-02-2020.]

विषय–नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत विलंबित फंड अंतरण पर भविष्य निधि पर देय दर से ब्याज भुगतान के संबंध में।

राज्य में दिनांक 01-04-2019 के प्रभाव से CFMS लागू किया गया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन के बाद से मार्च, 2019 के वेतन से जो अप्रैल में दिया गया, आदिनांक तक NPS राज्यकर्मियों के वेतन से कटौती की गयी राशि का ससमय फंड अंतरण NSDL/AXIS Bank को करने की व्यवस्था TCS द्वारा CFMS में नहीं किया गया। नवम्बर, 2019 में फंड अंतरण की व्यवस्था करने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर में त्रुटियों के कारण फंड अंतरण में समस्या के कारण फंड अंतरण में विलंब हो रहा है।

2. उल्लेखनीय है कि विलंब से फंड अंतरण के कारण राज्यकर्मियों का अंशदान विलंब से बाजार में निवेशित होता है, जिससे ब्याज/लाभांश की हानि होती है। इसकी क्षतिपूर्ति हेतु माहवार विलंब से फंड अंतरण की स्थिति में जी०पी०एफ० लेखा में जमा राशि पर देय वार्षिक ब्याज की दर से विलंबित फंड अंतरण का ब्याज भुगतान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :-

(i) अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक वेतन से कटौती की गयी राशि तथा पेंशन शीर्ष 2071 से की गयी सरकारी अंशदान जो मुख्य शीर्ष 8342 में जमा है, निर्धारित अवधि के बाद विलंब से फंड अंतरण पर कर्मीवार, महावार तथा राशिवार ब्याज की गणना की जायेगी।

(ii) ब्याज की गणना मासिक फंड अंतरण की निर्धारित तिथि से वास्तविक फंड अंतरण की तिथि तक की जायेगी।

(iii) ब्याज का दर जी०पी०एफ० खाता में संचित राशि पर वर्ष 2019-20 में देय ब्याज पर संगणित की जायेगी।

(iv) ब्याज का भुगतान शीर्ष-2049-ब्याज भुगतान में बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(v) ब्याज की गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। वास्तविक वेतन भुगतान एवं अंशदान कटौती फंड अंतरण की तिथि के बीच की अवधि के लिए ब्याज देय होगा।

(vi) फंड अंतरण के बाद ब्याज की गणना की जायेगी तथा ब्याज का फंड अंतरण अलग से किया जायेगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संचिका संख्या-वि० (27) पे० को० (NPS)-30/2020/6516 वि० दिनांक-13-10-2020.]

विषय–NPS Legacy Fund Transfer के संबंध में।

आप अवगत है कि NPS कर्मियों का Contribution deduction details कोषागार के स्तर पर तथा Transferred Fund details NSDL-CRA के स्तर पर संधारित होता है। NPS की कटौती अक्टूबर, 2005 के वेतन से आरंभ की गयी जबकि फंड अंतरण की व्यवस्था दिनांक 04-04-2010 से की गयी है N.S.D.L-CRA द्वारा कराए गए मिसिंग क्रेडिट सूची तथा NPS कर्मियों से प्राप्त सूचना से स्पष्ट हो रहा है कि कई कर्मियों का फंड अंतरण अभी तक नहीं हुआ है। महालेखाकार बिहार द्वारा भी आपत्ति दर्ज की जा रही है। शत प्रतिशत फंड अंतरण करने हेतु मिसिंग क्रेडिट की खोज एवं फंड अंतरण करना आवश्यक है। इसलिए दिनांक 01-09-2005 से 31-03-2010 तक एवं उसके बाद का अंशदान के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण NPS Missing Credit एवं Fund Transfer हेतु निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :-

1. NPS Missing Credit की खोज-(a) दिनांक 01-09-2005 से जो फंड अंतरण किया गया है, उसका आंकड़ा NSDL-CRA में उपलब्ध है। कोषागार पदाधिकारी द्वारा दिनांक 01-09-2005 से 31-03-2010 तक की कटौती की गयी NPS राशि का दिनांक 01-04-2010 के बाद अंतरा किया गया है। CTMIS अवधि में NPS कर्मियों के वेतन विपत्रों से की गयी कटौती की राशि मुख्य शीर्ष 8011/8342 के शिड्यूल में है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक NPS कर्मी विभिन्न पदस्थापन वाले कार्यालय के अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के सहयोग से वेतन विपत्र से विपत्रवार कटौती होने वाले राशि की विवरणी प्राप्त कर सकते हैं।

(b) जिन कर्मियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है वे सीधे NSDL-CRA की साइट से भी अंशदानित राशि की विवरणी "Transaction Statement" के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

(c) इसी प्रकार NPS राज्यकर्मी अपने विभिन्न पदस्थापन वाले कार्यालय से माहवार वेतन एवं बकाया भुगतान से होने वाले अंशदान कटौती की विवरणी टी०भी० नंबर एवं तिथि के साथ प्राप्त कर सकते हैं।

(d) डी०डी०ओ कार्यालय से प्राप्त कटौती विवरणी का NSDL-CRA से प्राप्त NPS खाते में बुक्ड राशि का मिलान कर Missing Credit निर्धारित किया जा सकता है।

(e) Missing Credit की सूचना प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में दर्ज करते हुए डीडी ओ के हस्ताक्षर के साथ कोषागार पदाधिकारियों को हस्तगत कराया जायेगा, जहाँ जांचोपरांत फंड अंतरण की कार्रवाई की जायेगी।

2. फंड अंतरण (a) यदि कर्मी के वेतन से अंशदान कटौती नहीं हुई है जो स्पष्ट है कि सरकारी अंशदान भी नहीं हुआ है। इस स्थिति में यदि सरकारी कर्मी सेवा निवृत्त हो गये हैं या सरकारी अंशदान ब्याज सहित उन्हें भुगतान किया जायेगा। सेवारत NPS कर्मियों के मामले में राज्यकर्मी द्वारा यदि अपना अंशदान किया जाता है तो इसके साथ सरकारी अंशदान पर ब्याज देते हुए फंड अंतरण किया जायेगा।

(b) यदि राज्यकर्मी के वेतन से NPS अंशदान की कटौती की गयी है तथा सरकारी अंशदान नहीं किया गया है तो सेवानिवृत्त कर्मी को राज्यकर्मी अंशदान एवं सरकारी अंशदान ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा। सेवारत कर्मियों को दोनों अंशदान राशि को ब्याज सहित फंड अंतरण किया जायेगा।

(c) यदि दोनों अंशदान की कटौती हुई है एवं फंड अंतरण नहीं हुआ है तो भी उपर्युक्त कंडिका-'b' के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(d) यदि राज्यकर्मी सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं उनके द्वारा NSDL-CRA से NPS राशि की अंतिम निकासी कर ली गयी है और किसी माह का फंड अंतरण नहीं हो सका है तो अब उनका फंड अंतरण नहीं किया जा सकेगा। अत: ब्याज सहित दोनों अंशदानित राशि का भुगतान उन्हें किया जायेगा।

(e) ब्याज भुगतान हेतु अवधि निर्धारण-उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित विभिन्न स्थितियों के लिए ब्याज की गणना राज्यकर्मी को किये गये वेतन भुगतान की तिथि, जिसे टी०भी० नंबर एवं तिथि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा, से फंड अंतरण की तिथि तक किया जायेगा। इसके लिए वित्त विभागीय पत्रांक-वि० (27) पें० को० के पत्र संख्या 677 दिनांक 14-05-2013, 678 दिनांक 14-05-2013, 16 दिनांक 06-01-2016 एवं 175 दिनांक 28-02-2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

उक्त अवधि के लिए ब्याज की दर वही होगी जो जी०पी०एफ पर समय-समय पर यथा लागू दर राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाती है।

3. NSDL-CRA पर फाइनल अपलोडिंग एवं "Axis Bank" को फंड अंतरण की व्यवस्था-

(a) दिनांक 01-04-2019 से क्रियान्वित CFMS में NPS फाइल अपलोडिंग एवं फंड अंतरण की स्वचालित व्यवस्था की गयी है। Legacy Missing Credits या तो CTMIS अवधि का है या CTMIS के पूर्व का है। अत: इसका फंड अंतरण CFMS के माध्यम से करने में कठिनाई होगी। इसलिए ऑफलाइन मोड में सीधे NSDL-CRA Site पर File Preparation utility and File Validation utility के द्वारा अपलोड किया जायेगा।

(b) फंड अंतरण हेतु राशि-NPS कर्मी के वेतन से अंशदान एवं सरकारी अंशदान 8011 या 8342 में संचित होगा। पुस्त अंतरण में सृजित चालान नंबर के माध्यम से इसे CTMIS से CFMS में माइग्रेट करना होगा। TCS द्वारा 8011/8342 का शिडयूल्स CTMIS से CFMS में अंतरित किया जायेगा। यदि राज्यकर्मी अंशदान हुआ है लेकिन सरकारी अंशदान नहीं हुआ है तो डीडीओ के द्वारा मुख्य शीर्ष 2071 पर एक विपत्र बनाया जायेगा तथा राशि कोषागार पदाधिकारी NPS खाता में जमा होगा। NPS कर्मी का अंशदान 8011 या 8342 से चालान अंतरित कराकर निकासी कर इसी खाता में जमा होगा। यदि NPS कर्मी सेवारत होंगे तो इसके बाद फंड अंतरण किया जायेगा। यदि NPS खाता में जमा होगा। NPS कर्मी का अंशदान 8011 या 8342 से चालान अंतरित कराकर निकासी कर इसी खाता में जमा होगा। यदि NPS कर्मी सेवारत होंगे तो इसके बाद फंड अंतरण किया जायेगा। यदि NPS कर्मी सेवानिवृत्त मृत हो गये हैं तो कुल अंशदान की राशि उन्हें भुगतान कर दी जायेगी।

यदि राज्यकर्मी अंशदान नहीं हुआ है तो निश्चित है कि सरकारी अंशदान भी नहीं हुआ होगा। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मी ड्राफ्ट द्वारा अपना अंशदान देंगे तथा डी०डी०ओ० द्वारा मुख्य शीर्ष 2071 से सरकारी अंशदान की निकासी कर कोषागार NPS खाता में राशि जमा किया जायेगा। यदि कर्मी सेवारत होंगे तो फंड

अंतरण होगा। यदि कर्मी सेवानिवृत्त मृत हो गये होंगे तो उनसे उनका अंशदान नहीं लिया जायेगा तथा सरकारी अंशदान उन्हें भुगतान किया जायेगा।

कोषागार-NPS खाता से RTGS/NEFT के माध्यम से Axis Bank को फंड अंतरित किया जायेगा।

4. दिनांक 1-4-2019 के बाद कई ऐसे कर्मी हैं, जो सेवा निवृत्त हो गये हैं। लेकिन CFMS द्वारा कुछ अवधि का फंड अंतरण नहीं होने से उनको निकासी का आवेदन लंबित है। NSDL-CRA द्वारा पूर्व में दिए गए परामर्श के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व का NPS फंड अंतरण केवल बकाया के रूप में ही NSDL-CRA पर हो सकता है।

उपर्युक्त दिशा निर्देश के आलोक में NPS Legacy Fund Transfer के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस पत्र को अपने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रपत्र 'क'

नयी पेंशन प्रणाली के तहत वेतन से किये गये राज्यकर्मी अंशदान की विवरणी

1. कोषागार का नाम एवं कोड ....
2. राज्यकर्मी का नाम ....
3. वित्तीय वर्ष ....
4. स्थायी सेवा निवृत्ति लेखा संख्या ....
5. सी०पी०एफ० नंबर ....
6. निकासी एवं व्ययन कार्यालय का नाम एवं पता ....
7. डी०डी०ओ० कोड (एन०एस०डी०एल०) द्वारा निर्गत 10 अक्षर + अंकीय कोड)..................
8. सेवा में योगदान की तिथि :- ....

क्र.	माह	कटौती राशि	कटौती की टी०भी० नंबर	तिथि	डी०डी०ओ० की अभियुक्ति	फंड अंतरण की राशि	8011 से निकासी का टी०भी० नंबर	तिथि	फंड अंतरण की तिथि	कोषागार पदाधिकारी की अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मार्च									
2.	अप्रैल									
3.	मई									
4.	जून									
5.	जुलाई									
6.	अगस्त									
7.	सितम्बर									
8.	अक्टूबर									
9.	नवम्बर									
10.	दिसम्बर									
11.	जनवरी									
12.	फरवरी									

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाओं की जाँच कर ली गयी है एवं इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

डी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाओं की जाँच कर ली गयी है एवं इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

कोषागार पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र 'ख'

नयी पेंशन प्रणाली के राज्यकर्मियों के लिए सरकारी अंशदान की विवरणी

1. कोषागार का नाम एवं कोड ....
2. राज्यकर्मी का नाम ....
3. वित्तीय वर्ष ....
4. स्थायी सेवा निवृत्ति लेखा संख्या ....
5. सी०पी०एफ० नंबर ....
6. निकासी एवं व्ययन कार्यालय का नाम एवं पता ....
7. डी०डी०ओ० कोड (एन०एस०डी०एल०) द्वारा निर्गत 10 अक्षर + अंकीय कोड)..................
8. सेवा में योगदान की तिथि :- ....

क्र.	माह	कटौती राशि	कटौती की टी०भी० नंबर	तिथि	डी०डी०ओ० की अभियुक्ति	फंड अंतरण की राशि	8011 से निकासी का टी०भी० नंबर	तिथि	फंड अंतरण की तिथि	कोषागार पदाधिकारी की अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मार्च									
2.	अप्रैल									
3.	मई									
4.	जून									
5.	जुलाई									
6.	अगस्त									
7.	सितम्बर									
8.	अक्टूबर									
9.	नवम्बर									
10.	दिसम्बर									
11.	जनवरी									
12.	फरवरी									

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाओं की जाँच कर ली गयी है एवं इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

डी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाओं की जाँच कर ली गयी है एवं इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

कोषागार पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि० (27) पे० को० (NPS)-30/2020/230 वि०, दिनांक-26-3-2021.]

विषय–दिनांक 01-04-2021 के प्रभाव से कोषागारों के पुनर्गठन के फलस्वरूप डी०डी०ओ० मैपिंग के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में कहना है कि दिनांक 1-4-2021 से प्रभावी कोषागार पुनर्गठन के फलस्वरूप NPS क्रियाकलापों हेतु मात्र 42 कोषागार ही कार्यरत रह जायेंगे। सभी उप कोषागारों को संकल्प सं० 3167, दिनांक 12-06-2020 की अनुसूची-1 के अनुरूप संबंधित जिला कोषागार को संकल्प सं० 3167, दिनांक 12-06-2020 की अनुसूची-1 के अनुरूप संबंधित जिला कोषागार में आमेलित (Merged) किया जाना है।

2. उपर्युक्त पुनर्गठन को दृष्टिपथ में रखते हुए डी०डी०ओ० मैपिंग में अनुसूची-1 के अनुरूप परिवर्तन किया जाना है। इस हेतु संबंधित डी०डी०ओ० की सूची Source DTO एवं Target DTC के साथ तैयार किया गया है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल फॉरमेट में आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुरोध है कि उक्त सूची के अनुरूप दिनांक 01-04-2021 के प्रभाव से डी०डी०ओ० मैपिंग करने की दिशा में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-को०प्र०/स्था०-05/2013/5369, दिनांक-15-10-2022.]

शुद्धि पत्र

वित्त विभागीय संकल्प सं० 3167 दिनांक 12-06-2020 द्वारा समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) एवं ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति प्रणाली (O-GRAS) लागू होने के उपरांत राज्य में कार्यरत कोषागारों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। उक्त संकल्प के कंडिका-5(v) में कोषागारों के पुनर्गठन संबंधी उक्त आदेश को दिनांक 01-04-2021 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। शेष यथावत् रहेंगे।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ''संकल्प'' संचिका संख्या-को० प्र०/स्था०-05 2013/3167/ पटना, दिनांक-12-06-2020.]

विषय–समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) एवं ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति प्रणाली (O-GRAS) लागू होने के उपरांत कोषागारों का पुनर्गठन करने के संबंध में।

प्रारंभ में राज्य में 38 जिला कोषागार एवं 3 सचिवालय कोषागार कार्यरत थे। कोषागार से राशि की निकासी एवं राशि जमा करने हेतु सरकारी कर्मियों एवं आम आदमी को विपत्र एवं चालान लेकर जिला कोषागार जाना पड़ता था। बड़े जिलों में जिला कोषागारों से काफी दूर अवस्थित सरकारी कार्यालयों को विभिन्न कार्यों हेतु कोषागार आने में कठिनाई होती थी। सरकारी कार्यालयों एवं आम आदमी को सरकारी खजाने में राशि जमा कराने हेतु जिला कोषागार एवं उससे संबद्ध भारतीय स्टेट बैंक को फोकल प्वाइंट शाखा

में जाना पड़ता था। इसलिए कालांतर में कई जिलों में प्रशासनिक कारणों से अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर उपकोषागार स्थापित किये गये थे।

2. दिनांक 01-04-2019 से राज्य में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) तथा ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति प्रणाली (o-GRAS) लागू किया गया है। CFMS से राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन कार्यालयों को ऑनलाईन जोड़ा गया है। राज्य में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी०डी०ओ) की संख्या भी कम हो गयी है। अब डी०डी०ओ प्रत्येक प्रकार के विपत्र अपने कार्यालय में CFMS पर तैयार करते हैं तथा ऑनलाईन संबंधित कोषागार को सबमिट कर देते हैं। विपत्रों की भौतिक प्रति लेकर कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. (i) इसी प्रकार राज्य सरकार के कर राजस्व या अन्य सेवा प्राप्त करने हेतु सरकारी कार्यालयों एवं आम आदमी के द्वारा राशि जमा कराने हेतु ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति एवं लेखांकन प्रणाली (o-GRAS) की व्यवस्था की गयी है। इसके माध्यम से सरकारी कार्यालय, करदाता एवं आम आदमी कहीं से कभी भी ऑनलाईन सरकारी कोष में राशि जमा कर सकता है। इसके अंतर्गत नेट बैंकिंग, ओवर बैंक काउन्टर एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। o-GRAS से सभी एजेन्सी बैंकों को जोड़ा गया है। अब राशि जमा करने हेतु बैंक या कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) o-GRAS की सुविधा सभी विभागों की प्राप्तियों के लिए उपलब्ध है। सभी विभागों को इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है। सरकारी प्राप्तियों के लिए o-GRAS के क्रियान्वयन के बावजूद भी अभी से Manual Challan से सरकारी राशि जमा करने की व्यवस्था जारी है। Manual Challan से राशि जमा करने हेतु जिला कोषागार एवं कोषागार लिक्ड बैंक में जाना होता है। यदि किसी के पास Net Banking, Internet आदि की सुविधा नहीं है तो वह Manual के माध्यम से सरकारी कोष में राशि जमा करा सकता है।

4. इस प्रकार CFMS तथा O-GRAS के क्रियान्वयन के बाद अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर उपकोषागारों की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी को मात्र चालान से राशि जमा कराने हेतु कोषागार की आवश्यकता होती है। ऑनलाईन प्राप्ति प्रणाली के बाद यह आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार CFMS के कारण सरकारी कार्यालयों एवं राज्यकर्मियों को कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर उपकोषागार की आवश्यकता नहीं है। कोषागार में विपत्र पारित होने के अतिरिक्त स्टाम्प संधारण वज्रगृह, कोषागार मासिक लेखा आदि का कार्य भी कोषागार के द्वारा होता है। अत: प्रत्येक जिला में एक कोषागार यथावत कार्य करेगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में राज्य में कार्यरत कोषागारों के पुनर्गठन का निर्णय निम्नवत लिया गया है :

(i) 38 जिलों में 38 (अड़तीस) जिला कोषागार, सचिवालय स्तर पर 3 ((तीन) कोषागार, नई दिल्ली - बिहार भवन में एक कोषागार तथा ऑनलाईन प्राप्तियों के लिए 1 (एक) e-Treasury अनुसूची-1 के अनुरूप कार्यरत रहेंगे। अनुसूची-1 के कॉलम तीन में अंकित अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के कोषागारों को कॉलम-2 में अंकित संबंधित जिला कोषागार में आमेलित किया जाता है।

(ii) अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय कोषागार संबंधित जिला कोषागार से कार्य करेंगे। जब तक इन कोषागारों के सभी लिगेसी कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक तकनीकी रूप से कोषागार कार्यरत रहेंगे।

(iii) प्रखंड/अनुमंडल स्तरीय कोषागारों का संबंधित जिला कोषागारों में CFMS में TCS द्वारा पूर्ण तकनीकी आमेलन कर दिये जाने के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(iv) आमेलित होने वाले कोषागारों में एक लिपिक तथा परिचारी अगले तीन माह तक एक हेल्प डेस्क कार्य करेगा, जिसमें कार्य करेंगे।

(v) यह आदेश दिनांक 01-10-2020 से प्रभावी होगा।

अनुसूची-1

राज्य में कोषागारों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय उपकोषागारों को संबंधित जिला कोषागारों में समाहितकरण

क्र.सं.	जिला कोषागार जो 1-10-2020 से कार्यरत रहेंगे।	उपकोषागार जिन्हें कॉलम-2 में अंकित जिला कोषागार में आमेलित किया जाना है।
1	2	3
1.	कोषागार औरंगाबाद	1. कोषागार दाउदनगर
2.	कोषागार अररिया	1. कोषागार फारबिसगंज
3.	कोषागार अरवल	
4.	कोषागार भभुआ (कैमुर)	
5.	कोषागार भागलपुर	1. कोषागार नवगछिया
6.	कोषागार बेगूसराय	1. कोषागार तेघड़ा
7.	कोषागार भोजपुर	
8.	कोषागार बांका	
9.	कोषागार बक्सर	1. कोषागार डुमरांव
10.	कोषागार दरभंगा	1. कोषागार बेनीपुर
11.	कोषागार पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	1. कोषागार सिकरहना
12.	कोषागार गोपालगंज	
13.	कोषागार गया	1. कोषागार शेरघाटी 2. कोषागार टेकारी
14.	कोषागार जमुई	
15.	कोषागार जहानाबाद	
16.	कोषागार खगड़िया	
17.	कोषागार किशनगंज	
18.	कोषागार लखीसराय	
20.	कोषागार मधुबनी	1. कोषागार झंझारपुर
21.	कोषागार मधेपुरा	1. कोषागार उदाकिशुनगंज
22.	कोषागार मुंगेर	
23.	कोषागार मुजफ्फरपुर	
24.	कोषागार नालंदा (बिहार शरीफ)	1. कोषागार हिलसा 2. कोषागार राजगीर
25.	कोषागार नवादा	1. कोषागार रजौली
26.	सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना	
27.	सचिवालय कोषागार निर्माण भवन, पटना	
28.	कोषागार पूर्णियाँ	1. कोषागार धमदाहा
29.	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना	1. कोषागार बाढ़
		2. कोषागार दानापुर

		3. कोषागार मोकामा
		4. कोषागार मसौढ़ी
		5. कोषागार पटना सिटी
30.	सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना	
31.	कोषागार रोहतास (सासाराम)	1. कोषागार डिहरी
32.	कोषागार सहरसा	
33.	कोषागार शिवहर	
34.	कोषागार शेखपुरा	
35.	कोषागार सीतामढ़ी	1. कोषागार पुपरी
36.	कोषागार सुपौल	1. कोषागार वीरपुर 2. कोषागार निर्मली
		3. कोषागार त्रिवेणीगंज
37.	कोषागार सारण (छपरा)	1. कोषागार मढ़ौरा
38.	कोषागार समस्तीपुर	1. कोषागार दलसिंहसराय 2. कोषागार रोसड़ा 3. कोषागार शाहपुर पटोरी
39.	कोषागार सिवान	1. कोषागार महाराजगंज
40.	कोषागार वैशाली (हाजीपुर)	1. कोषागार लालगंज 2. कोषागार महुआ
41.	कोषागार पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	1. कोषागार बगहा 2. कोषागार नरकटियागंज
42.	ई-कोषागार (e-Treasury) सिंचाई भवन, पटना	
43.	बिहार भवन, कोषागार नई दिल्ली	

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्र संख्या-वि० (27) पे० को०-183/2010-485/वि० दिनांक 09-08-2016]

विषय :- नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये गये कर्मियों/पदाधिकारियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक-330 दिनांक 5-4-2016

उपर्युक्त विषयांकित मामले में कहना है कि ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जहाँ नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी को कतिपय कारणों से पुनः पुरानी पेंशन योजना में शामिल करते हुए उन्हें भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित की गयी है। ऐसे कर्मियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न कोषागारों से मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही थी।

2. सम्यक् विचारोपरान्त नयी पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तित कर्मियों के PRAN में संचित राशि के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) सर्वप्रथम NSDL के वेबसाइट पर उपलब्ध Error Rectification Module के अंतर्गत Redemption of Non-NPS Contribution विकल्प का चयन करते हुए सम्पूर्ण राशि कोषागार के चालू खाता में प्राप्त की जाएगी।

(2) तत्पश्चात् प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत (लाभांश सहित) कर्मी के खाते में अथवा कर्मी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी के खाते में जमा की जाएगी।

(3) शेष 50 प्रतिशत राशि में से मूल सरकारी अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत विपत्र कोड N2071011170001 (अगर राशि चालू वर्ष में ही जमा की गयी थी) या N2071019110002 (अगर राशि चालू वर्ष में ही जमा की गयी थी) में जमा की जायेगी। लाभांश की राशि मुख्य शीर्ष 0049 के अन्तर्गत विपत्र कोड R0049048000016 में जमा की जायेगी।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्र संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-6598/वि० 27 सितम्बर, 2021]

विषय :- दिनांक 1-7-2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत के माह जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाये राशि का एकमुश्त भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5421, दिनांक 19-08-2021 तथा संकल्प सं०-5422, दिनांक 19-08-2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 1-7-2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह सितम्बर, 2021 के वेतन/पेंशन में जोड़कर किये जाने तथा इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2021 में एवं माह अगस्त, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2021 में किए जाने का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य सरकार में दिनांक 01-04-2019 से समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS लागू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों/पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के वेतन/ पेंशन का भुगतान किया जाता है। समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के अंतर्गत बकाये राशि की गणना सिस्टम द्वारा स्वयंमेव एकमुश्त की जाती है। फलत: संदर्भित संकल्प के आलोक में माह, जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाया महंगाई भत्ता/राहत के समेकित विपत्र का भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में ही किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. अत: सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01-07-2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत के माह जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाये राशि का एक मुख्यत: भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-5421, दिनांक 19-08-2021 एवं संकल्प सं. 5422, दिनांक 19-08-2021 को इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्र संख्या-वि० (27)-पे०को०-01/2018/777/वि०, दिनांक 22-10-2021]

विषय :-पेंशन एवं सेवान्त लाभ/नई पेंशन योजना NPS से संबंधित लम्बित मामलों के समीक्षा हेतु सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी की दिनांक 27-10-2021 को बैठक के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि माह अक्टूबर, 2021 में पेंशन एवं सेवान्त लाभ के लंबित मामलों से संबंधित विषयों पर सभी विभाग के नोडल पदाधिकारियों की बैठक पूर्व निर्धारित तिथि में परिवर्तन करते हुए दिनांक 27-10-2021 को संलग्न सूची के अनुसार आहूत की गयी है। यह बैठक वित्त विभाग के Ground floor पर कमरा नं०-126 सभा कक्ष में होगी।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित नये प्रपत्रों (1 to v) में भरकर मासिक प्रतिवेदन बैठक के एक सप्ताह पूर्व (दो प्रति में) योजना सुनिश्चित किया जाय।

नये प्रपत्र (1 to v) वित्त विभागीय पत्रांक-499, दिनांक 3-9-2020 द्वारा सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक वर्ष पूर्व एवं पांच वर्ष पूर्व के लंबित मामले की सूची उपलब्ध कराना है। अतएव प्रपत्र में उक्त निर्देश के आलोक में ही वांछित सूचना उपलबध करायी जाय।

भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालयों के स्तर पर लंबित मामलों की सूची लेखा संख्या अंकित कर विभागीय पत्रांक/दिनांक सहित मासिक प्रतिवेदन के साथ (दो प्रति में) देना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में विचारणीय विषय निम्नांकित है-

(क) मुख्यालय स्तर पर/क्षेत्रीय कार्यालयों/निदेशालयों के मृत कर्मियों के पेंशन एवं सेवान्त लाभ के स्वीकृति की स्थिति।

(ख) विभागीय स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन।

(ग) तीन माह से अधिक समय से लंबित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों में विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर कृत कार्रवाई की सूचना।

(घ) जिला भविष्य निधि कार्यालयों/भविष्य निधि निदेशालय में सेवा निवृत्त/मृत कर्मियों के लंबित अंतिम निकासी के मामले।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 27-10-2021 को आहूत बैठक में प्रेषित प्रतिवेदन के साथ (दो प्रति में) भाग लेने हेतु विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

दिनांक 27-10-2021 को सेवान्त लाभ बैठक से संबंधित विवरण

प्रथम पाली

समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से

विभाग का नाम

सामान्य प्रशासन विभाग/गृह (विशेष) विभाग/गृह (आरक्षी) विभाग/गृह (कारा) विभाग/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/संसदीय कार्य विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/अनु० जाति/अनु० जनजाति कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/पर्यटन विभाग/ऊर्जा विभाग/विधि विभाग।

द्वितीय पाली

समय 12.30 बजे अपराह्न से

विभाग का नाम

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/कृषि विभाग/निगरानी विभाग/सूचना प्रावैद्यिकी विभाग/निर्वाचन विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

तृतीय पाली

समय 3.30 बजे अपराह्न से

विभाग का नाम

परिवहन विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/श्रम संसाधन विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/वाणिज्य कर विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/शिक्षा विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/सहकारिता विभाग/उद्योग विभाग/पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग।

●●●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं०-3ए-3-भत्ता-01/2022/3024/वि० दिनांक 08-04-2022]

विषय :-सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-7530/वि० दिनांक 9-11-2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2/2022-E-II(B) दिनांक 31-03-2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 31% से बढ़ाकर 34% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2022 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्रांक-3ए-3-भत्ता-03/2022-4479 वि० दिनांक 9-5-2022]

विषय :-पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-8009, दिनांक 29-11-2021 के द्वारा पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 368 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(2)/2008&E-II(B) दिनांक 07-04-2022 द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2022 के प्रभाव से 368% से बढ़ाकर 381% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों

को दिनांक 01-01-2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 368% से बढ़ाकर 381% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/वेतन एवं महंगाई वेतन पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iv) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे ऊपर की राशि को पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं०-3ए-3-भत्ता-02/2022/4478/वि० दिनांक 09-05-2022]

विषय :-षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से 196% के स्थान पर 203% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प सं०-8010/वि० दिनांक 29-11-2021 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01-07-2021 के प्रभाव से 196% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(1)/2008-E-II(B) दिनांक 07-04-2022 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से 196% से बढ़ाकर 203% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2022 के प्रभाव से 196% के स्थान पर 203% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित विभाग पत्र संख्या-वि० (27) पे०को०-44/2017-749 दिनांक 29-07-2022]

विषय : एन०पी०एस० से संबंधित गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण एवं लंबित मामलों पर कार्रवाई के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में एन०पी०एस० के क्रियान्वयन के संदर्भ में पी०एफ०आर०डी०ए० नई दिल्ली के द्वारा सरकार का ध्यान कतिपय बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया गया है, जिन पर गंभीरतापूर्वक त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। कार्रवाई हेतु चिन्हित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1. नवनियुक्त कर्मियों के निबंधन में विलंब :-राज्य में OPGM लागू होने के बावजूद नवनियुक्त कर्मियों को PRAN आवंटन में काफी विलंब हो रहा है जो चिंताजनक है। इस संदर्भ में सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित कर्मी के योगदान के समय ही PRAN आवंटन संबंधी प्रपत्र कर्मी से भरवाकर कोषागार को उपलब्ध करा दिया जाय।

2. नामिती एवं मोबाइल संख्या से रहित PRAN :- सभी कोषागार पदाधिकारी ऐसे मामलों की सूची संबंधित डी०डी०ओ० को उपलब्ध करायेंगे तथा डी०डी०ओ० संबंधित कर्मी से वांछित सूचना प्राप्त कर कोषागार को अग्रेतर कार्यार्थ उपलब्ध करायेंगे।

3. Nil Credit PRAN :-सभी कोषागार पदाधिकारी छः माह से अधिक के Credit PRAN के संदर्भ में डी०डी०ओ० से वस्तुस्थिति की सूचना प्राप्त करते हुए उसे निष्क्रिय करने हेतु एन०एस०डी०एल० को सूचित करेंगे।

4. डी०डी०ओ० द्वारा एन०एस०डी०एल० के सिस्टम पर Log-in न किया जाना :- डी०डी०ओ० को एन०पी०एस० गतिविधियों में सक्रियतापूर्वक भाग लेने हेतु सी०आर०ए० सिस्टम पर लॉग-इन करने हेतु निश्चित निदेशित किया जाय ताकि डैश बोर्ड का अवलोकन कर लंबित मामलों में ससमय कार्रवाई की जा सके।

5. लंबित शिकायतों के मामले :-सभी डी०डी०ओ०/कोषागर पदाधिकारी लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकार को ससमय अग्रसारित करेंगे।

6. लंबित निकासी के मामले :- वर्त्तमान समय में आंशिक निकासी के 23 मामले जबकि अंतिम निकासी के 288 मामले (30-06-2022 तक) लंबित है। सभी डी०डी०ओ०/कोषागार पदाधिकारी अपने कार्यालय/कोषागार से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

7. सेवानिवृत्ति के बाद भी निकासी प्रक्रिया का आरंभ न होना-ऐसे कुल 4157 मामलों की सूचना पी०एफ०आर०डी०ए० द्वारा प्रदान की गयी है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कर्मी से वांछित सूचना प्राप्त करते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

8. क्लेम आई०डी० सृजित होने के पश्चात् निकासी प्रक्रिया आरंभ न होना - सभी कोषागार पदाधिकारी अपने कोषागार से संबंधित क्लेम आई०डी० के मामलों की सूचना प्रतिमाह संबंधित डी०डी०ओ० को अग्रेतर कार्यार्थ उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित डी०डी०ओ० द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

9. सेवानिवृत्त कर्मियों के वार्षिक खरीद में विलंब :-यद्यपि यह मामला संबंधित कर्मी से संबंधित है, तथापि डी०डी०ओ०/नोडल पदाधिकारी संबंधित कर्मी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त मामलों में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय तथा एन०पी०एस० गतिविधियों के ससमय निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर नियमित अनुश्रवण/समीक्षा की व्यवस्था की जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं०-3ए-3-भत्ता-01/2022/9731/वि० दिनांक 18-10-2022]

विषय :-सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-3024/वि० दिनांक 08-04-2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/3/2022-E-II(B) दिनांक 03-10-2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01-07-2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 34% से बढ़ाकर 38% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महंगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित महंगाई राहत का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 के पेंशन में जोड़कर होगा, किन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2022 से आकलित बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर, 2022 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागर पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक वि० (27) पे०को०-36/2016-1152 (पे०) दिनांक 11-11-2022]

विषय :-वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-1030 दिनांक-03-11-2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 169 (क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रदान करने के संबंध में।

वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-1030 दिनांक-03-11-2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम 169(क) निम्नवत् जोड़ा गया :-

"169(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिक आर्मी के मृत्योपरांत जिन्हें सैनिक एवं असैनिक सेवा हेतु दोहरा पेंशन अनुमान्य है; उनके आश्रितों को भी दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा।"

2. उल्लेखनीय है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 169(क) के प्रावधान रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापांक-01(05)/2010-D दिनांक-17-01-2023 के अनुरूप ही अंगीकृत किये गये हैं। भारत सरकार के उक्त पत्र में पूर्व के मामलों को आच्छादित किया गया है, लेकिन वित्तीय लाभ आदेश निर्गत की तिथि से अनुमान्य किया गया है।

3. कतिपय न्यायाधीन मामलों के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना निर्गत की तिथि 03-11-2016 से पूर्व के मामलों को उक्त नियम से आच्छादित करने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-1030 दिनांक-03-11-2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत की तिथि 03-11 2016 से प्रदान किया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्रांक-3ए-3-भत्ता-03/2022-10876 वि० दिनांक 21-11-2022]

विषय :-पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4479, दिनांक 09-05-2022 के द्वारा पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से 381% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(2)/2008-E-II(B) दिनांक 12-10-2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 381% से बढ़ाकर 396% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक 01-01-1996 के प्रभाव से लागू पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01-01-2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01-07-2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 381% से बढ़ाकर 396% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महंगाई भत्ता/राहत परिगणित कर किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महँगाई भत्ता राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपयें में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतिक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्रांक-3ए-3-भत्ता-03/2022-10877 वि० दिनांक 21-11-2022]

विषय :-षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4478, वि० दिनांक 09-05-2022 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01-01-2022 के प्रभाव से 203% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(1)/2008-E-II(B) दिनांक 12-10-2022 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 203% से बढ़ाकर 212% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यत: अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अत: सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त भूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iv) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि० (27) पे०को०-78/2005-195 (पे०)/वि० दिनांक 16-2-2023.]

विषय :-वित्त विभागीय संकल्प सं०-607 दिनांक-01-10-2020 की कंडिका-3(ii) से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंग: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-218/6/2022/EPS दिनांक- 04-05-2022।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०-607 दिनांक-01-10-2020, जो लोकसभा/विधानसभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय अनुग्रह अनुदान से संबंधित है, की कंडिका-3(ii) में अंकित है कि "निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की COVID-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें 30 लाख रु० अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।"

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-218/6/2022/EPS दिनांक-04-05-2022 द्वारा निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मी/सुरक्षा कर्मी जिनकी मृत्यु COVID-19 संक्रमण से हो गयी है, के लिए निम्न दिशा-निर्देश दिया गया है :-

The commission has reviewed the matter and has directed to grant exgratia

compensation to the families of polling personnel/security personnel who died due to COVID in all such cases where the following conditions are fulfilled :

1. The person should be deployed as well as performed election duty.

2. There should be a cogent relationship between his election duty and his contracting COVID.

3. The COVID report should be withing 15 days from the performance of election duty of polling personnel/security personnel.

4. The should be a Medical certificate/Death certificate of a hospital mentioning that the death took place due to COVID.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप ही COVID-19 संक्रमण से मृत निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी के मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं०-3ए-3-भत्ता-01/2022/3352/वि० दिनांक 11-4-2023.]

विषय :-सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-9731/वि०, दिनांक 18-10-2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01-07-2022 के प्रभाव से 38% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/04/2023-P & PW(D), दिनांक 06-04-2023 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक 01-01-2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 38% से बढ़ाकर 42% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महँगाई राहत की दर स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान मार्च, 2023 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागर पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

●

[बिहार सरकार, वित्त विभाग पत्रांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-3353 वि० दिनांक 11-4-2023]

विषय :-सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01-01-2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-9730/वि०, दिनांक 18-10-2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01-07-2022 के प्रभाव से 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1/2023-E-II(B), दिनांक 03-04-2023 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01-01-2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 38% से बढ़ाकर 42% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को नहंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 01-01-2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 38% प्रतिशत से बढ़ाकर 42% करने की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान दिनांक-01-01-2023 के प्रभाव से किया जाएगा।

(iii) सप्तम् केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. उक्त वर्धित दर से महंगाई भत्ता की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2023 के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

●

APPENDIX–10

SOME IMPORTANT CASE-LAW

Pension and gratuity are valuable rights. Gratuity should be paid on the day of retirement or on the following. Pension should be paid at the expiry of the following month. In the event of delay in payment, Government is liable to pay interest at market rate commencing from expiry of two months from the date of retirement. *State of Kerala Vs. M. Padmanabhan Nair*, 1985 PLJR (SC) 17.

Pension is property within meaning of Art. 19 (1) (f) and 31 (1) of the Constitution. *Deoki Nandan Prasad Vs. State of Bihar*, 1971 PLJR 458.

Bar of writ against civil court under the Act does not stand as bar in the way of writ of *mandamus. ibid.*

Circular No. Pen–1024/69/11779F, dt. 12-8-1969 is also applicable to an employee who retired from Bihar State Road Transport Corporation. *Nikhil Krishna Aikat Vs. State of Bihar*, 1995 (2) PLJR 408.

Rule 5—Court settling the controversy about the payment of pension to pensioner in an earlier writ. Direction made for computation and payment along with interest. Deoki Nandan Prasad Vs. State of Bihar, 1983 PLJR (SC) 96.

Rule 26—The pension to be fixed on the basis of presumptive pay he would have drawn in his parent department, if he was not confirmed in the deputation post. Rabindra Nath Mandal Vs. State of Bihar, 1998 (2) PLJR 323.

Rules 27 and 43 (b) read with Rule 35 of Bihar Service Code, 1952—Rule 27 of Pension Rules and Rule 35 of Bihar Service Code speak of "pension" including "gratuity"—ordinarily the term "pension" includes gratuity except when it is used in contradistinction to gratuity. Gratuity can be withheld by State Government under Rule 43 (b) of Pension Rules. Ram Bahadur Sinha Vs. State of Bihar, 1994 (2) PLJR 724.

Rule 43 authorises the continuance of a departmental proceedings initiated prior to the date of superannuation and passing of an order of punishment for the recovery from the pension even after the officer has retired. Jagdhari Roy Vs. State of Bihar, 1968 PLJR 634.

Gratuity (Rule 43)—Circular No. 3014, dated 31-7-1980 mandating to release entire gratuity within six months of retirement. No period of limitation provided in the rule to complete a departmental proceeding. Circular has to be subservient to the statutory rule and cannot have an independent role. Deena Nath Prasad Vs. State of Bihar, 1986 PLJR 405.

Rule 43 (b)—State can withhold part of the pension amount after the retirement of concerned employee till the finality of the criminal proceeding, as chargesheet was submitted in criminal case while the petitioner was in service. State liable to pay the rest in terms of the appropriate Govt. Circular within two months subject to the final decision in criminal proceeding. Lakshmi Shankar Prasad Vs. State of Bihar, 1999 (3) PLJR 654.

Rules 43 (a) and (b)—Withholding and curtailment of pension and gratuity of retired employee pursuant to ex-*parte* enquiry (after superannuation). No departmental proceeding ever initiated before retirement. It is settled that service of charge-sheet follows the decision to initiate disciplinary proceedings. It does not preclude or coincide with that decision. A departmental proceeding initiated

under Rule 55 of CSS (CCA) Rules before retirement can continue even after retirement for the purpose of taking action u/r 43 of Pension Rules and not that even calling for an explanation will suffice for taking action u/r 43 without initiating a proceeding in terms of proviso to Rule 43 (b)—direction given to clear the payments. *Rajnity Jha Vs. State of Bihar*, 2000 (2) PLJR 845.

Rule 43—Show cause against dereliction of duty served on petitioner while he was in service and he superannuated from service after nine years. By an order, State Government converting the departmental proceeding to one u/r 43 (b). Where departmental proceedings had already been started while an employee was in service, even if he superannuated on attaining the age of superannuation the enquiry may be continued u/r 43 for the limited purpose of taking such action as provided under the said rules even after such superannuation and for that purpose no specific or express order of the Government is necessary. Plea that no charge was framed against the petitioner or issued to him nor he was placed under suspension and therefore rule 43 is not attracted is not tenable because a proceeding u/r 55A is a proceeding for minor penalty which was required to be disposed of on the basis of a representation. No specific charges are required to be framed and proved in a departmental proceeding with respect to minor penalty. The order passed by the State Government converting the departmental proceeding u/r 43 (b) was as a measure of abundant precaution. The same, however, is converted by automatic operation of law without any formal order. Therefore, order of conversion by the order does not render the conversion of proceeding bad in law. *State of Bihar Vs. Bipin Bihari Prasad*, 2000 (4) PLJR 459.

Rule 43—Deduction of pension a penalty, departmental enquiry to be conducted in accordance with the procedure prescribed. Giving of notice at the employee's home address even though employee had before then communicated with the department and had given his present address is not adequate service of notice and decision taken to deduct 50% of the pension because there was no reply within the stipulated period in the notice is also not valid. *Shanti Devi Vs. State of Bihar*, 2000 (4) PLJR 340.

Rule 43 (b)—Limitation of four years in the rules applies in cases of proceeding initiated after superannuation and not which had started and remained pending while an employee was in service. *State of Bihar Vs. Bipin Bihari Prasad*, 2000 (4) PLJR 459.

Rule 43 (b)—No penal order u/r 43 (b) can be passed for withholding/ curtailing of pension or part thereof, more than four years before institution of such proceeding. In case where proceeding is instituted after retirement, it must be in respect of an event which took place within four years before institution of the said proceeding and not of an earlier period. After retirement, all ex-employees belong to a common class of retired employees, who are entitled for retiral benefits in accordance with law. No classification can be made except on valid ground having a nexus to achieve some object. No distinction is permissible on the ground of institution of proceeding before or after retirement. *Ram Awadhesh Sharma Vs. State of Bihar*, 2000 (4) PLJR 83.

Rule 43 (b)—A departmental proceeding can continue only if an order is passed to this effect before retirement of the Government servant otherwise the departmental proceeding would be deemed to have terminated on the retirement of the Government servant. *Bholan Choudhary Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 186.

Rule 43 (b)—An order to withhold or reduce pension to be passed by the State Government after consultation with the BPSC. Where it was not done and even though violation of Bihar Government Servant Conduct Rules was recorded confirming misconduct but such misconduct did not cause any pecuniary loss to the State, such order has to be set aside. Matter remitted to State for taking fresh decision u/r 43 (b). *Sahdeo Sahu Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 123.

Rule 43 (b)—Where the departmental proceeding initiated while the employee was in service was not converted into a proceeding u/r 43 (b), and the employee retires, no order of punishment on the basis of proceeding while he was in service can be imposed. *Syed Shafique Mohsin Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 163.

Rule 43 (b)—Pension includes gratuity also. *Rebati Raman Kanth Vs. Chairman, B.S.E.B.,* 2000 (1) PLJR 192.

Rule 43 (b)—Merely because a judicial proceeding is pending against the Government servant his pension and gratuity cannot be withheld if the event is before four years of institution of the said proceeding. Direction to pay remaining retiral benefits with 10% interest. *ibid.*

Rule 43 (b)—The provision of this rule is for punishing a Government servant, who has done a wrong, in a different way because after retirment penalties, major or minor, cannot be imposed upon him which could have been imposed under Classification, Control and Appeal rules, had he been in service. *Shambhu Saran Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 665 (FB).

Rule 43 (b)—Safeguards—misuse of power under the rule so that no undue harassment is caused to the Government servant after retirement. But there is no question of any such harassment where a departmental proceeding is pending against the Government servant at the time of his retirment. *ibid.*

Rule 43 (b)—A departmental proceeding pending may continue after his retirement. No specific or express order of the Government to this effect is necessary. *ibid.*

Rule 43 (b)—Government is empowered to withhold pension and gratuity alone and not provident fund, unutilised leave, group insurance etc. In view of the Government decision provisional pension and provisional gratuity are payable during the pendency of the proceeding. *Laxman Prasad Tiwary Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 1061.

Rule 43 (b)—Petitioner placed under suspension but subsequently suspension order was revoked and he was allowed to superannuate. Serving of charges on him after retirement without obtaining sanction of the State Government is not valid. After the retirement of the Government servant, the relationship of master and servant comes to an end and the Government can initiate departmental proceedings only in terms of rule 43 (b). Withholding of pension and retiral benefits not justified—cost awarded. *Kartik Prasad Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 809.

Rule 43 (b)—In absence of a specific order in this regard by the Government in case where the Government servant superannuated referred for consideration by a larger bench. *Laxman Prasad Tiwary Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 1061.

Rule 43 (b)—Pension dues including gratuity of an employee cannot be withheld without finding of guilt u/r 43 (b). *Kumud Ranjan Tiwari Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 99.

Rule 43 (b)—Power to withhold or withdraw pension in case of proved misconduct of conviction. *Sur Bihari Mandal Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 870.

Rule 43 (b)—Departmental proceeding initiated against the petitioner few days before his superannuation but charges served on him just after superannuation. Specific order under the order of Governor passed continuing the said proceeding for the purpose of action to be taken u/r 43 (b). Therefore, the departmental proceedings had been initiated against him while he was in service. *State of Bihar Vs. Man Bahadur Mahto,* 2000 (2) PLJR 765.

Rule 43 (b)—No express order is necessary to continue the departmental proceeding after superannuation. *ibid.*

Rule 43 (b)—These rules provided for continuation or initiation of departmental proceeding after the superannuation of the Government servant for the limited purpose of rule 43 (b) and are quite different from the rules providing for punishment to a Government servant held guilty after a departmental proceeding while in service. It is not necessary for the Government to extend the services of such a person under rule 73 of Bihar Service Code. Though, after superannuation such a person goes beyond the disciplinary jurisdiction of the State Government but he can certainly be dealt with u/r 43 (b). *ibid.*

Rule 43 (b), Clause (a) (ii) of proviso—Withholding of part pension/gratuity. Neither Government resolution initiating departmental enquiry issued to the incumbent nor reasons recorded holding the petitioner guilty of the charges. Departmental proceeding if not instituted while the Government servant was on duty either before retirement or during re-employment can be instituted only in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings. Moreover, an order initiating departmental enquiry must be speaking one and not cryptic. Facts being different, departmental enquiry and consequent punishment stand vitiated: *Dr. Mithilesh Kumar Sharma Vs. State of Bihar,* 2000 (3) PLJR 604.

Rule 43 (b)—Actual service of notice ordinarily is not a necessary concomitant of its issuance. Merely because the statute implies that an order issued should also be served on the person, for whom it is meant, does not necessarily mean that the two words should be read as synonyms or interchangeable. Therefore, expiry of four years period, starting from the date of event, has to be reckoned with reference to the date of "issue" of the memo of charges and it is not necessary that the memo should also be served within that period itself. *Sudheshwar Nath Vs. State of Bihar,* 2000 (3), PLJR 49.

Rule 43 (b)—The departmental proceeding shall be deemed to have been instituted when the charges framed, against the pensioner, are issued to him or, if the Government servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date. Therefore, where no enquiry was ever conducted and only on the basis of the explanation furnished by the Government servant, a decision was taken to curtail his pension u/r 43 (b), such an order cannot be sustained. *State of Bihar Vs. Serajuddin Ahmed,* 2000 (3) PLJR 150.

Rule 43 (b)—Where a disciplinary proceeding has already been started, even if the delinquent superannuates the enquiry may be continued for the limited purpose of taking such action as provided u/r 43 (b), even after such superannuation and for that purpose no specific or express order of the Government is necessary. *Ganauri Rajak Vs. State of Bihar,* 2000 (3) PLJR 234.

Rule 43 (b), Provisio (c)—Consultation with Commission is must for Government in assessing the guilt or otherwise of the delinquent officer as well as suitability of the penalty to the imposed—omission of, or irregularity in, such consultation, does not give rise to any cause of action, the aggrieved officer has no remedy in a court of law, nor any relief under Articles 32 and 226 of Constitution can be granted. Article 311 is not controlled by Article 320 (3). *State of Bihar Vs. Bipin Bihari Prasad,* 2000 (4) PLJR 459.

Rule 43 (b) and (c)—Non-compliance of the requirement in clause (c) does not invalidate the proceedings ending with the final order of the Government. non-consultation with the Commission cannot be said to vitiate the order passed by the Government under clause (b). *Shambhu Nath Bhagat Vs. State of Bihar,* 2000 (2) PLJR 394.

Rule 43 (b)—While in service petitioner was served with show cause which he replied but thereafter neither any criminal nor departmental proceeding launched by authorities. Such direction cannot be termed as having been passed u/r 43 (b) as it was without affording an opportunity of hearing. Moreover, the allegation that he placed orders for purchase of materials exceeding his pecuniary jurisdiction might be a case of dereliction of duty and not causing any loss to the State Government. *Amod Ranjan Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 496.

Rule 43 (b)—No provision contained u/r 43 (b) from which it can be inferred that the proceeding initiated before retirement of a govt. servant can be deemed to be continuing and order can be passed in the said proceeding imposing punishment against the employee concerned even after his retirement, akin to Rule 9 (2) of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. *Andrika Prasad Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 500.

Section 43 (b)—Departmental Proceedings initiated but no final order passed before retirement of the employee. 43 (b) (a) provided the cause of action for such proceeding did not take place more than four years before the institution of such proceeding. There cannot be any automatic continuance of the proceeding in absence of specific provision to that effect. Since no order passed in terms of 43 (b) and charges relate to the period of beyond four years, hence the State is directed to release the pensionary benefit etc. along with statutory interest besides other interest. *ibid.*

Rule 43 (b) is in *pari materia* to rule 9 (1) of Central Civil Service Pension Rules—There can be no automatic continuation of departmental proceeding under Bihar Rules like Central Rules, *Sachchidanand Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 513.

Rule 43 (b)—There is no justification to withhold pension and gratuity due to criminal proceeding after the criminal case is dropped and the employee concerned is acquitted. *Devendra Nath Tripathi Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 645.

Rule 43 (b)—State cannot withhold a pension or any part of it till such time an order is pased u/r 43 (b). *Bajrang Deo Narain Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 949.

Rule 43 (b)—Proceeding can be initiated against the retired employee provided the event under scrutiny took place not more than four years of the initiation of such proceeding. *Man Bahadur Mahto Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 327.

Rule 43 (b)—Employee dying in course of employment and if there is any dues on official record against him, it may be described as dues out of simple accounting. Such dues may be adjusted without resorting to procedure of Rule 43 (b). *Chandri Devi Vs. State of Bihar*, 1999 (2) PLJR 372.

Rule 43 (b)—Applicable only to the cases where a departmental or judicial proceeding is either pending or has to be initiated on account of gross misconduct or on account of causing pecuniary loss to the Government. *ibid.*

Rule 43 (b)—Where there is death of an employee while in service and there is any disputed claim based on misconduct etc. against him, the State like an ordinary person will obtain decree from a competent court to its dues. It cannot usurp to itself the power of deciding its own claim against the deceased employee or his family. *ibid.*

Rule 43 (b)—Retiral benefits can be withheld on initiating departmental proceedings under the Rules and Act on the grounds of pendency of criminal case instituted after retirement for embezzlement. Direction issued to pay retiral benefits within specified period with statutory interest. *Raman Prasad Vs. State of Bihar*, 1999 (2) PLJR 388.

Rule 43 (b)—Proviso to this rule is attracted only where no departmental proceeding was instituted before the superannuation of the delinquent or within four years after superannuation. Where the delinquent was already under suspension, which was later revoked and the departmental proceeding was initiated before his superannuation, he cannot claim protection of this rule. Under this rule a departmental proceeding shall be deemed to have been instituted when the charges are issued to him or, if he was placed under suspension from an earlier date on such date. *Dr. Shyam Nand Singh Vs. State of Bihar*, 1999 (1) PLJR 766.

Rule 43 (b)—Authorities are fully competent to withhold and/or forfeit portion or whole of the pensionary amount to compensate the loss caused to the government. *Faiyaz Ahmad Vs. State of Bihar*, 1999 (1) PLJR 289.

Rule 43 (b)—is applicable to Bihar State Electricity Board's employees except those specifically exempted by the Board from time to time. *Braj Kishore Prasad Shrivastava Vs. Bihar State Electricity Board through its Chairman*, 1998 (2) PLJR 744.

Rule 43 (b)—Order issued to continue disciplinary proceeding initiated 9/10 years back even after the superannuation of the Government servant illegal, arbitrary and without jurisdiction. *Md. Wakil Vs. State of Bihar*, 1997 (2) PLJR 933.

Rule 43 (b)— Departmental proceeding against employee for misappropriation on the day he superannuated. Provisional pension of employee sanctioned by Board by withholding 10% pension, gratuity, amounts due towards Group Saving Scheme, leave encashment etc. as temporary measure subject to decision in disciplinary proceedings. It is open for Board to make good loss caused to it by employee if found responsible by making recovery from amounts due towards above account. Board justified in withholding payment. *Birendra Kumar Verma Vs. Bihar State Electricity Board*, 1996 (2) PLJR 702.

Rule 43 (b)—Time limit prescribed under Rule 43 (b) for instituting proceeding for recovery of money allegedly due to State Government provides bar after expiry of time limit. *Sachchida Nand Verma Vs. State oof Bihar*, 1996 (2) PLJR 421.

Rule 43 (a), (b) and Resolution No. 3014F, dated 31-7-1980 of the Finance Department, Government of Bihar—An authority has no power to stop pension and gratuity of a Government Servant if no departmental proceeding has been instituted against him or if there have not been any judicial proceedings pending against him on the date of retirement. Order to pay gratuity and final provision with 12% interest *per annum* w.e.f. date of superannuation because undue delay was made in payment of the same. *Dr. Jyotindra Sahay Vs. State of Bihar,* 1991 (1) PLJR 637.

Rule 43 (b)—Pension or any part of it not to be withheld without following the provisions of Rule 43 (b). *Ram Vilas Mishra Vs. State of Bihar,* 1993 (1) PLJR 437.

Rule 43 (b)—Empowering to withhold or withdraw whole or part of the pension. However, such order can be passed only after affording opportunity of hearing. *Basishtha Prasad Sinha Vs. State of Bihar,* 1993 (1) PLJR 605.

Rule 43 (b)—BSEB ordering that retirement benefits, payable to superannuated Accounts Officer of BSEB be not be paid. The provisions of Rule 43 (b) are applicable to employees of BSEB. Retirement benefits can be withheld only if the superannuated employee is found guilty of misconduct which has resulted in financial loss to BSEB. Merely because a criminal case is pending against concerned employee can not justify withholding of retirement benefits without passing specific orders therefor. BSEB directed to pay retirement benefits to petitioner within a period of ten weeks. *Bali Ram Thakur Vs. BSEB,* 1995 (2) PLJR 609.

Rules 43 and 139—Curtailment of pension on the ground of non-passing of requisite exmination. *Ganesh Prasad Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 623.

Rules 43 and 139—Scope quite different—There is no question of applicability of rule 139 if rule 43 is attracted. *Shambhu Saran Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 665 (FB).

Rules 43 (b) and 139—Government can withhold the pension of a superannuated employee only in terms of Rule 43 (b). On conjoint reading of the provisions contained in Rules 43 (b) and 139 (a) and (b), no action in terms of Rule 43 (b) is permissible against the Government servant. Therefore, withholding of remaining amount of pension is not valid where no action has been taken against the petitioner u/r 43 (b). *Madhusudan Mandal Vs. State of Bihar,* 2000 (2) PLJR 816.

Rules 43 (b) and 139—It is necessary to pass a specific order u/r 43 (b) for continuance of departmental proceeding, because otherwise the proceeding will meet its natural death on account of his retirement and his ceasing to be in service. After retirement the relationship of master and servant ceases and no order to the detriment of the employee can be passed unless rules specifically provide for it. Power u/r 43 (b) can be exercised subject to conditions laid down therein and cannot be invoked in absence of any specific order passed before retirement of the employee to continue the departmental proceedings. Power u/r 139 can be exercised in revision over the decision of the subordinate authority if the State Government is satisfied that service of the employee concerned was not thoroughly satisfactory or there was proof of grave misconduct on his part while in service. However such power is to be exercised after giving an opportunity of hearing to the employee and within three years. However, on the ground of past misconduct a proceeding can be initiated u/r 139 without complying

with requirement of rule 43 (b), but it can be only with such misconduct which might have taken place within four years of initiation of such proceeding. *Sachchidanand Singh Vs. State of Bihar*, 1999 (3) PLJR 513.

Rules 43 (b) and 139—Authority not to pass specific order in case where the proceeding was dropped by virtue of a judicial order which was re-opened pursuant to direction of the order and the said proceeding culminated in the passing of order of dismissal but in the meanwhile the delinquent employee superannuated. Since the proceeding was initiated well within four years, the case not covered by proviso (ii) of rule 43 (b). *Bindeshwari Choudhary Vs. State of Bihar*, 1999 (1) PLJR 75.

Rules 43 (b) and 139 (a) and (b)—When pension is reduced on the ground of unsatisfactory service, recourse to rule 43 (b) not necessary. *Serajuddin Ahmad Vs. State of Bihar*, 1998 (3) PLJR 28.

Rules 43 (b) and 139—No notice u/r 139 is necessary where the proceeding had been continuing while the petitioner was in service. Continuation of such proceeding even after superannuation of petitioner from service is not violation of rule 43 (b) even if four year's period has crossed because it is not a fresh proceeding. *Ramchandra Jha Vs. State of Bihar*, 1998 (1) PLJR 376.

Rules 43 (b) and 139 (b)—A retired government servant can be found guilty of grave misconduct during his service career pursuant to the departmental proceeding within four years of the initiation of such departmental proceeding against him. State has no power to invoke these rules after four years. *Ram Lakhan Singh Vs. State of Bihar*, 1996 (1) PLJR 516.

Rules 43 and 139—Retiral benefits—The High Court deprecating attitude of State Government. *Mostt. Rukmini Devi Vs. State of Bihar*, 1996 (2) PLJR 348.

Rules 43 and 139—Practice of making recoveries from retiral dues much against rules deprecated. *ibid.*

Rules 43 (b) and 139—Initiation of fresh departmental proceeding against retired Government servant on ground of misconduct while still in service. Retired Government servant also asked to show cause why 70% of pension should not be withheld during pendency of departmental proceeding. Where earlier departmental proceeding in respect of alleged misconduct had been quashed by the High Court, the initiation of a fresh departmental proceeding and withholding of part of pension already sanctioned cannot be ordered after more than three years of date of retirement. Initiation of fresh departmental proceeding after expiry of more than three years (from date of sanctioning of pension) is barred by Rule 43 (b) proviso (a) (ii). *State of Bihar Vs. Mohd. Idris Ansari*, 1995 (2) PLJR (SC) 51.

Rules 43 (b) and 139—Rule 43 (b) r/w Rule 139 empowers State Government to reduce the amount of pension or deny payment of entire pension. Directions given for payment of fifty percent of pension till final disposal of pending proceedings against the Government servant. *State of Bihar Vs. Narasimha Sundram*, 1994 (1) PLJR (SC) 101.

Rules 43 (b) and 139—Departmental Proceeding initiated after six months of superannuation from Government service. Rule 139 provides that if the service of a Government servant, who has superannuated, has not been thoroughly satisfactory, the Authority sanctioning the pension should make such reduction in the amount as it thinks proper. However, Rule 139 (c) makes it clear that the State Government may revise the order relating to pension passed by subordinate

authorities under their control, if they are satisfied that past service of pensioner was not thoroughly satisfactory or that there was proof of grave misconduct on his part while in service. Proof of grave misconduct is required. Such grave misconduct may either be proved before a court of law or even in a departmental proceeding. Otherwise order of reduction of pension under rule 139 is wholly unjustified. *Md. Idris Ansari Vs. State of Bihar,* 1994 (1) PLJR 809.

Rules 43 and 139—Imposition of penalty of reduction of pension payable on account of order passed. Rule 139 not applicable where there is no material on records of case to substantiate the findings of Disciplinary Authority. *Shamsul Bari Vs. State of Bihar,* 1992 (2) PLJR 233.

Rules 43 and 139—Departmental Proceedings for causing loss to the government by negligence or fraud of the government servant can be instituted for recovery of the loss after his retirement out of the pension payable save with the sanction of the State Government. Such power must be used with care, caution and sparingly. Any such proceeding has to be concluded at its earliest and the Government servant should not be exposed in the fall of his life to costly and unending litigation. He shall be entitled to travelling expenses. Reduction can be made in pension if the service of the government servant had not been thoroughly satisfactory. *Deena Nath Prasad Vs. State of Bihar,* 1986 PLJR 405.

Rules 43 and 143—Executive order in conflict with statutory provisions cannot be sustained. Executive orders are meant to fill the gaps or supplement the statutory provisions. No adverse finding whatsoever, either in departmental or judicial proceeding against the petitioner. Withheld pensionary benefit directed to be released within two weeks. *Satyendra Narain Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 939.

Rule 45 (e)—Pension is not admissible when a Government servant serves under an agreement which contains no stipulation regarding pension, unless the Provincial Government specially authorise him to count such service towards pension. The agreement should be so worded as to preserve inviolate the indefeasible right of Provincial Government to modify the rules from time to time at their discretion so that no claim may arise to the benefits of rules as they stood on the date when the agreement was executed. Only such *dafadars* who superannuated after 1-1-1990 are entitled to pension. *Ramnandan Singh Vs. State of Bihar,* 2000 (3) PLJR 55.

Rules 45, 58, 59, 61 and 63—These rules so read clearly show that intendment is not to carve but to extend the pensionary benefit. The approach in extending the benefit of pension for the service rendered is liberal. Therefore, any kind of service rendered in non-gazetted capacity shall qualify for pension. *Upendra Prasad Vs. State of Bihar,* 1995 (2) PLJR 822.

Rule 46—Petitioner not found to be absent from duty continuously for five years, could not be held guilty of misconduct or inefficient in service. *Deoki Nandan Prasad Vs. State of Bihar,* 1971 PLJR 458.

Rule 46—Petitioner's pension withheld because of termination of service (SEVA SAMAPT KI JATI HAI)—*seva samapti* means termination of service and not removal or dismissal. Pension in such cases cannot be withheld. *Raghunandan Mishra Vs. State of Bihar,* 1985 PLJR 446.

Rules 46 and 101—Discharge from service will also entail forfeiture of past service like dismissal or removal if the order is for misconduct. In a case of misconduct it is the employer's prerogative either to hold enquiry and dismiss

the employee or discharge him and pay all retrenchment benefits. Cases of discharge/termination simpliciter on account of exigencies of service will not be covered by rule 46 or 101. *Ram Lakhan Singh Vs. BSEB,* 2000 (3) PLJR 337.

Rules 46 and 101 (a)—Special leave petition dismissed on 15-12-1978 on undertaking of the counsel for the State that State would make payment of amount of pension. No payment made even after four years. Application for contempt of court. New plea raised by State that no pension is payable because of Rules 46 and 101 (a). Such plea cannot be sustained. Word "due" explained. *Krishna Prasad Singh Vs. State of Bihar,* 1983 PLJR (SC) 13.

Rules 101—Resignation of the public service entails forfeiture of past service. *Dr. Ram Bashishth Choudhary Vs. State of Bihar,* 2000 (3) PLJR 387.

Rule 101 (a) and (b)—In case of allegation of any misconduct, initiation of any proceeding or insolvency or inefficiency or failure to pass a prescribed examination, the authorities cannot forfeit the past service to deprive any person of his retirement benefits. *Tapan Kumar Chatterjee Vs. State of Bihar,* 1998 (1) PLJR 707.

Rule 105—Condonation of break in service of a Government servant. Benefit of aforementioned policy decision of the State Government is available only to such Government servants who have rendered atleast two years service prior to the break in service. *Sajed Karar Haider Vs. State of Bihar,* 1988 PLJR 980.

Rules 136 and 151—Pension and retiral benefits of the employees of Bihar State Housing Board to be calculated under Bihar Pension Rules and on the basis of last pay drawn. *Giridhar Prasad Singh Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 942.

Rules 136 and 151—Government servant superannuating while working on deputation in Housing Board. Entitled to draw pension on basis of last pay drawn on promotional post if he had been promoted according to rules while on deputation. *State of Bihar Vs. Smt. Shiv Rani Devi,* 1998 (1) PLJR 409.

Rule 139—State authority competent to forfeit the pension amount provided the pension has been fixed initially by the Subordinate authority. Unless the pension amount has been so fixed the State Government cannot withhold 20% of the pension. *Chandra Dhan Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (1) PLJR 135.

Rule 139—Reduction of pension by 10% after the expiry of two years from the date of retirement is illegal. *Bhuneshwar Singh Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 435.

Rule 139—Where the departmental proceedings had been initiated while the incumbent was in service, he can be proceeded against after his superannuation. Authorities cannot impose punishment without considering the show cause reply of the incumbent and therefore awarding of punishment of nullifying the pension and gratuity at zero is not valid. *Nawal Kumar Sinha Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 296.

Rules 139 (a) and (b)—Sanctioning authority is empowered to sanction a pension or reduce the same if the service of the employee has not been thoroughly satisfactory. No limitation has been prescribed for reduction of pension at the time of initial sanction, which is to be granted on the basis of service record. State Government, except in a case where it is the sanctioning authority, has otherwise no right to withhold/curtail pension if already sanctioned by the competent authority. U/r 139 (c), such curtailment can be made by the State by

way of revisional power, subject to a limitation of three years to be counted from the date of sanction. U/r 43 (b), four years limitation has been prescribed to be counted from the date of institution of proceedings. *Ram Awadhesh Sharma Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 83.

Rules 139 (a) and (b) r/w Rule 43 (b)—U/r 139 (b), the sanctioning authority is empowered to forfeit/reduce pension only if the incumbent's service has not been thoroughly satisfactory. Findings recorded by Inquiring Officer in a departmental proceeding which had not attained finality, is not proper. In the post-retirement phase, any order to initiate departmental proceeding must qualify the rider of four years as envisaged u/r 43 (b). Power u/r 139 cannot be invoked on the basis of a dead proceeding. *Udai Shankar Prasad Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 135.

Rules 139 (a), 43 (a) and 43 (b)—An employee as a matter of course is not entitled to full pension, which is payable subject to certain riders. While past record, including conduct is a factor for grant of full pension u/r 139 (b), future good conduct is an implied condition of every grant of a pension u/r 43 (a). rule 43 (b) empowers the State to withhold or withdraw pension or a part of it, for misconduct causing pecuniary loss to public excheque, while the incumbent was in service but where final decision can be taken only on enquiry after his retirement. Substantive Rule 43 (b) includes both departmental or judicial proceeding whether started while in service or after retirement. Power to initiate departmental/judicial proceeding after retirement is vested with the State and not to any other authority. A departmental proceeding initiated against an employee while in service can be treated to be a proceeding u/r 43 (b) and may proceed even after retirement and for that purpose no specific or express order of the Government in necessary. *Ram Awadhesh Sharma Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 83.

Rule 139—rule 139 cannot be read in isolation which would nullify the effect of Rule 43 which empowers to withhold or withdraw the amount of pension or any part thereof, permanently or for specified period when the pensioner is found guilty in judicial and departmental proceeding and not otherwise. Rule 139 (a) has to be read in context to its sub-rule (b) which do not empower to cut the pension. *Satyendra Narain Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 939.

Rule 139 (b)—The provision has been incorporated where a pensioner may not have been held guilty of grave misconduct or of having caused pecuniary loss to the Government but yet his service record itself is sufficient to draw an irresistible conclusion that his service had not been thoroughly satisfactory. Reduction of pension in such cases is not only permissible but desirable also so that the government servant remains active and faithful during service period. However, power u/r 139 (b) must be exercised carefully. Power under this rule cannot replace the power to withhold or withdraw pension u/r 43 (b) otherwise protection given to a pensioner u/r 43 (b) will become meaningless and superfluous. *Kamla Sharan Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (2) PLJR 294.

Rules 139 (b) and (c)—In absence of any communication of the finding of grave misconduct against the employee, order for reduction of 5% pension and gratuity under this rule is not valid and conclusive rather discriminatory. *ibid.*

Rule 139 (c)—Power being a revisional power and use of the word "satisfy" shows that there must be objective satisfaction on the basis of relevant and cogent materials and proof of misconduct have been found in appropriate departmental or judicial proceeding in accordance with Service rules and Pension rules. *ibid.*

Rule 139—Decision taken by a authority for reduction of pension is a *quasi* judicial decision. An authority cannot exercise unfettered discretion based on its subjective satisfaction. Exercise of such power has to be reasonable, just and fair and in consonance with principles of natural justice. *Ram Anugrah Narain Vs. State of Bihar*, 1998 (3) PLJR 95.

Rule 139—This rule does not specify any requirement of hearing, giving oral hearing must be read into it as an inbuilt content of fairness in action. A mere opportunity of showing cause, though not specified in the rules, is not enough to meet the requirement of a fair procedure. *ibid.*

Rule 161—Applies to such State Government servant who resigned and joined University service and were absorbed there. Therefore while the amount of proportionate pension is not reduced, the amount of pay and pension together should not exceed the amount of substantive pay last drawn. *ibid.*

Rule 161 (b)—Government servant sent on deputation to Rajendra Agricultural University resigned and joined University services from where he retired—liability for payment of pension. *State of Bihar Vs. B.S. Mathur*, 1996 (1) PLJR (SC) 69.

Rule 161 (b)—High Court Judge on re-employment unconditionally, claiming parity of emoluments with those of his previous employment. Rule is not a bar. *Bhubneshwar Dhari Vs. State of Bihar*, 1986 PLJR 1.

Rule 184—There are no *pari materia* provisions in the Bihar Pension Rules at par with Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, laying down payment of extraordinary pension to dependants of incumbents dying on duty equal to the pay last drawn. The only provision is for appointment of the widow of the deceased on compassionate ground, or on her recommendation, of the dependant of the deceased as per Government circular. *Smt. Bindhya Basini Mishra Vs. State of Bihar*, 2000 (3) PLJR 131.

Rule 184 r/w Memo No. Pen.–1042/69/3484, dt. 28-4-1970 and Memo No. Pen.–1055/70/9271F, dt. 28-9-1970—Benefits in terms of extra ordinary pension contained in Chapter IX of the Bihar Pension Rules and admissible to the parents of the deceased Govt. Servant as per the provision of the said Govt. Instructions. As per provision contained in Memo dt. 28-9-1970, a gratuity equal to one half of that which would have otherwise been admissible to a widow under the Wound and Extraordinary Pension has been made admissible to the parents of the deceased Government Servant without reference to dependence on the deceased Govt. Servant or pecuniary need, in absence of widow and children. Since the deceased Government Servant in the present case died unmarried, thus the said benefit has to go to the parents. Cost of Rs. 20,000 imposed along with directions to pay entire dues with 18% interest. *Ram Swarup Mahto Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 564.

Rule 186 (2) (iii)—Family Pension is payable in case of an unmarried daughter or minor sister, until marriage or until she attains the age of 21 years, whichever be earlier. Material facts and claim undisputed and uncontroverted. Payment to be made alongwith arrears, interest and cost. *Ruchi Kumar Vs. State of Bihar*, 2000 (2) PLJR 830.

Appendix V, clause 3 (a)—Nomination in favour of wife and children is a valid nomination where the Government Servant has a family. Therefore, pension cannot be withheld on the ground that a nomination existed in favour of some other relation. Not justified for the sanctioning authority to demand a succession

certificate. Direction to pay retiral dues with penal interest and cost. *Gayatri Devi Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 872.

Appendix, 5 Annexure 4, Clause 3 (2)—Nomination can only exist in favour of members of family except nephew, petitioner (widow) entitled to claim amount of gratuity. *Gulabo Devi Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 171.

Appendix 5—Claim for pension by a Government employee on deputation to Electricity Board since 1950. Direction given to represent before the Government which is to dispose it of by a speaking order. *Bihar State Electricity Board Vs. Akhil Krishna Mitra,* 1997 (2) PLJR (SC) 37.

Family Pension Scheme, 1964—Para 7—No reason not to follow law of survivorship as per personal law and law of succession. Any limitation under scheme debarring surviving widow or minor children from getting full pension is disciminatory and *ultra vires* Article 14 of Constitution. *Shanta Sinha Vs. State of Bihar,* 1997 (1) PLJR 416.

Rule 43 (b)—From the expression used under clause (a) of rule 43 (b), it is clear that a departmental enquiry, if initiated before superannuation may continue even after superannuation. No punishment under C.C.A. Rules can be imposed after superannuation, but punishment of withholding of pension may be imposed. Period of four years prescribed in rule 43 (b) is a safeguard for such government employees against whom no departmental proceeding was initiated during service. No specific order necessary to continue a pending proceeding after superannuation. *State of Bihar Vs. Bhima Nand Jha,* 2001 (1) PLJR 59.

Rule 43 (b)—Period of four years in this rule applies only in a case of departmental proceeding initiated after retirement of the Government servant for a pending proceeding no limitation is necessary. The period of four years is a safeguard to protect Government servants from harassment. *State of Bihar Vs. Ram Awadhesh Sharma,* 2001 (1) PLJR, 152.

Rule 43 (b)—Proviso (a) (iii)—Procedure for conducting pending departmental proceeding after the retirement. Similar procedure applicable to a proceeding on which an order of dismissal from service may be made. It cannot be said that such proceeding does not empower the disciplinary authority to pass the final order since the right to withhold a part of pension vests in the State Government and hence the final order in the disciplinary proceeding to be passed by the State Government. *Balmiki Rajak Vs. State of Bihar,* 2001 (1) PLJR, 714.

Rules 43 and 139—Proceeding initiated during the service period of Government servant concluded after his superannuation. Proceedings held violative of principles of natural justice by the single judge in earlier writ and quashed. In view of serious allegation of misconduct, the matter has to be remitted to State Government to decide the matter afresh even though quashing a proceedings by the single judge is upheld. *State of Bihar Vs. Ram Awadhesh Sharma,* 2001 (1) PLJR, 152.

Rule 101—Resignation or dismissal for misconduct, insolvency, inefficiency not due to age or failure to pass departmental examination only entails forfeiture of past service. Husband of the widow was absent from duty without leave for a period of five years. Past service not to be forfeited for the purpose of computation of pensionary benefits. *Smt. Saraswati Devi Vs. State of Bihar,* 2001 (1) PLJR 434.

Rule 43—Pension rules are applicable to the Bihar State Electricity Board's employees except those who are specifically exempted. *Radhika Raman Prasad Sinha Vs. B.S.E.B.*, 2002 (1) PLJR 259.

Rule 43—Employee retired on 30-6-1996—Proceeding initiated on 24-2-1998 with respect to omission and commission of misconduct for the period August, 1992 to October, 1994. A proceeding can be initiated against a retired employee but for an event which took place within the period of four years from the date of initiation of the proceedings. Entire proceeding cannot be held as illegal, rather the proceeding for the events within four years is legal and the authority had power to initiate such proceeding even after retirement for the purpose of reduction in the retirement benefit. *Radhika Raman Prasad Sinha Vs. B.S.E.B.*, 2002 (1) PLJR 259.

Rule 144—If a person has not completed 10 years of service, he is entitled for gratuity but calculation is to be made as per Rule 144 itself. *Dularchand Paswan Vs. State of Bihar*, 2002 (1) PLJR, 540.

Rule 43 (b)—10% of pension and full gratuity withdheld due to pendency of CBI enquiry against the employee allegedly involved in M.S.D. scam. Principle already settled in similar matters that the pension cannot be withheld. Direction issued to the State to sanction and pay full pension which will be subject to revision by the competent authority depending upon the outcome of CBI enquiry and the proceeding under Rule 43 (b). However in the matter regarding payment of gratuity, action of the State held not to be arbitrary. Where the allegation involve financial irregularity and loss to government, it may not be possible for the State to recover the loss if entire gratuity is paid to the concerned employee. Direction issued to conclude the proceeding within one year and if the petitioner does not co-operate then the authorities may proceed *ex-parte* till then the State may withhold the gratuity. *Dr. Kashi Nath Prasad Vs. State of Bihar*, 2003 (2) PLJR 335.

Rule 43 (b)—C.B.I. inquiry pending—Enquiry not resulted in a complaint or a charge sheet to a criminal court cannot be said a judicial proceeding as contemplated u/r 43 (b) is pending. *Dr. Kashi Nath Prasad Vs. State of Bihar*, 2003 (2) PLJR, 335.

Rule 59—Services rendered by petitioners as Extra Clerk till the date of their appointment as temporary clerk should be treated as qualifying service for the purpose of pension and pensionary benefits. *Rajendra Lal Das Vs. State of Bihar*, 2003 (2) PLJR 504.

Rule 43 (b)—Initiation of departmental proceeding a rider in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings. Event was beyond the period of four years but the period when the event came into light was within the period the proceeding initiated. When time limit is prescribed in respect of an event in a statute it has to reckon from the date of its knowledge unless contrary intent is pointed in the statute or by necessary implication. Any other view would lead to disastrous consequence. Four years time held to be reckoned from the date of the knowledge of the event by the competent authority. *Ashok Kumar Mishra Vs. State of Bihar*, 2003 (1) PLJR, 172.

Rule 43(b)—Reduction in pension to the extent of 25% per month, forfeiture of entire gratuity and order for recovery of losses caused to Government. Losses caused to Government by petitioner stood determined in a duly constituted enquiry. Impugned order not violative of provisions of Rule 43(b). *Ram Narayan Renu Vs. State of Bihar,* 2006 (1) PLJR 300.

Rule 186—Rule 186(ii) contemplates payment of family pension to minor son until he attains the age of 18 years and not 25 years. Brother of petitioner beyond 18 years of age, question of any family pension to him does not arise. *Mithlesh Kr. Singh Vs. State of Bihar,* 2006 (1) PLJR 420.

Rules 136, 151—Petitioner, a State Government employee, retired while serving State Housing Board on deputation. Petitioner's pension fixed by State Government on the basis of notional pay in UDC Grade, which he would have drawn on being continued in Government service during the period of deputation with Housing Board. State Government directed to fix the pension and pensionary benefits in the light of pay drawn. *State of Bihar Vs. Ram Tawakya Singh,* 2006 (1) PLJR 476 (FB).

Rules 43(b), 139—Action under Rule 43 (b) can be taken on the basis of a duly constituted departmental proceeding or a judicial proceeding. But, such a protection is not available to a retired employee if action is intended under Rule 139 and action can be taken on the basis of representation. If the employee retired before a proceeding under Rule 55A of CCA Rules could be concluded, then the same by automatic operation of law will be deemed to have been converted into one under Rule 139 of Pension rules. *Anand Mohan Tripathi Vs. Bihar State Electricity Board,* 2005 (4) PLJR 7.

Rule 43—Petitioner in receipt of order of proceeding drawn against him in terms of Rule 43(b). A proceeding was initiated against the petitioner during his service tenure but petitioner refused to receive the charges. At no point of time, petitioner prayed to drop the proceeding and consequently, present proceeding was drawn up after his superannuation. Petitioner instructed to file his explanation before the authorities. *Rajeshwar Pandey Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 77.

Rule 43—Bar to initiate proceeding. Retired Government servant can be found guilty of grave misconduct during his service career pursuant to departmental proceedings conducted against him even after his retirement but such proceeding could be initiated in connection with only such misconduct which might have taken place within four years of initiation of such proceeding. *Virendra Kr. Srivastava Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 393.

Rule 43(b)—No fresh order is required to be drawn for initiation of the proceeding under Rule 43(b) in case a proceeding had already been initiated before retirement of the delinquent. However, it is mandatory for the respondents to give an opportunity to the delinquent to explain as to why the proposed action should not be taken against him. No opportunity whatsoever was given to petitioner before passing the impugned order. Impugned order quashed. *Satyendra Pd. Sharma Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 486.

Rule 43—A proceeding initiated under Rule 55A of CCA Rules, 1930 is a departmental enquiry and will be treated as instituted for the purpose of Rule 43(b). Conversion of such a proceeding into a proceeding under Rule 43(b)

does not suffer from any legal infirmity and order of its continuance is a valid order. *Chitranjan Prasad Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 510.

Departmental proceeding, if not instituted while the Government servant was on duty either before retirement or during re-employment, shall be conducted by such authority and at such place or places as the State Government may direct and in accordance with the procedure applicable to proceedings on which an order of dismissal from service may be made. If the proceeding was not pending from before and a fresh proceeding is started then procedure applicable to proceedings where order of dismissal from service is to be made, has to be followed. *Ibid.*

Rule 139—Power under rule 139 would not be exercised without giving the pensioner concerned a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to his pension. Government took the action clearly behind the back of petitioner and simply acting on the basis of certain reports and materials on record. Such action of Government was in complete breach of principles of natural justice as also the express provision of **Rule 39.** *P.K. Indira Kurup Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 660.

Rule 43—Once an employee is retired and no proceeding was initiated against him till he was in service and if subsequently it is detected that pecuniary loss has been caused to Government by him, proceeding under rule 43(b) can be initiated against him. In case pension has already been fixed, proceeding under Rule 139(a) should be initiated against him and only on conclusion of the proceeding, total or part pension can be withheld. *Shivajee Jha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 28.

Rule 58—Appointment on sanctioned post with service duly regularised. No indication made during service period that appointment was for a specified period. At the fag end of service petitioner informed of termination on account of end of Educational programme. Petitioner by that time had already spent qualifying pensionable period of service. In such circumstances, it cannot be said that there is any application of Rule 45A and service of petitioner is not pensionable under Rules 58 and 59 of Pension rules. Direction to pay all retiral benefits. *Ram Chandra Jha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 63.

Rule 58—Qualifying pensionable service. Denial of pension due to alleged breaks in service. First absence from duty treated as leave and salary paid for the said period. For second absence period application for grant of leave pending. Petitioner had already completed his qualifying pensionable service. Impugned order denying benefit of pension quashed. *Ibid.*

Rule 43—Denial of pension on the ground of alleged financial irregularities. Show cause notice issued much after four years of date of alleged irregularities as well as the date of superannuation. No action is now possible on account of lapse of time as it is hit by the bar of limitation engrafted in Rule 43(b). *Dr. Brajendra Kr. Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 108.

Rule 43—Statute does not provide withholding of pension, either in full or in part, until such time the guilt is proved. Full pension to be paid alongwith interest and benefit of commutation of pension. However, grant of full pension will not prevent the State from withholding a part or full of the pension in the event the guilt is proved in departmental/criminal proceeding. *S.Z.H. Jafri Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 166.

Rule 135—Retiring pension. Rule 135 contemplates a bilateral act of tendering of resignation and acceptance of the same. In absence of any such resignation, employee would not be entitled to the benefit of retiring pension for having completed the qualified service of not less than 25 years. Any delay on part of respondents in communicating the acceptance cannot enure to their benefit. *Ramshreshtha Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 174.

Rule 43—Proceeding under Rule 43(b) will be deemed to be initiated from the date when memo of charge is issued in favour of delinquent and not from the date explanation for the allegations is asked for. Any order under Rule 43(b) can be passed subject to the rider that such departmental proceeding shall have to be in respect of misconduct which took place not more than four years before the initiation of such proceeding. *Sukdeo Narain Verma Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 591. *See also : Asha Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 68.

Rule 43—In case in a pending enquiry under Rule 55, evidence is complete and the delinquent thereafter superannuates, the same set of evidence is used in subsequent proceeding in terms of rule 43(b). Charges levelled against petitioner were never substantiated nor any reasonable opportunity was given to petitioner to lead his evidence. Impugned order withholding pensionary benefits quashed. *Dr. Shyama Nand Singh Vs. State of Bihar,* 2005 (2) PLJR 625.

Rules 43, 139—Any proceeding which is initiated under rule 43(b) or Rule 139(a), must proceed as provided in Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930. *Sharda Prasad Sinha Vs. BSEB,* 2005 (2) PLJR 634.

Rule 139—Limitation period for curtailment of pension. After sanction of pension in favour of retired employee revisional power under rule 139(a) is to be exercised within three years from the date of sanction. For curtailment of pension already sanctioned, it is essential that there must be proof of grave misconduct on part of retired employee during his service tenure. *Sharda Prasad Sinha Vs. BSEB,* 2005 (2) PLJR 634.

Rule 43—On superannuation of a Government employee, all the pending departmental proceedings would come to an end unless the pending proceedings are converted into proceedings under Rule 43(b). *Dr. (Capt.) Dev Nandan Pd. Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 353.

Rule 104—The moment the tenure of a person who was appointed for a fixed period came to an end, the relationship of master and servant came to an end. Period of breakage would be a period under removal or discharge and such period cannot be condoned for the purpose of making the service continuous. *Krishna Mohan Jha Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 427.

Rule 43—Recovery sought to be made from retiral benefits on account of alleged deficient completion of construction work during service period. No such proceeding in terms of Rule 43(b) instituted nor any judicial proceeding pending in Court. A period of more than four years having lapsed since petitioner's retirement, such a proceeding cannot now be initiated. Recovery of amount from retiral benefits impermissible. *Jagdish Chandra Singh Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 513.

Rule 43—Recovery sought to be made from the death-cum-retiral dues payable to the employee's widow after lapse of ten years. Such recovery is not

'hout taking recourse to the provisions of rule 43(b) and only if ered by the rider clause. *Shanti Choubey Vs. State of Bihar,* 2004 ... 236.

Rule 59—Rule 59 entitles an employee to pension after fifteen years even 'n temporary service. A Government servant who has seen continuous service virtually has a birth right to claim pension from the State. Getting an employee out of a Government department and putting him in a public sector undertaking is not his fault. Pension to be paid with interest. *Nankhu Pd. Singh Vs. State of Bihar,* 2004 (3) PLJR 769.

Rule 58—Services of petitioner and others were transferred from State Government and merged with Corporation (Bihar State Food and Civil Supply Corporation). Since then petitioner ceased to be a Government servant. In view of Rule 58, petitioner is not entitled for pensionary benefits. *Madhu Mangal Tiwary Vs. State of Bihar,* 2004 (3) PLJR 716.

Rule 43—For deduction/recovery from pension, a proceeding under Rule 43(b) is not required in all and every cases. *Smt. Bachchi Devi Vs. State of Bihar,* 2004 (3) PLJR 826.

Rule 43 (b)—It is mistaken impression that the rule is only confined to cases of pecuniary loss to the Government. It is only one of the circumstances justifying reduction of pension the rule takes in its sweep cases on account of grave misconduct established in a departmental proceedings. *Tripurari Sharan Singh Vs. State of Bihar,* 2006 (2) PLJR 11.

The fact that because the employee was inefficient during the service tenure, but had been tolerated and had not been compulsorily retired, it can not be said after his retirement that there was no good conduct on the part of employee in question. The provisions of rule 43 (b) cannot be applied. *Rambilash Pathak Vs. State of Bihar,* 2006 (2) PLJR 457.

Minister, in view of the punishment of petitioner's superior on the same charges in departmental proceeding, directed to impose punishment on the petitioner. Punishment on petitioner's superior is quashed by High Court and affirmed by Supreme Court. In view of the above fact the punishment of forfeiture of 50% pension quashed. *Ram Kumar Lal Vs. State of Bihar,* 2006 (2) PLJR 58.

Appellant suspended before, 12 years of retirement, the proceeding deemed to be initiated from that date and continued. The case was covered by explanation to rule 43 (b) and petitioner liable to departmental action despite embargo with regard to limitation of four years after retirement. *Raj Kishore Singh Vs. State of Bihar,* 2006 (4) PLJR 71.

Rule 43 (b) permits a pending disciplinary proceeding to be converted into a proceeding u/r 43 (b) but the delinquent must be made aware that such steps are being taken. *Devendra Pd. Sinha Vs. State of Bihar,* 2006 (4) PLJR 230.

Recourse ot Rule 43 (b) can only be taken provided there is a finding of guilt or loss caused to the Government. Pending of proceeding u/s 43 (b) would not *ipso facto* authorize or permit the authorities to withhold any part of pension or gratuity. The direction is issued to make the payment of full pension to the petitioner but commutatiion of pension is not allowed at this stage. *Rajendra Mishra Vs. State of Bihar,* 2007 (1) PLJR 738.

Rule 43 (b) (c) is not mandatory in nature and its non-compliance the punishment imposed. *Ram Yatan Prasad Vs. State of Bihar*, 20C

Rule 43 (b) of the Bihar Pension Rules authorises stoppag full or part in the event a pensioner has caused any pecuniary loss Government by misconduct or negligence during his service rendered not mo than four years before the institution of proceedings for inflicting on order under the said rules. *Mostt. Rabiya Khatoon Vs. State of Bihar*, 2007 (2) PLJR 12.

Forfeiture of leave salary and gratuity as punishment is illegal and not acceptable as it is violative of principles of proportionality. *Rajendra Pd. Singh Vs. Bihar State Road Transport Corporation*, 2007 (3) PLJR 626.

A person who has been put under suspension prior to his superannuation, there is no necessity of sanction of Government or application of clause a (ii) of the proviso to Rule 43 (b) for proceeding against him. *Dr. A.A. Mallick Vs. State of Bihar*, 2007 (3) PLJR 321.

Punishment of reduction in pension. Where the direction is given to settle the payment of pension payable to delinquent, that does not mean court had determined what was the payable pension of the delinquent. It was left to the employer to determine payable pension and once delinquent is found to be entitled to his pension less than what he would have been otherwise entitled to for the order u/r 43B, no irregularity or illegality committed in reducing the pension. No interference required in elaborate judgment of Single Judge. *Gaya Prasad Vs. Bihar State Electricity Board*, 2007 (Supp.) PLJR 197.

Withholding of 50% pension for one year. On charges of forging signature of Executive Magistrate while posted in his office. Punishment imposed only on presumption that petitioner was custodian of record. No finding or charge with regard to pecuniary loss caused to Government. Punishment order quashed. Since no charge of misappropriation made, given liberty to file representation for payment of full pension and other dues. *Ram Sigasan Rai Vs. State of Bihar*, 2007 (4) PLJR 278.

A person who is discharged from the service for misconduct is not entitled for pension. *Smt. Phul Sunder Devi Vs. State of Bihar*, 2006 (3) PLJR 20.

Rule 139—Reduction in pension permissible only when services during service tenure found to be unsatisfactory. State is no obliged to give full pension to an employee who earned either poor or average confidential reports during substantial part of his career which established unsatisfactory service. Action u/r 139 without establishing unsatisfactory services is victimization. *Prabhu Nath Singh Vs. State of Bihar, 2006 (3) PLJR 618.*

Rule 189—Rule 189 aims at to obviate avoidable delay in settlement of the claim for pension and to ensure that the Government servant may not retire under misapprehension that he has earned pension which is subsequently found to be inadmissible. It is necessary for the Government servant to apply in advance the claim of pension with material particulars. It cannot be said that it was not necessary on part of the retire to apply for claim of pension. *Mohan Lal Singh Vs. State of Bihar*, 2007 (3) PLJR 38.